खण्ड-193, अंक-1
शुक्रवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(14 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

शुक्रवार, २३ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(१४ मार्च, १९५८ ई०)

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–४०
श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया)	४०–५४
चकिया-चन्दौली में सरकारी देय की वसूली में कथित ज्यादती के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४
बलिया में चेचक के प्रकोप पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४
टूंडला के निकट रेलगाड़ी में डकैती व हत्याओं के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५५
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्य-क्रम ..	५५
लोक लेखा समिति के निर्वाचन के कार्य-क्रम में परिवर्तन	५५
आय-व्ययक पर वाद-विवाद के कार्य-क्रम में परिवर्तन	५५
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	५६
अनुदान संख्या ३––लेखा शीर्षक ८––राज्य आबकारी (स्वीकृत) ..	५६
अनुदान संख्या ४––लेखा शीर्षक ९––स्टाम्प (स्वीकृत)	५६
अनुदान संख्या ६––लेखा शीर्षक ११––निबन्धन (स्वीकृत) ..	५६
अनुदान संख्या ७––लेखा शीर्षक १२––मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या २९––लेखा शीर्षक ४७––प्रकीर्ण विभाग और ४४––उद्योग तथा अनुदान संख्या ४९––लेखा शीर्षक ७०––कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत तथा ८२––राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	५७–९१
नत्थियां	९२–१०२

शनिवार, २४ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(१५, मार्च १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	१०३–१०६
कतिपय कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (निर्णय-स्थगित)	१०६
नदी के गन्दे पानी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०७

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमका ग्राम में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०७–१११
श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा उनके कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पढ़ने की प्रार्थना ..	१११
१९५८–५९ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों पर भाषणों के लिये समय-निर्धारण	१११
श्री झारखंडेराय द्वारा अपने विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में पूछताछ	११२
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३१––लेखा शीर्षक ५०–– सार्वजनिक निर्माण-कार्य––निर्माण कार्यों पर लागत, अनुदान संख्या ३२––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३३–– लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण कार्य और ८१–– राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा तथा अनुदान संख्या ४७–– लेखा शीर्षक ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	११२–१६३
सोमवार, २६ फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (१७ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	१६५–१६८
प्रश्नोत्तर	१६८–२११
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना	२११–२१३
भावी कार्य-क्रम की सूचना	२१३
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १२––लेखा शीर्षक २५––सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३––लेखा शीर्षक २५–– कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	२१४–२६०
नत्थियां	२६१–२६६
मंगलवार, २७ फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (१८ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	२६७–२७०
प्रश्नोत्तर	२७१–३०४
किसी विभाग के मंत्री की अनुपस्थिति में उसी विभाग के उपमंत्री अथवा सभा सचिव द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था	३०४–३०५
मौदहा में होने वाले उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३०५
वाराणसी जिले के भदोही क्षेत्र में गलीचे का काम करने वाले मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३०६

विषय	पृष्ठ-संख्या
एक टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३०६
राजनीतिक पीड़ितों को पेंशनें न देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३०६
कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी की प्रार्थना	३०६–३०७
१९५३–५४ के विनियोग लेखे और १९५५ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति के प्रथम तथा द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	३०७
सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था न होने पर आपत्ति	३०७
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३६–– लेखा शीर्षक ५४–क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख––भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते (स्वीकृत)	३०८
अनुदान संख्या ४३–– लेखा शीर्षक ६३––क––युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख––सामुदायिक विकास योजनायें––राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	३०८–३५२
नत्थियां	३५३–३६४

बुधवार, २८ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(१९ मार्च, १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	३६५–३६८
प्रश्नोत्तर	३६९–३९६
प्रश्नों का उत्तर विलम्ब से मिलने की शिकायत	३९६–३९७
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना	३९७
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–– विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	३९७–३९८
अनुदान संख्या १७––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (जारी)	३९८–४०९
नियम ४२ के अन्तर्गत प्रश्नों के विषय पर विवाद का स्थगन	४०९–४१०
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १७––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (क्रमागत) ..	४१०–४४०
नत्थियां	४४१–४४६

बृहस्पतिवार, २९ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(२० मार्च, १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	४४७–४५०
प्रश्नोत्तर	४५१–४७४
अधिनियमों की स्वीकृति के सम्बन्ध में घोषणा करने की नयी व्यवस्था ..	४७४–४७५

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–– अनुदान संख्या १७––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (स्वीकृत)	४७५–५०४
सदन का कार्य चार बजे स्थगित कर देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ..	५०४
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान –अनुदान संख्या १८–– लेखा शीर्षक ३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा (जारी)	५०४–५०८
नत्थियां	५०९–५२३
शुक्रवार, ३० फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (२१ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	५२५–५२६
प्रश्नोत्तर	५२८–५५६
सरसंघा यनियन आफिस, जिला सहारनपुर के समक्ष गन्ना उत्पादकों द्वारा सत्याग्रह करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित)	५५६
१९५७–५८ की सार्वजनिक लेखा समिति के सदस्यों का पद काल बढ़ाने के लिये प्रस्ताव (स्वीकृत)	५५७
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के सदस्यों का पदकाल बढ़ाने के लिये प्रस्ताव (स्वीकृत)	५५७–५५८
प्रकीर्ण ज्ञातव्यतायें	५५८–५५९
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक ३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा (स्वीकृत)	५५९–६१५
अनुदान संख्या १६––लेखा शीर्षक २२––जेल और बन्दी बस्तियां (नहीं लिया गया)	६१५
यूथ कांग्रेस अधिवेशन में सूचना विभाग द्वारा किराये पर जमीन लेने से सम्बन्धित २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न २४ के विषय पर विवाद ..	६१५–६२३
नत्थियां	६२४–६३०
शनिवार, १ चैत्र, शक संवत् १८८० (२२ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	६३१–६३४
कतिपय कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	६३४–६३५
जिला इटावा के ग्राम विरिया फफूंद में चकबन्दी टैक्स की बलपूर्वक वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	६३५
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १६––लेखा शीर्षक २८––जेल और बन्दी बस्तियां (स्वीकृत) ..	६३५–६३६

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता (स्वीकृत) ..	६३६–६३७
अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	६३७
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	६३७–६९२

सोमवार, ३ चैत्र, शक संवत् १८८०
(२४ मार्च, १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	६९३–६९७
प्रश्नोत्तर	६९७–७४५
अवशेष प्रश्नों को दूसरे दिन की कार्य-सूची में रखने की प्रार्थना ..	७४५
जिला इटावा के ग्राम विरिया फफूंद में चकबन्दी टैक्स की बलपूर्वक वसूली के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७४५–७४७
बाराबंकी जिले के गांवों में आग लगने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७४७
श्री पटेश्वरीप्रसाद गुप्त द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७४८
अगले सप्ताह के कार्य-क्रम की सूचना	७४८
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	७४८
अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें (स्वीकृत)	७४८–७४९
अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व-से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत)	७४९
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—और ८१—क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	७४९
अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना (स्वीकृत) ..	७४९–७५०
अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत—स्थापना व्यय को छोड़कर (स्वीकृत)	७५०
अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (विवाद जारी)	७५०–७८९
नत्थियां	७९०–८०७

मंगलवार, ४ चैत्र, शक संवत् १८८०
(२५ मार्च, १९५८ ई०)

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८०९–८१३
प्रश्नोत्तर	८१३–८५०
आगामी कार्य-क्रम के बारे में पूछताछ (जारी)	८५०
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी	८५०
आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूछ ताछ	८५०
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ९––लेखा शीर्षक १७, १८ और १९–ख––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या १०––लेखा शीर्षक १७,१८, १९ और ६८––सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४४––लेखा शीर्षक ६८––सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत)	८५१–८७३
विरोधी दलों के लिये ऊपरी मंजिल पर कमरों की व्यवस्था के लिये प्रार्थना	८७३
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–– अनुदान सांख्या २७––लेखा शीर्षक ४३––उद्योग (जारी)	८७३–८९१
नत्थियां	८९२–९०७

शासन

राज्यपाल

श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

मंत्री-परिषद्

मन्त्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, वित्त, उद्योग तथा विद्युत् मंत्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य, कृषि, तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, माल मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, वन तथा अन्न मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वशासन मंत्री।

आचार्य जुगलकिशोर, विधान-सभा-सदस्य, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मंत्री।

मंत्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं)

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान-सभा-सदस्य, समाज सुरक्षा मंत्री।

श्री राममूर्ति, एम ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, सिंचाई मंत्री।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी०-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक कर तथा परिवहन मंत्री।

उपमंत्री

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, न्याय एवं अन्न उपमंत्री।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, उद्योग उपमंत्री।

श्री परमात्मानन्दसिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, माल उपमंत्री।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री।

श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान-सभा-सदस्या समाज कल्याण उपमंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य।

श्री राजविहारीसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य।

गृह मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा-सचिव

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान-सभा-सदस्य।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव

श्री महावीरसिंह, विधान-परिषद्-सदस्य।

130977

सदस्यों की वर्णात्मक सूची या उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षवरसिंह, श्री	.. पिपराइच
२	अज़ीज़ इमाम, श्री	.. कंतित
३	अनन्तराम वर्मा, श्री	.. अलीगढ़
४	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	.. विनायकपुर
५	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	.. कोपागंज
६	अब्दुस्समी, श्री	.. बरौंसा
७	अभयराम यादव, श्री	.. जसवंतनगर
८	अमरनाथ, श्री	.. महाराजगंज
९	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	.. मिर्जापुर
१०	अमोलादेवी, श्रीमती	.. अठेहा
११	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	.. सलेमपुर (पूर्व)
१२	अली जर्रार जाफरी, श्री	.. उतरौला
१३	अली ज़हीर, श्री सैयद	.. लखनऊ शहर (पश्चिम)
१४	अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर	.. मिसरिख
१५	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	.. भोजपुर
१६	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व)
१७	अशफ़ाक अली खां, श्री	.. शाहजहांपुर
१८	असलम खां, श्री	.. रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	.. जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	.. झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	.. सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	.. आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	.. राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	.. नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	.. सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री	.. सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री	.. गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	.. सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	.. बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	.. बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	.. कानपुर शहर
३२	उलफ़तसिंह, श्री	.. सहसवान
३३	ऊदल, श्री	.. कोला ला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	.. कानपुर शहर
३५	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	.. शाहाबाद
३६	कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी	.. करछना
३७	कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. चन्दौली
३८	कमलेशचन्द, श्री उपनाम कमले	.. पुवायां
३९	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू	.. इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४०	कल्याणराय, श्री	.. शाहाबाद
४१	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	.. महाइच

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४२	कालीचरण अग्रवाल, श्री	..	कासगंज
४३	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर
४४	किशनसिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
४५	किशोरीरमणसिंह, श्री	..	इगलास
४६	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री	..	मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री	..	मनीराम
४९	केशवराम, श्री	..	बिसौली
५०	कैलाशकुमारसिंह, श्री	..	इस्लामनगर
५१	कलाशनारायण गुप्त, श्री	..	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाशवती, श्रीमती	..	छिलनूपुर
५३	कैलाशप्रकाश, श्री	..	मेरठ शहर
५४	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	..	छिबरामऊ
५५	कृपाशंकर, श्री	..	नगर
५६	खजानसिंह, चौधरी	..	उन्नाव
५७	खमानीसिंह, डाक्टर	..	मुरादाबाद (देहात)
५८	खयालीराम, श्री	..	मोहनलालगंज
५९	खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़
६०	खूबसिंह, श्री	..	धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री	..	एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	..	एटा
६३	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)	..	गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगाप्रसादसिंह, श्री	..	रसरा
६५	गजेन्द्रसिंह, श्री	..	विधुना
६६	गज्जूराम, श्री	..	ललितपुर
६७	गनेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री	..	भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	..	बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री	..	कुंडा
७१	गयाबख्शसिंह, श्री	..	इसौली
७२	गरीबदास, श्री	..	कालपी
७३	गिरधारीलाल, श्री	..	धामपुर
७४	गुप्तारसिंह, श्री	..	सरेनी
७५	गुरुप्रसादसिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना
७६	गुलाबसिंह, श्री	..	मसूरी
७७	गेंदादेवी, श्रीमती	..	खलीलाबाद
७८	गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७९	गोकुलप्रसाद, श्री	..	चायल
८०	गोपाली श्री	..	खुर्जा
८१	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	..	नारायनी
८२	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	..	जालौन
८३	गोविन्द सहाय, श्री	..	नगीना
८४	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री	..	अल्मोड़ा
८५	गौरीराम गुप्त, श्री	..	फरेंदा (पश्चिम)

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८६	गौरीशंकर राय, श्री	..	बलिया
८७	घनश्याम डिमरी, श्री	..	बद्रीनाथ
८८	घासीराम जाटव, श्री	..	भरथना
८९	चन्द्रजीत यादव, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहना
९०	चन्द्रदेव, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९१	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	..	निजामाबाद
९२	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी
९३	चन्द्रहास मिश्र, श्री	..	बिलग्राम
९४	चन्द्रावती, श्रीमती	..	बिजनौर
९५	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	..	बछरावां
९६	चरणसिंह, श्री	..	कोटना
९७	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कौंच
९८	चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर
९९	छत्रपति अम्वेश, श्री	..	आगरा शहर
१००	छेदीलाल, श्री	..	श्रीनगर
१०१	छोटेलाल पालीवाल, श्री	..	सिरहपुरा
१०२	जंगबहादुर वर्मा, श्री	..	हैदरगढ़
१०३	जगदीशनारायण, श्री	..	विलारी
१०४	जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री	..	मोहम्मदी
१०५	जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर
१०६	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	..	बरेली शहर
१०७	जगन्नाथ , चौधरी	..	सिकन्दरपुर
१०८	जगन्नाथप्रसाद, श्री	..	धौरेहरा
१०९	जगन्नाथ लहरी, श्री	..	फिरोजाबाद
११०	जगपतिसिंह, श्री	..	करवी
१११	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	गंगा सलाण
११२	जगवीरसिंह, श्री	..	अगोटा
११३	जमुनासिंह, श्री (बदायूं)	..	गुन्नौर
११४	जयगोपाल, डाक्टर	..	हरौरा
११५	जयदेवसिंह आर्य, श्री	..	घिरोर
११६	जयराम वर्मा, श्री	..	टांडा
११७	जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	खाईं
११८	जरगाम हैदर, श्री सैयद	..	बहराइच (उत्तर)
११९	जवाहरलाल, श्री	..	मंझनपुर
१२०	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर शहर
१२१	जागेश्वर, श्री	..	किशनपुर
१२२	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	कांठ
१२३	जुगलकिशोर, आचार्य	..	गोवर्धन
१२४	जोखई, श्री	..	मेजा
१२५	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	..	घाटमपुर
१२६	झारखंडेराय, श्री	..	घोसी
१२७	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	..	खैराबाद
१२८	टीकाराम, श्री	..	बदायूं
१२९	टीकाराम पूजारी, श्री	..	सादाबाद

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१३०	डूगरसिंह, श्री	..	राठ
१३१	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली
१३२	तारादेवी, डाक्टर	..	मड़ियाहूं
१३३	तिरमलसिंह, श्री	..	सहावर
१३४	तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज
१३५	तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद
१३६	त्रिलोकीसिंह, श्री	..	लखनऊ शहर (पूर्व)
१३७	दत्त, श्री एस० जी०	..	कानपुर-शहर
१३८	दशरथप्रसाद, श्री	..	बलरामपुर
१३९	दाताराम, चौधरी	..	नकुड़
१४०	दीनदयालु करुण, श्री	..	बलरामपुर
१४१	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूप शहर
१४२	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की
१४३	दीपङ्कर, आचार्य	..	बरौत
१४४	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
१४५	दुर्योधन, श्री	..	महाराजगंज
१४६	दुलारादेवी, श्रीमती	..	फखरपुर
१४७	देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा शहर
१४८	देवदत्तसिंह, श्री	..	टप्पल
१४९	देवनारायण भारतीय, श्री	..	जमौर
१५०	देवराम, श्री	..	शादियाबाद
१५१	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	..	अकबरपुर
१५२	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर
१५३	द्वारिकाप्रसाद, श्री	..	कन्नौज
१५४	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेन्दा (पूर्व)
१५५	धनीराम, श्री	..	लालगंज
१५६	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	महुली
१५७	धर्मपालसिंह, श्री	..	तुलसीपुर
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	सिरौली
१५९	धर्मसिंह, श्री	..	अनूपशहर
१६०	नत्थाराम रावत, श्री	..	बाराबंकी
१६१	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	..	फरीदपुर
१६२	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	करहल
१६३	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१६४	नन्दराम, श्री	..	कुण्डा
१६५	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	..	चांदपुर
१६६	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	..	केदारनाथ
१६७	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़
१६८	नवलकिशोर, श्री	..	आंवला
१६९	नागेश्वरप्रसाद, श्री	..	गरवारा
१७०	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल
१७१	नारायणदास पासी, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
१७२	निरंजनसिंह, श्री	..	पीलीभीत
१७३	नेकराज शर्मा, श्री	..	अतरौली

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१७४	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	..	अतरौलिया
१७५	पब्बरराम, श्री	..	गाजीपुर
१७६	परमानन्द सिनहा, श्री	..	सोरांव (पश्चिम)
१७७	परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री	..	पुर्वा
१७८	पहलवानसिंह, चौधरी	..	बांदा
१७९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	मेरठ (छावनी)
१८०	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	..	फखरपुर
१८१	प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री	..	लहरपुर
१८२	प्रतापसिंह, श्री	..	टनकपुर
१८३	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	..	लम्भुआ
१८४	प्रभुदयाल, श्री	..	वानगंगा (पश्चिम)
१८५	फतेहसिंह राणा, श्री	..	सरधना
१८६	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	श्रीनगर
१८७	बलदेवसिंह, श्री	..	महदेवा
१८८	बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	शाहाबाद
१८९	बलवानसिंह, श्री	..	अकबरपुर
१९०	बसन्तलाल, श्री	..	लखनऊ (छावनी)
१९१	बादामसिंह, श्री	..	शिकारपुर
१९२	बाबूराम, श्री	..	भोजीपुरा
१९३	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	प्रतापगंज
१९४	बालकराम, श्री	..	तिलहर
१९५	बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री	..	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९६	बिन्दुमतीदास, श्रीमती	..	प्रतापगंज
१९७	बिशम्बरसिंह, श्री	..	हस्तिनापुर
१९८	बिहारीलाल, श्री	..	बीसलपुर
१९९	बुलाकीराम, श्री	..	हरदोई
२००	बुद्धीलाल, श्री	..	नानपारा
२०१	बुद्धीसिंह, श्री	..	बहजोई
२०२	बृजवासीलाल, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
२०३	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर
२०४	बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर
२०५	बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर
२०६	बेनीबाई, श्रीमती	..	मऊ
२०७	बैजूराम, श्री	..	सिधौली
२०८	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
२०९	ब्रजभूषणशरण, श्री	..	देहरादून
२१०	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर शहर
२११	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	भावापुर
२१२	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१३	भगवतीसिंह विशारद, श्री	..	भगवन्तनगर
२१४	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	..	बाराबंकी
२१५	भजनलाल, श्री	..	औरैया
२१६	भीखालाल, श्री	..	हसनगंज
२१७	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	..	इटावा

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२१८	भूपकिशोर, श्री	.. अलीगंज
२१९	मंगलाप्रसाद, श्री	.. मेजा
२२०	मंजूरुलनबी, श्री	.. सहारनपुर
२२१	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	.. नौगढ़
२२२	मदनगोपाल वैद्य, श्री	.. ग्रामीण
२२३	मदन पांडेय, श्री	.. तिलपुर
२२४	मदनमोहन, श्री	.. फैजाबाद
२२५	मन्नालाल, श्री	.. मोहम्मदी
२२६	मलखानसिंह, श्री	.. सिकन्दराराव
२२७	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. मैनपुरी
२२८	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	.. दसना
२२९	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	.. स्वार टांडा
२३०	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	.. मुजफ्फराबाद
२३१	महमूद हुसन खां, श्री	.. सम्भल
२३२	महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री	.. कैराई
२३३	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	.. लखनऊ (शहर मध्य)
२३४	महीलाल, श्री	.. बिलारी
२३५	महेन्द्रारिपुदमन सिंह, राजा	.. बाह
२३६	महेशसिंह, श्री	.. शाहगंज
२३७	माताप्रसाद, श्री	.. हरदोई
२३८	मान्धातासिंह, श्री	.. कोपाचीत
२३९	मिहरबानसिंह, श्री	.. भरथना
२४०	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	.. रुदौली
२४१	मुक्तिनाथ राय, श्री	.. गोपालपुर
२४२	मुजफ्फर हसन, श्री	.. चायल
२४३	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	.. बीसल
२४४	मुबारक अली खां, श्री	.. उसेहट
२४५	मुरलीधर, श्री	.. माहुल
२४६	मुरलीधर कुरील, श्री	.. बिल्हौर
२४७	मूलचन्द, श्री	.. मिसरिख
२४८	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	.. सफीपुर
२४९	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	.. वाराणसी शहर (उत्तर)
२५०	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	.. नजीबाबाद
२५१	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	.. देवरिया (उत्तर)
२५२	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	.. बानगंगा (पूर्व)
२५३	मुहम्मद हुसैन, श्री	.. बरेली (छावनी)
२५४	मोतीलाल अवस्थी, श्री	.. कानपुर (देहात)
२५५	मोहनलाल, श्री	.. महोबा
२५६	मोहनलाल गौतम, श्री	.. कोयल
२५७	मोहनलाल वर्मा, श्री	.. संडीला
२५८	मोहनसिंह मेहता, श्री	.. दानपुर
२५९	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	.. रायबरेली (उत्तर)
२६०	यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)	.. शादियाबाद
२६१	यशपालसिंह, श्री	.. देवबन्द

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२६२	यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव
२६३	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	..	जौनपुर
२६४	रफऊ जाफरी, श्री	..	मछली शहर
२६५	रघुनाथसहाय यादव, श्री	..	किशनपुर
२६६	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब	..	सादुल्ला नगर
२६७	रघुराजसिंह चौधरी, श्री		बुलन्दशहर
२६८	रघुवीरराम, श्री	..	मोहम्मदाबाद
२६९	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	..	जलेसर
२७०	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	..	बागपत
२७१	रणबहादुरसिंह, श्री	..	हरैया (पश्चिम)
२७२	रमाकान्तसिंह, श्री	..	अमेठी
२७३	रमानाथ खैरा, श्री	..	ललितपुर
२७४	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	बरसाथी
२७५	राघवराम पांडेय, श्री	..	गोंडा (दक्षिण)
२७६	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	मनकापुर
२७७	राजकिशोर राव, श्री	..	इकौना
२७८	राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार
२७९	राजदेव उपाध्याय, श्री	..	सिधुवाजोबना
२८०	राजनारायण, श्री	..	कसवर सरकारी
२८१	राजनारायणसिंह, श्री	..	अहरौरा
२८२	राजबिहारीसिंह, श्री	..	कंसवर राजा
२८३	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद
२८४	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	..	डोमरियागंज, (उत्तर)
२८५	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	शिकारपुर
२८६	राजेन्द्रसिंह, श्री	..	गोंडवा
२८७	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	..	शमसाबाद
२८८	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२८९	रामअभिलाख, श्री	..	गोंडा (उत्तर)
२९०	रामकिंकर, श्री	..	पट्टी
२९१	रामकुमार वैद्य, श्री	..	अमरोहा
२९२	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	कन्तित
२९३	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	..	फर्रुखाबाद
२९४	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद
२९५	रामजीलाल सहायक, श्री	..	सरधना
२९६	रामजी सहाय, श्री	..	सिलहट
२९७	रामदास आर्य, श्री	..	जानसठ
२९८	रामदीन, श्री	..	करहल
२९९	रामनाथ पाठक, श्री	..	दोआबा
३००	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	सुरहुरपुर
३०१	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	मलिहाबाद
३०२	रामप्रसाद, श्री	..	सलोन
३०३	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	कोयल
३०४	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैंसडाउन

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३०५	रामबली, श्री	..	मुसाफिरखाना
३०६	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी
३०७	रामरतनप्रसाद, श्री	..	रसरा
३०८	रामरतीदेवी, श्रीमती	..	अकबरपुर
३०९	रामलक्षण तिवारी, श्री	..	बांसडीह (पूर्व)
३१०	रामलखन, श्री (वाराणसी)	..	चन्दौली
३११	रामलखन मिश्र, श्री	..	बांसी (पश्चिम)
३१२	रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)	..	रारी
३१३	रामलाल, श्री	..	नगर
३१४	रामवचन यादव, श्री	..	माहुल
३१५	रामशरण यादव, श्री	..	मोहनलालगंज
३१६	रामसनेही भरतीय, श्री	..	बबेरू
३१७	रामसमझावन, श्री	..	केराकत
३१८	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	..	एतमादपुर
३१९	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	नत्थूपुर
३२०	रामसूरतप्रसाद, श्री	..	पिपराइच
३२१	रामस्वरूप यादव, श्री	..	जसराना
३२२	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	भोगनीपुर
३२३	रामहेतसिंह, श्री	..	छाता
३२४	रामायणराय, श्री	..	पडरौना (दक्षिण)
३२५	रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	बछरावां
३२६	रुक्नुद्दीन खां, श्री	..	कोंहडौर
३२७	रूर्मासिंह, श्री	..	खेरा बजेहरा
३२८	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	काशीपुर
३२९	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	गरोथा
३३०	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	पहाड़पुर
३३१	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	..	फतेहाबाद
३३२	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट
३३३	लायकसिंह, चौधरी	..	शिकोहाबाद
३३४	लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकत
३३५	लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़
३३६	लोकनाथसिंह, श्री	..	कटेहर
३३७	वजरंगविहारीलाल रावत, श्री	..	हैदरगढ़
३३८	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	जमानिया
३३९	वसी नकवी, श्री	..	रोखा
३४०	वासुदेव दीक्षित, श्री	..	खागा
३४१	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	मोदीनगर
३४२	विजयशंकरसिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद
३४३	विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती	..	शाहाबाद
३४४	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	..	देवप्रयाग
३४५	विशालसिंह, श्री	..	भिटौली
३४६	विश्रामराय, श्री	..	आजमगढ़
३४७	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	..	करांद
३४८	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	..	फतेहपुर सीकरी

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३४९	वीरसेन, श्री	..	हापुड़
३५०	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना
३५१	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	..	बहराइच (दक्षिण)
३५२	वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी
३५३	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	..	महोबा
३५४	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर
३५५	शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर
३५६	शकुन्तलादेवी, श्रीमती	..	हरौरा
३५७	शब्बीर हसन, श्री	..	खजुहा
३५८	शमसुल इस्लाम, श्री	..	निधपुर
३५९	शम्भुदयाल, श्री	..	संडीला
३६०	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	हरद्वार
३६१	शिवगोपाल तिवारी, श्री	..	सफीपुर
३६२	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	..	सिधुवाजोबना
३६३	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	..	खीरी
३६४	शिवमंगलसिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६५	शिवमूर्तिसिंह, श्री	..	फूलपुर
३६६	शिवराजबलीसिंह, श्री	..	फतेहपुर
३६७	शिवराजबहादुर, श्री	..	नबावगंज
३६८	शिवराजसिंह यादव, श्री	..	बिसौली
३६९	शिवराम पांडेय, श्री	..	डेरापुर
३७०	शिववचन राव, श्री	..	सलेमपुर (दक्षिण)
३७१	शिवशंकरसिंह, श्री	..	डलमऊ
३७२	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	..	इकौना
३७३	शीतलाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज
३७४	शोभनाथ, श्री	..	राबर्टस्गंज
३७५	श्यामममनोहर मिश्र, श्री	..	लखनऊ (छावनी)
३७६	श्यामलाल, श्री	..	माट
३७७	श्यामलाल यादव, श्री	..	मुगलसराय
३७८	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	..	किथोर
३७९	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	..	उझानी
३८०	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	खैरागढ़
३८१	श्रीनाथ, श्री	..	मुहम्मदाबाद (गोहाना)
३८२	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा
३८३	श्रीनिवास, श्री	..	गांगिरी
३८४	श्रीपालसिंह, कुंवर	..	शाहगंज
३८५	संग्रामसिंह, श्री	..	सोरांव (पूर्व)
३८६	सईद अहमद अन्सारी, श्री	..	ज्वालापुर
३८७	सजीवनलाल, श्री	..	हसनगंज
३८८	सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	शिवपुर
३८९	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	..	दादरी
३९०	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९१	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	सरजू
३९२	सियादुलारी, श्रीमती	..	करवी

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९३	सीताराम, डाक्टर	..	सिलहट
३९४	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (पूर्व)
३९५	सुक्खनलाल, श्री	..	हसनपुर
३९६	सुखरानी, श्रीमती	..	फतेहपुर
३९७	सुखरामदास, श्री	..	टांडा
३९८	सुखलाल, श्री	..	औरैया
३९९	सुखीराम भारतीय, श्री	..	फूलपुर
४००	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	..	मऊ
४०१	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	सलोन
४०२	सुन्दरलाल, श्री	..	फरीदपुर
४०३	सुरथबहादुरशाह, श्री	..	निघासन
४०४	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर
४०५	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	..	पुवायां
४०६	सुरेशप्रकाशसिंह, श्री	..	बिसवां
४०७	सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज
४०८	सूरतचन्द रमोला, श्री	..	टेहरी
४०९	सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा
४१०	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	बांसी (पूर्व)
४११	हमीदुल्ला खां, श्री	..	चारदा
४१२	हरकेशबहादुर, श्री	..	पट्टी
४१३	हरदयालसिंह, श्री	..	जलालाबाद
४१४	हरदयालसिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१५	हरदेवसिंह, श्री	..	देवबन्द
४१६	हरिदत्त काण्डपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४१७	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	दातागंज
४१८	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	पाली
४१९	हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२०	हरीसिंह, श्री	..	किथौर
४२१	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२२	हिम्मतसिंह, श्री	..	डिबाई
४२३	हुकुमसिंह विसेन, श्री	..	कसरगंज
४२४	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४२५	होरीलाल यादव, श्री	..	कन्नौज
४२६	(रिक्त)	..	रानीखेत (दक्षिण)
४२७	(रिक्त)	..	मौदहा
४२८	(रिक्त)	..	अफजलगढ़
४२९	(रिक्त)	..	बुढ़ाना
४३०	(रिक्त)	..	भवन
४३१	(रिक्त)	..	खुर्जा

130977

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० (अवकाश पर) ।
श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

Archive Edition

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३३४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंद सिंह बिष्ट, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम,श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री

बचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअ भिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री

रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेर्तासिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर्सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर्सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर्सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभ्नाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अग्रवाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई) श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में हैजे की रोकथाम में असावधानी की शिकायत

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जून, जुलाई, अगस्त, १९५७ में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हैजे से हुई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—आजमगढ़ जिले में जून, जुलाई और अगस्त, १९५७ के महीनों में हैजा से ७६५ मृत्युयें हुई हैं।

*२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार के पास आजमगढ़ जिले से ऐसी शिकायतें आई थीं कि दवा की कमी तथा अधिकारियों को ढिलाई से बीमारी की रोकथाम ठीक ढंग से नहीं हो रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां, शिकायत आई थी। सरकार ने यह महसूस किया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी इतना सतर्क नहीं था जितना उसको होना चाहिये था। इसलिये उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। दवाइयों की कमी न थी।

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार हैजे की बीमारी की रोकथाम के लिये प्रत्येक गांव सभा में कुओं में छोड़ने वाली दवा तथा अन्य दवाओं का प्रबन्ध तथा किसी ग्राम में हैजे की बीमारी शुरू होने की सूचना मिलने पर तुरन्त आस-पास के ग्रामों में अनिवार्य रूप से टीका लगवा देने की व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे आदेश हैं कि जैसे ही किसी ग्राम में कोई हैजे की घटना घटित हो तो ग्राम सभापति या सेक्रेटरी गांव के सभी कुओं में तथा पड़ोसी गांवों की सरहद के कुओं में तुरन्त दवा छुड़वा दे। जिससे जब तक जिला स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ग्रसित स्थान पर न पहुंचे तब तक कुओं का निःसंक्रामीकरण होता रहे। जिसके लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से कुओं में छोड़ने वाली पर्याप्त अन्य दवाइयां प्रत्येक ग्राम में रक्खी जाती हैं।

इस समय सरकार के पास ऐसी कोई भी स्कीम विचाराधीन नहीं है कि जिस गांव में बीमारी शुरू होने की सूचना प्राप्त हो वहां आस-पास के ग्रामों में टीका लगाया जाना वैधानिक तरीके से अनिवार्य कर दिया जावे। क्योंकि इसकी अभी तक कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है।

श्री मुक्तिनाथ राय—मान्यवर, सरकार की ओर से एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि आजमगढ़ जिले में बीमारी शुरू होने पर एडीशनल स्टाफ भेजा गया, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अतिरिक्त स्टाफ वहां भेजा गया था उसकी ड्यूटी केवल टीका लगाने और कुएं में दवा डालने की थी या पीड़ित व्यक्तियों के उपचार और उनको देखने-भालने की भी उनकी ड्यूटी थी ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—उसमें टीका लगाना भी था और दूसरे काम भी थे।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार के पास आजमगढ़ से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि सिवाय टीका लगाने के अधिकारियों द्वारा मरीजों के इलाज के लिये और कोई व्यवस्था नहीं की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई शिकायत मुझे याद नहीं पड़ती।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार आजमगढ़ जिले के उन ग्रामों में जहां ये अधिकारी नियुक्त किये गये थे और जहां हैजे का ज्यादा जोर था, इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि इन लोगों ने मरीजों का कोई उपचार नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब शिकायत नहीं आयी तो तहकीकात क्या की जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह अतिरिक्त स्टाफ किस महीने में भेजा गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस बीमारी के जमाने में, ठीक तारीख बताना अभी संभव नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस क्षेत्र में ७६३ मृत्युएं हुईं वहां कोई विशेष अस्पताल बनाया गया उन लोगों के लिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो जो सुविधायें मुनासिब समझी गयीं, उन सबका प्रबन्ध किया गया। इस वक्त डिटेल बताना संभव नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय---मान्यवर, उत्तरों से मालूम होता है कि सितम्बर-अक्तूबर में ३७१ मौतें हुई थीं, तो अप्रैल से २१ अगस्त तक ५ महीने में जो ७६५ मृत्युएं बताई गईं उनको देखते हुये गर्मी और मध्य बरसात के महीने के बाद सितम्बर-अक्तूबर तक बीमारी इतनी क्यों बढ़ी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---दवाई माकूल साबित नहीं हुई।

राजापुर, जिला मेरठ में मत्स्य वर्षा

*४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को पता है कि गत सितम्बर मास में गाजियाबाद में मछली की वर्षा हुई थी ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि गाजियाबाद, जिला मेरठ में गत सितम्बर मास में मछलियों की वर्षा हुई थी। हां, यह सूचना अवश्य मिली है कि १५ सितम्बर १४ तथा सन् १९५७ के बीच रात्रि को गांव राजापुर, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में वर्षा हुई। प्रातःकाल तमाम खेतों में मरी हुई मछलियां पाई गईं।

*५---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार ने उपरोक्त मत्स्य वर्षा के कारणों की जांच विशेषज्ञों द्वारा करायी थी ? यदि हां, तो क्या सदन के सम्मुख उक्त रिपोर्ट पेश की जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सरकार ने इस संबंध में मत्स्य विभाग द्वारा कुछ खोज करने का प्रयत्न किया परन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी मत्स्य विभाग की जांच की रिपोर्ट को सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई फार्मल रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार इस बारे में देश के अन्य वैज्ञानिकों से भी राय लेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई जरूरत नहीं मालूम होती । मछली बरसने दीजिए अन्नाभाव घटावेगी ।

*६-७---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८-१०---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

राजकीय पशु सेवा केन्द्रों तथा पशु चिकित्सालयों के कर्मचारी

*११---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय पशु-सेवा केंद्र तथा राजकीय पशु-चिकित्सालय हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस समय ८६ राजकीय पशु चिकित्सालय (State Veterinary hospitals) तथा ७८३ राजकीय पशु सेवा केंद्र (Stockman Centres) हैं ।

*१२---**श्री यमुनासिंह**---उपर्युक्त पशु सेवा केंद्र तथा पशु-चिकित्सालय में से प्रत्येक में कितने-कितने कर्मचारी किस किस वेतन-क्रम के कार्य करने वाले हैं और उनका कार्य क्या है तथा उनकी ट्रेनिंग की अवधि कितने दिनों की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२-९३ पर)

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार स्टाकमैनों के कार्यभार को देखते हुये उनके वेतन को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री यमुनासिंह---स्टाकमैनों और पशु-चिकित्सकों की एक ही योग्यता होते हुये उनके वेतनों में इतनी विषमता क्यों है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---योग्यता में समता नहीं है ।

लेबर कालोनी, फीरोजाबाद में दो मेहतरों की मैन-होल में मृत्यु

*१३---**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)---क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५-११-५७ को लेबर कालोनी, फीरोजाबाद में जो दो मेहतर कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी उसका क्या कारण था और सरकार ने अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---श्रमायुक्त तथा जिलाधीश द्वारा इस मामले की जांच की गयी थी जिससे यह विदित हुआ है कि यह मेहतर श्रमिक बस्ती फीरोजाबाद के मैनहोल में बिना किसी आज्ञा के सफाई, हेतु गये थे। उनकी मृत्यु उस मैन होल में खराब गैस के कारण अज्ञानतावश हो गयी ।

*१४---**श्री जगन्नाथ लहरी**---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मृतक मेहतरों के परिवार वालों को सरकार ने उनकी मृत्यु के कारण कितना हर्जाना दिया है ? अगर नहीं दिया है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार ने जिलाधीश आगरा को कहा है कि समुचित धन क्षतिपूर्ति के रूप में उन मेहतरों के आश्रितों को दिया जाय ।

*१५--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या श्रम मन्त्री को पता है कि फीरोजाबाद नगरपालिका के हेल्थ आफिसर तथा सेनेटरी इंस्पेक्टर के द्वारा बार-बार चेतावनी देने पर भी लेबर कालोनी के हाउसिंग इंसपेक्टर ने बिना किसी अनुभव के अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज की सफाई का कार्य चालू रखा था तथा उसके लिये आवश्यकीय कर्मचारियों और सामान की स्वीकृति उच्च अधिकारियों से प्राप्त की थी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--यह सही नहीं है कि गृह निरीक्षक ने मेहतरों को Underground drainage की सफाई के कोई आदेश दिये हों ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब यह मेहतर बिना किसी आज्ञा के मैन होल में चले गये तो अधिकारियों को कैसे पता चला कि उनकी उसमें मृत्यु हो गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--लहरी जी की शिकायत पर हमारे अधिकारियों ने जांच की और स्थान पर जाकर यह देखा कि कुछ दिन पहले २ मेहतर जिस आदमी के साथ काम कर रहे थे वह मेहतर भाई हमारे परमानेन्ट एम्पलायी थे । उन्होंने मैनहोल को खोल कर जाने की चेष्टा की थी जो कि विभाग के अधिकारियों के सामने हुई थी उसके लिये उनको ताड़ना दी गई थी, कुछ दिन पहले । अड़ोस-पड़ोस के लोगों की बातचीत से मालूम हुआ कि उन्होंने भी ऐसा ही प्रयत्न किया था ।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार को मालूम है कि जिन मेहतरों की नियुक्ति हुई थी उनकी नियुक्ति केवल २ दिन पहले हुई थी, तो उनको यह आदेश या चेतावनी जो अभी बताई गई है कैसे दी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने यह नहीं कहा कि उन दो भाइयों को चेतावनी दी गई । मथरी को जो पहले काम कर रहा था, यह चेतावनी पहले दी गई थी ।

नर्सों एवं मिडवाइफों को अधिक सुविधायें देने की सिफारिश

*१६--श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नर्स एवं मिडवाइफों के वेतन, भत्ते तथा सुविधाओं को बढ़ाने-हेतु क्या सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

बनारस प्रेस मजदूर सभा की मांगें

*१७--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि "बनारस प्रेस मजदूर सभा" की ओर से २७-३-५७ को उनकी सेवा में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य मांगें क्या थीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--जी हां । मुख्य मांगें तथा शिकायत इस प्रकार थी:

(क) कारखाना निरीक्षक को हिदायत की जाय कि वे एकपक्षीय एवं असंतोषजनक तथा मालिकों को उनके मजदूर विरोधी कार्यों में मदद पहुंचाने वाली नीति को न अपनायें ।

(ख) वाराणसी के मुद्रणालयों में आम तौर पर दो-दो, तीन-तीन माह का वेतन मालिकों द्वारा रोक रखा जाता है ।

(ग) कारखानों की जांच करने में कारखाना निरीक्षक मजदूरों से जानकारी करना आवश्यक नहीं समझते ।

(घ) साढ़े तीन दिन का पैसा तो विद्यामंदिर प्रेस, वाराणसी के कर्मकारों के वेतन से सेवा योजकों ने काट लिया था, को दिलाने के संबन्धमें जब कारखाना निरीक्षक से कहा गया तो उन्होंने मजदूरों से कहा कि यदि वे मुकदमा चलायेंगे तो उनको सजा हो जावेगी ।

*१८--श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उन मांगों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उपरोक्त मांगों एवं शिकायतों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई:

(क) सरकार ने श्रमायुक्त से तुरन्त जांच करने के लिए आदेश दिया। श्रमायुक्त ने डिप्टी चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्ट्रीज से जांच कराई। जांच में वादी संबंधित कारखाना निरीक्षक के विरुद्ध की गयी शिकायत को सही नहीं पाया गया।

(ख) जिन प्रेसों के संबंध में शिकायत थी उसकी जांच एक कारखाना निरीक्षक द्वारा कराई गई। जिन मुद्रणालयों में यह शिकायत पायी गयी उनको भविष्य के लिए ताकीद की गई कि वे कानून के प्राविधानों का उल्लंघन न करें।

(ग) कारखाना निरीक्षकों को यह आदेश पहले से ही है कि वे कारखानों की जांच के समय मजदूरों से भी जानकारी प्राप्त करें। २७-३-५७ को जो निरीक्षक जांच करने गया था उसने कर्मकारों के प्रतिनिधि से बात की थी।

(घ) यह आरोप भी सिद्ध न हो सका। इसके अतिरिक्त कर्मकार नियमों के अनुसार साढ़े तीन दिन के वेतन के अधिकारी नहीं पाये गये।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन से प्रेसों के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करने की शिकायत पायी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उनके नाम हैं काशी आयरन फाउन्ड्री प्रेस, वाराणसी, सुलेमानी प्रेस, वाराणसी, बाम्बे प्रिन्टिग काटेज, वाराणसी, सन्मार्ग प्रेस, वाराणसी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन कारखानों के निरीक्षकों को आदेश होते हुए भी २३-३-५७ के पहले उन्होंने कभी भी मजदूरों से इन शिकायतों के बारे में बातचीत नहीं की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय सदस्य ने २७-३-५७ की जांच के संबंध में प्रश्न किया था, उस दिन कारखाने के प्रतिनिधियों से बात-चीत हुई। उसके पहले और कोई शिकायत नहीं है ।

बस्ती जिले में नवीन जनाने अस्पताल खोलने की मांग

*१९--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बस्ती में जनाना अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जिला बस्ती में डुमरियागंज में जनाना चिकित्सालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बस्ती में जनाने अस्पताल कितने हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——दो हैं ।

श्री धनुषधारी पांडेय——क्या माननीय मंत्री जी बस्ती जिले की जनसंख्या को देखते हुए, यह महसूस करते हैं कि वहां अस्पताल और खोला जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——जरूरत तो मालूम होती है, लेकिन कुछ पाबन्दियां और दिक्कतें हैं, इस वजह से मजबूरी है ।

सफाई गैंग कुलियों को वेतन ग्रेड देने तथा स्थायी करने की मांग

*२०——**श्री उग्रसेन**——क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सफाई गैंग कुलियों की संख्या उनके विभाग में कितनी है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी——प्रदेश में सफाई गैंग कुलियों की संख्या लगभग ४५२ है ।

*२१——**श्री उग्रसेन**——उनका वेतन-क्रम क्या है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी——उनको वेतन स्थानीय दर से, जो जिलाधीश द्वारा मजदूरों के लिये निश्चित किया जाता है, प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है ।

*२२——**श्री उग्रसेन**——उनमें से अधिकांश अब तक स्थायी क्यों नहीं बनाये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी——चूंकि उनको दैनिक वेतन के हिसाब से काम पर रखा जाता है अतः उनके स्थायी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे इन सफाई गैंग कुलियों को औसतन प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——इसकी सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह डेली वेजेज देने की प्रथा स्वास्थ्य विभाग में कब से चालू है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——जब से शुरू हुई तब से चालू है ।

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्न को सूचना मान कर १०, १५ और २० साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको स्थायी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——डेली वेजेज पर जो काम करते हैं, उनके स्थायी बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये लोग २०-२० साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदले जा रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा——उनको रोज जीविका मिलती है, इसलिये नहीं बदले जा रहे हैं ।

श्री उग्रसेन——जब ये सफाई कुली रोज-रोज वहां काम कर रहे हैं तो उनका कोई वेतन-क्रम या ग्रेड बना दिया जाय, जिससे सहूलियत हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——जब तक डेली वेजेज की प्रथा है तब तक ऐसा नहीं हो सकता।

*२३-२४——**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)——[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा जिले की विधूना तहसील में हैजे की रोकथाम के काम

*२६--श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जून तथा जुलाई, १९५७ में इटावा जिले की विधूना तहसील के गांवों में हैजे से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम एवं बीमारों की सहायता के लिये क्या उपाय किये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--इटावा जिले की विधूना तहसील के गांवों में हैजे से कुल ८२ मृत्युयें हुईं, जिनमें २३ मृत्युयें जून और जुलाई महीनों के अन्तर्गत हुईं ।

बीमारी की रोकथाम के लिये तहसील के सभी ग्रसित ग्रामों में अधिकाधिक हैजा निवारक टीके लगाये गये जिनकी संख्या २५,७७८ है । उक्त ग्रामों के ४३२ ग्रसित घरों की सफाई करवाई गई तथा १,०४७ कुओं में दवा छोड़कर नि:संक्रामीकरण किया गया। बीमारों को विलग करने तथा उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध किया गया। एक अस्थायी अस्पताल भी हैजे के रोगियों की चिकित्सा के हेतु खोला गया था।

श्री अभयराम यादव--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी मृत्यु हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार जिन ग्रामों में मृत्यु हुई है, उनमें आगे इस बात का प्रयत्न करेगी कि फिर यह बीमारी न फैलने पावे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--स्वास्थ्य विभाग का बराबर यही प्रयत्न है कि बीमारियां इस सूबे से दूर हो जायं ।

इटावा जिले में मवेशियों की बीमारी

*२७--श्री अभयराम यादव--क्या सरकार को ज्ञात है कि इटावा जिले में मवेशियों की बीमारी सितम्बर, १९५७ के पूर्व करीब एक माह से अधिक दिनों तक चलती रही थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां ।

*२८--श्री अभयराम यादव--क्या यह सही है कि इटावा जिले में विधूना तहसील के अन्तर्गत बेला तथा इसके समीपवर्ती ग्रामों में दो सौ से अधिक मवेशी मरे तथा इटावा तहसील के अन्तर्गत हेवरा ग्राम में ५० के करीब मवेशी मरे ? यदि हां, तो सरकार की ओर से इसकी रोकथाम के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह सही है कि इटावा जिले में विधूना तहसील के अन्तर्गत बेला तथा इसके समीपवर्ती ग्रामों में छूतदार बीमारी फैली और कुल ४६ मवेशी मरे, परन्तु हेवरा ग्राम से कोई भी सूचना बीमारी की नहीं मिली इस पर भी उपचार हेतु ४,००० टीके लगाये गये और हेवरा ग्राम में ३०० पशुओं को पोंकनी रोग और २५० पशुओं को गलघोंटू के टीके लगाये गये ।

श्री अभयराम यादव--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हेवरा केन्द्र पर एक स्टाकमैन करीब १५ साल से नियुक्त है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सम्भवत: ठीक मालूम होता है ।

श्री अभयराम यादव—क्या सरकार को यह मालूम है कि करीब सवा साल से वहां दवा का कोई स्टाक नहीं है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अगर दवा का स्टाक नहीं होगा तो वहां स्टाक भेजने की कोशिश की जायगी ।

*२९—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—[स्थगित किया गया ।]

*३०—**श्री गज्जूराम**—[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१-३३—**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४-३५—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २१ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला बोर्डों द्वारा संचालित डिस्पेंसरियों का प्रान्तीयकरण

*३६—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितनी ऐसी डिस्पेन्सरी हैं, जो जिला बोर्डों के द्वारा चलाई जाती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश में जिला बोर्डों द्वारा संचालित डिस्पेन्सरियों की संख्या ३६४ है ।

*३७—**श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि जिला बोर्डों द्वारा संचालित डिस्पेन्सरियों के प्रान्तीयकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २० डिस्पेन्सरियों का प्रान्तीयकरण करना निश्चित हुआ है ।

कृषि कालेज में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी

*३८—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सरकारी कृषि कालेजों में इस समय कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रदेश में एक ही सरकारी कृषि कालेज है जिसमें ६२२ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ।

*३९—**श्री भजनलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जातियों के हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इनमें से १६ हरिजन तथा ७४ पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी हैं ।

श्री भजनलाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसी अवस्था में यहां सरकार दूसरा कृषि कालेज खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हम तो विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, कालेज को कौन कहे ।

श्री भजनलाल—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि यह विश्वविद्यालय कब तक खुल जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३, ४ वर्ष लगेंगे ।

श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस कालेज में ६२२ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं लेकिन उसमें हरिजन और पिछड़े वर्ग के कमशः १६ और ७४ ही विद्यार्थी हैं, इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आते कम हैं, सम्भवतः यही मालूम होता है, या सुटेबुल नहीं आते होंगे ।

*४०—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण आठवें शुक्रवार में प्रश्न संख्या १२९ से स्थानान्तरित किया गया ।]

*४१-४२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोला चीनी मिल में मेहतरों की छुट्टी के सम्बन्ध में एवार्ड के प्रतिपालन न करने की शिकायत

*४३—**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह पता है कि गोला शुगर मिल में मेहतरों की छुट्टी से संबंधित विवाद संख्या ७०, १९५६ का अभिनिर्णय लागू नहीं किया जा रहा है ? यदि यह सत्य है, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—नहीं, सेवायोजकों का कहना है कि उन्होंने एवार्ड का प्रतिपालन कर दिया है ।

*४४—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—[माल मंत्री से संबंधित, नवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सुल्तानपुर जिले में ट्रैक्टरों के लिये तकावी

*४५—**श्री काशीप्रसाद पांडेय** (जिला सुल्तानपुर)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में सन् १९४८ से १९५७ तक कितने व्यक्तियों को कुल कितनी-कितनी तकावी ट्रैक्टरों के लिये दी गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१९४८ से १९५७ तक सुलतानपुर जिले में एक व्यक्ति को एक ट्रैक्टर के लिये ८,००० रुपये की तकावी दी गई है ।

श्री काशी प्रसाद पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि ९ साल में केवल एक व्यक्ति को ही तकावी के लिये रुपया दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सारे सूबे में ट्रैक्टर्स की तकाबी के लिये एक लिमिटेड नम्बर है, जिलों में कहीं एक है, कहीं २ है और कहीं एक भी नहीं है, इसलिये सुल्तानपुर के हिस्से में भी एक ही पड़ा ।

श्री काशीप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खेती की सुविधा को देखते हुए और पैदावार बढ़ाने के संबंध में कुछ और तकाबी इस काम के वास्ते देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यदि सम्भव हुआ तो देंगे, लेकिन मैं वादा नहीं करता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ट्रैक्टर्स की तकावी का जिलेवार कोई कोटा बंधा है या किस हिसाब से दिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलों को दिया जाता है, हर जिले को नहीं दिया जाता ।

सुल्तानपुर जिले के बिलवाई क्षेत्र में अस्पताल खोलने की मांग

*४६—श्री काशीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार सुल्तानपुर जिले की कादीपुर तहसील के कादीपुर स्थान से पूरब की ओर २० मील दूर बिलवाई स्थान के देहाती क्षेत्र की जनता के लिये निकट भविष्य में कोई अस्पताल खोलने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस क्षेत्र की जनता के लिये बिलवाई ग्राम से ३ मील की दूरी पर रुपईपुर नामक स्थान पर एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित है ।

श्री काशीप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको मालूम है कि इस स्थान पर दवा आदि की सुविधा का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह नहीं मालूम ।

हरदोई जिले में स्त्री चिकित्सालय, संडीला के प्रान्तीयकरण पर विचार

*४७—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में संडीला अस्पताल को सरकार स्वयं अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—केवल स्त्री चिकित्सालय, संडीला के प्रान्तीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । वह कब तक संभव हो सकेगा इस समय निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मेल हास्पिटल, संडीला को अपने अधिकार में लेने के संबंध में सरकार से लगभग २ साल से लिखा-पढ़ी हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वक्त तो मैं नहीं मुकर्रर कर सकता कि कब से हो रही है, लेकिन हो रही है ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार उसको शीघ्र ही लेने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आगामी वर्ष में तो यह सम्भव नहीं प्रतीत होता ।

गन्ना समितियों के अन्तर्गत ९५ रुपये तक मासिक वेतन वालों को ५ रुपया महंगाई भत्ता

*४८—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने ९५ रु० मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ५ रुपये बढ़ाने का निश्चय किया था ? क्या उसमें Cane Federation के भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ ने गन्ना संघ तथा गन्ना समितियों के स्थायी स्थानों पर काम करने वाले ९५ रुपये मासिक पाने वाले सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता १ जनवरी, १९५८ से ५ रुपये बढ़ा दिया गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५ रुपया भत्ता बढ़ाया गया है यह म्युनिसिपल बोर्ड के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भी बढ़ाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गन्दगी संबंधी बात मैं नहीं कहता, मैं, म्युनिसिपैलिटीज का इन्चार्ज नहीं हूं ।

*४९-५०--**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

दवा बनाने वालो को टेक्निकल एक्सपर्टस, बी० फार्म रखने का आदेश

*५१--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दवा बनाने वालों को कुछ दिन पहले Part time chemists रखने पड़ते थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

*५२--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब उक्त लोगों को ऐसे whole time काम करने वाले technical experts B. pharm रखने का आदेश दिया गया है जिनको दवा बनाने का दो वर्ष का अनुभव हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

नगर कम्पोस्ट योजना से संबन्धित सुझावों पर कार्यवाही

*५३--**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया दिनांक २१-९-५७ का कोई पत्र नगर कम्पोस्ट योजना के विषय में प्राप्त हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

*५४--**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उस पत्र में जो सुझाव दिये गये थे उन पर विचार किया गया है पहिला सुझाव यह था कि पेट्रोल ट्रक्स के स्थान पर डीजल ट्रक्स चलाये जायें । इसमें खर्चा बढ़ेगा क्योंकि डीजल ट्रक्स का दाम लगभग २८,००० रु० होता है और पेट्रोल का १८,००० रु० । दूसरी बात यह है कि डीजल ट्रक कच्ची सड़कों पर जल्दी टूटते हैं बनिस्बत पेट्रोल ट्रक के ।

दूसरा सुझाव यह था कि खाद और ढुलाई का खर्च नगद न लिया जाय । बांड भरवाया जाय और फस्ल के वक्त वसूल किया जाय । जो न दे सके उनसे लगान के बकाया के तौर पर वसूल किया जाय । खाद के दाम म्यूनिसिपैलटी को मिलते हैं और उनकी बकाया लगान के तौर पर वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता । ढुलाई के दाम उधार रखना उचित नहीं है । उसका दर घटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा की जाती है कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय शीघ्र होगा ।

*५५--श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)--[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

मुजफ्फरनगर जिले में हरिजनों को सुअर-मुर्गी पालने तथा चमड़ा उद्योग के लिये सहायता

*५६--श्री बादामसिंह--क्या हरिजन कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में गत पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने हरिजनों को सुअर पालने, मुर्गी पालने तथा चमड़ा उद्योग आदि के लिये कितना धन दिया गया ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा-सचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--४३ हरिजनों को कथित-उद्योग धन्धों के लिये ११,३०० रुपया दिया गया था ।

पूर्वी जिलों में अधिक सन्तान निरोधक केन्द्र खोलने की मांग

*५७--श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)--क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में सन्तान निरोधक योजनाओं का व्यापक प्रचार करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां ।

*५८--श्री शिवबचन राव--यदि हां, तो सन् १९५६ और १९५७ ई० में देवरिया, गोरखपुर और बलिया जिलों में सरकार द्वारा किस दिशा में क्या-क्या कार्य हुआ है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सन् १९५६ -५७ के अन्तर्गत प्रदेश में दो नगर परिवार नियोजन केन्द्रों में से एक बलिया में स्थापित किया गया तथा १९५७ -५८ के अन्तर्गत देवरिया, गोरखपुर और बलिया जिलों में क्रमशः कप्तानगंज, निचलौल तथा गरवार विकास खन्डों में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना की योजना है । समाज सेविकाओं (Social workers) के प्राप्त होने पर, ये केन्द्र कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।

श्री शिवबचन राव--क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी जिलों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हर विकास खंड में यह योजना लागू करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सब में योजना खोल देने से ही कुछ नहीं होगा, वहां के लोग भी आत्मसंयम करें, तो ठीक है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--सन् १९५६ में जो केन्द्र माननीय मन्त्री जी ने खोलने के लिये कहा, उनकी प्रगति कैसी रही ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पूर्वी जिलों में साधनों की कमी की वजह से अधिक प्रगति नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पूर्वी जिलों में ५० सेन्टर्स के अलावा और भी सेन्टर खोलने का इरादा सरकार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पूर्वी जिलों के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वह इस में सहायता दें ।

श्री केशव पांडेय--माननीय मन्त्री जी अपने प्रश्न के उत्तर में बतलाया है कि १९५७-५८ में देवरिया और गोरखपुर में ये सेन्टर्स खुल जायेंगे, तो यह साल तो समाप्त हो गया, तो क्या अभी तक कुछ केन्द्र खुले हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी समाप्त नहीं हुआ, ३१ मार्च को समाप्त होगा ।

मत्स्य विभाग के अन्तर्गत संचित जलाशय

*५६—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस प्रदेश में रक्षित जलाशयों की संख्या सन् १९५१-५२ में ३२६ थी और सन् १९५४-५५ में घट कर १७२ रह गई ? यदि हां, तो इसमें कमी के कारण क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सन् १९५१-५२ में संचित जलाशयों की संख्या ८०७ थी जिनका कुल क्षेत्रफल ४,१७५ एकड़ था। १९५४-५५ में ऐसे जलाशयों की संख्या ३८० थी पर उनका कुल क्षेत्रफल करीब १८,११७ एकड़ था। संचित जलाशयों की संख्या में यह कमी सरकार की उस नीति के आधार पर हुई जिसमें यह निर्धारित किया गया कि मत्स्य विभाग अपना कार्य क्षेत्र केवल उन तालाबों में बनाये जिनका क्षेत्रफल ३ एकड़ या इससे अधिक हो और बाकी छोटे तालाबों में मत्स्य पालन कार्य को निजी मत्स्य पालकों द्वारा बढ़ावा दिया जाय।

श्री बलवान सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि तीस एकड़ से ज्यादा वाले तालाब कितने हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी ठीक तादाद बतलाना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री बलवान सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि वह और भी क्षेत्रफल तालाबों के अन्तर्गत बढ़ाने जा रही है और इसके लिये जमीन ले रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वक्त कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि प्रान्त के कितने तालाब मत्स्य विभाग के अन्तर्गत हैं जो नर्सरी तालाब हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

कानपुर में श्रम कमिश्नर के सलाहकार श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी की नियुक्ति पर आपत्ति

*६०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर में श्रम कमिश्नर के कितने सलाहकार और उनकी योग्यता अलग-अलग क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दो सलाहकार हैं :—

(१) श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, आवास तथा श्रम कल्याण सलाहकार। यह एक जन सेवक हैं जो गत ३० वर्ष से श्रम कल्याण कार्य में सतत प्रयत्नशील रहे हैं। यह प्रान्त की विधान सभा में १७ वर्ष तक श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य रहे।

(२) डाक्टर बंशीधर, कार्यकुलशता सलाहकार (Efficiency adviser) आप एम० ए० एल० एल० बी०, पी० एच० डी० (एडिनबरा) डी० लिट् हैं। आप शिक्षा विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो श्रम विभाग में १९४९ से कार्य करते रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें जो सलाहकार श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी हैं, इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जनसेवक की जो शिक्षा होती है और समाज उनको जो शिक्षा देता है, उसको ग्रहण करने की क्षमता जिस किसी में भी हो, यह परम्परा बहुत समय से आज तक चली आ रही है तो इसी परम्परा में यह भी शिक्षित हुए हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन सलाहकारों की अलग-अलग किन-किन तिथियों को नियुक्ति हुई हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—डाक्टर वंशीधर सन् १९४९ से काम कर रहे हैं, लेकिन श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी की निश्चित तिथि इस फाइल पर निश्चित रूप से नहीं दी गई है, इसलिये इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन दोनों सलाहकारों पर गवर्नमेंट का प्रतिमास कितना खर्चा पड़ता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रतिमास खर्चे की सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन डाक्टर बंशीधर को २५०-२५-४००-इ० बी०-३०-७००-इ० बी०-५०-८५० प्लस १५० रुपया स्पेशल पे की शकल में दिया जाता है और जहां तक श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी का प्रश्न है तो उनको २५० रुपया प्रतिमास का आनरेरिया दिया जाता है और इसके अलावा टी० ए० वगैरह भी दिया जाता है ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन सलाहकारों का कार्यकाल कब समाप्त होने जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक बंशीधर जी का प्रश्न है तो यह हमारे रिटायर्ड आफिसर हैं और उनको हर साल एक्सटेन्शन मिलता रहता है । यह नहीं मालूम कि वह कब तक रहेंगे, लेकिन उनकी अभी तक तो आवश्यकता है और सरकार को काफी मदद उनकी सलाहों से मिलती है । मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि श्रम विभाग की एफिशिएन्सी बढ़ाने में ऐसी योग्यता किसी के पास नहीं है । जहां तक सूर्य प्रसाद अवस्थी का सम्बन्ध है तो उनके जिम्मे जो काम दिया गया है, वह उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं और उनके कामों से काफी अच्छे परिणाम भी सरकार को मिले हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनकी नियुक्तियां विज्ञापन के द्वारा प्रार्थना-पत्र मंगा कर की गयी है या किस प्रकार की गई हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सलाहकारों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो दुनिया में नियम लागू किये जाते हैं उसी तरह से इनकी भी नियुक्तियां की गयी हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सलाहकारों का काम क्या है, यह कार्य के सम्बन्ध में सलाह देते हैं या कानूनी सलाह देते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी श्रम कल्याण के कामों में सलाहकार हैं । इंडस्ट्रियल रिलेशंस और औद्योगिक विवादों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

जहां तक डाक्टर बंशीधर का सम्बन्ध है, वे एफिशियेंसी एण्ड स्टेटिसटिक्स सेक्शंस को देखते हैं कि काम कैसे हो, किन कंडीशंस में वर्कर्स से काम अच्छा होगा, अच्छे कारीगर के लिये क्या-क्या चीजें होनी चाहिये, ये सब बातें वे देखते हैं और हमारे जो आंकड़े श्रम विभाग द्वारा संकलित होते हैं उस काम को भी वही देख रहे हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतलायेगी कि यह आवास तथा श्रम कल्याण सलाहकार विभाग कब खुला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह कोई अलग विभाग नहीं है । श्रम आयुक्त के पास एक सेक्शन है लेबर इंडस्ट्रियल सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम और उसके जरिये हमने

श्रमिकों के लिये १८ हजार से ऊपर मकान बनाये हैं। उन मकानों में क्या दिक्कत श्रमिकों को है, कैसे उसे दूर की जाय उसे देखने के लिये एक नान आफिशियल को एसोशियेट किया गया है। जहां तक इस विभाग के अलग खोलने का सम्बन्ध है कांग्रेस सरकार जब पहले ३७–३८ में आई थी तब इस काम की शुरुआत हुई थी, उससे पहले कायम नहीं हुआ था और वह श्रमायुक्त का एक अंग है।

*६१—श्री रामस्वरूप वर्मा—[हटा दिया गया।]

महिला मंगल योजनान्तर्गत नियुक्तियां

*६२—श्री बलवानसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महिला मंगल योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल कितनी महिलाओं की नियुक्ति सन् १९५७ तक हो चुकी है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—महिला मंगल योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल ४११ महिलाओं की नियुक्ति सन् १९५७ तक हो चुकी है।

*६३—श्री बलवानसिंह—महिला योजनान्तर्गत नियुक्ति की गई महिलाओं में से पिछड़ी जाति में से कितनी महिलायें सन् १९५७ तक नियुक्त की गई हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—उपर्युक्त ४११ महिलाओं में २१ महिलायें पिछड़ी जाति की हैं।

श्री बलवानसिंह—क्या सरकार बतालयेगी कि ४११ की जो नियुक्ति हुई है तो क्या इतना ही टार्गेट था ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां।

श्री बलवानसिंह—यह २१ की जो नियुक्ति हुई है तो १८ फीसदी के हिसाब से पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—चूंकि इस योग्यता के प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हो सके।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि इसके लिये क्या योग्यता है जिसके कारण प्रार्थना-पत्र नहीं आ सके ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जिला संयोजिकाओं के लिये इंटरमीडियेट की योग्यता आवश्यक है और ग्राम सेविकाओं के लिये मिडिल से ले कर मैट्रिक तक की योग्यता और गांव में काम करने की एक शर्त इसमें लागू है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री महोदया बतलाने की कृपा करेंगी कि पिछड़ी जातियों में कितनी महिलाओं के प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि इनकी नियुक्ति विभाग द्वारा की गई है या लोक सेवा आयोग द्वारा ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये सेलेक्शन बोर्ड की नियुक्ति होती है और उसके द्वारा सेलेक्शन होने पर नियुक्ति होती है।

राज्य में आयुर्वेदिक सैनिटोरियम खोलने तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रोगी शय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना

*६४—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९५५ एवं ५६ में क्षय का एक आयुर्वेदिक सैनिटोरियम पंचवर्षीय योजना में खोलने की व्यवस्था विचाराधीन थी ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—धन की उचित व्यवस्था न होने के कारण फिलहाल ५० शय्याओं का एक आयुर्वेदिक सैनिटोरियम खोलने का प्रश्न स्थगित कर दिया गया है । इसके स्थान पर ४ शय्याओं का एक आयुर्वेदिक टी० बी० क्लीनिक खोलने का प्रश्न उत्तर प्रदेशीय क्षय निवारिणी समिति के विचाराधीन है ।

*६५—**श्री धर्मदत्त वैद्य**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ रोगी शय्याओं को बढ़ाने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां । सरकार इस ओर यथाशक्ति प्रयत्नशील है ।

*६६—**श्री धर्मदत्त वैद्य**—क्या सरकार सूचना देने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऐसे हैं जहां रोगी शय्याओं का प्रबन्ध है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—२५ आयुर्वेदिक, यूनानी औषधालयों में रोगी शय्याओं का प्रबन्ध है । जिन जिन औषधालयों में रोगी शय्या की व्यवस्था है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९४ पर)

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह धनाभाव के कारण सन् १९५५-५६ के लिये ही स्थगित किया गया या सदा के लिये स्थगित कर दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सदा के लिये नहीं किया ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे ? कि १९५५-५६ के बाद इसके लिये कोई धनराशि क्यों नहीं दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव का संकट अब भी जारी है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या यह ४ रोगी शय्याओं का जो क्लीनिक खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है वह परीक्षण के तौर पर है या वास्तव में सरकार उस क्षय सैनिटोरियम को आयुर्वेदिक सिस्टम पर करना चाहती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोनों बातें इससे साबित हो जायंगी ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६ और १९५७ में कितने चिकित्सालयों में कितनी रोगी शय्याओं की व्यवस्था की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस डिटेल के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री धर्म दत्त वैद्य—सरकार ने रोगी शय्याओं की जो सूची दी है तो क्या कृपा कर माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितनी रोगी शय्या इन स्थानों पर हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—कहीं ४ हैं, कहीं २ हैं—इसी दरमियान में रेंज है ।

*६७-६९—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

सरकारी बीज गोदाम, पड़रौना से वितरित जड़हन देहरादून टाइप नं० ३ की खराबी की शिकायत

* ७०—श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी बीज गोदाम, पड़रौना से सन् १९५७ ई० में जो जड़हन देहरादून टाइप नं० ३ किसानों को बांटा गया, वह कहां से खरीदा गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—स्थानीय कृषकों से खरीदा गया था ।

* ७१—श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त बीज खेत में समय से पहिले फूट कर जीवोत्पादन न हो सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

* ७२—श्री ब्रजनारायण तिवा ी (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन किसानों को जिन के खेत में देहरादून टाइप नं० ३ पैदा नहीं हुआ उनको कुछ सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई ऐसी प्रार्थना सरकार के पास नहीं आई है ।

*७३—७४—श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५-७७—श्री लक्ष्मण राव कदम—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण दस वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४७-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

लखीमपुर सदर अस्पताल में डाक्टरों की कमी की शिकायत

*७८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखीमपुर सदर अस्पताल में कितने डाक्टर व कितनी नर्सों की जगहें हैं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—डाक्टर-२, नर्स-८ ।

*७९—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार वहां पर और अधिक डाक्टर बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—संप्रति नहीं ।

*८०—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार लखीमपुर सदर अस्पताल के हाते से टी० बी० क्लीनिक को बाहर ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायतें मिली हैं कि लखीमपुर सदर अस्पताल में डाक्टरों की कमी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डाक्टरों के बारे में तो नहीं, नर्सों के बारे में कमी मालूम होती है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायतें मिली हैं कि टी० बी० क्लीनिक अस्पताल के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के निवास स्थानों से मिले होने के कारण कई कर्मचारी टी० बी० क शिकार हो गय हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी शिकायत मुझे तो नहीं मिली ।

*८१---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---[२८ माच, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८२---श्री रामचन्द्र विकल---[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी नगर में हैजे से मौतें

*८३---श्री मुकुट बिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी नगर में हैजे के प्रकोप से अगस्त, १९५७ में कितनी मौतें हुईं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---बाराबंकी नगर में अगस्त, १९५७ के महीने में हैजे से कुल ४७ मृत्युयें हुई हैं ।

श्री मुकुट बिहारीलाल अग्रवाल---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में ४७ संख्या बतायी गयी है, इसके अतिरिक्त जिले के अन्य भागों से आये हुए लोग भी बाराबंकी अस्पताल में मरे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय प्रश्नकर्त्ता को तो पता ही है । वह हमसे इत्तलाआत पूछ सकते हैं, इत्तला दे थोड़े ही सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न में केवल बाराबंकी नगर के लिये पूछा गया था ।

बस्ती का मैंगो रिसर्च इन्स्टीट्यूट

*८४---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बस्ती में (Mango Research Institute) निकट भविष्य में खोला जा रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कब तक उसके खुल जाने की सम्भावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---बस्ती में Mango Research Station की स्थापना वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में ही की जा चुकी है ।

यू० पी० फ्रूट डेवलपमेन्ट बोर्ड को अधिक सुविधायें देने की सिफारिश

*८५---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० फल विकास बोर्ड (U. P. Fruit Development Board) को फलों की विक्रय संबंधी समस्याओं का हल करने के लिये वह किन सुविधाओं को प्रदान करने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---कोई नहीं ।

*८६---श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार इसके लिये धन की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार के पास यू० पी० फ्रूट डेवलपमेंट बोर्ड ने इस सिलसिले में कोई रेप्रेजेन्टेशन भेजा है कि मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज दिलाने के लिये उसको कुछ रुपया दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५५-५६ से पहले साढ़े १२ हजार रुपया उनको आर्गेनाइजेशन के लिये देते थे, अब हम साढ़े ७ हजार रुपया और दे रहे हैं। हम समझते हैं कि यह रकम काफी है जिससे वे इन्तजाम कर सकेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार को यह बात मालूम है कि फ्रूट डेवलपमेंट बोर्ड इस बात की कोशिश कर रहा है कि मार्केटिंग की कुछ मंडियां कायम करे और ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम अपने हाथ में ले जिसके लिये काफी रुपये की जरूरत होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका विवरण तो मेरे पास नहीं आया है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार इन सवालों की बिना पर जो मैंने उसके सामने पेश किये हैं इस मामले पर गौर करने के लिये तैयार होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब ऐसी कोई मांग आयेगी तो जरूर उस पर विचार तो किया ही जायगा।

सिविल सर्जन, आजमगढ़ का बाहर से दवायें न खरीदवाने के सम्बन्ध में मेडिकल अफसरों को आदेश

*८७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन, आजमगढ़ ने १२ सितम्बर, सन् १९५७ को पत्र संख्या ४-५७ द्वारा जिले के समस्त मेडिकल अफसरों को इस प्रकार का आदेश दिया है कि मेडिकल अफसर किसी रोगी को बाहर से दवाई लाने के लिये नहीं कह सकते हैं ? यदि हां, तो क्या वे उस आदेश की प्रतिलिपि सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---जी हां, पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन, आजमगढ़, ने जो आदेश मेडिकल आफिसर्स को प्रसारित किया है क्या इस प्रकार का कोई आदेश तमाम सिविल सर्जनों को सरकार की ओर से भी भेजा गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यहां से तो अक्सर ऐसे डायरेक्शन्स हुआ करते हैं कि जितने मेडिकल अफसर हैं सबको हिदायत कर दी जाय कि जो दवायें अस्पताल में हों वे मरीजों को जरूर दी जायं, उनसे खरीदने के लिये न कहा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो दवायें अस्पताल में न हों उनके बाहर से मंगाने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है यह क्यों लगाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सब दवायें सब अस्पतालों में एक वक्त नहीं हो सकतीं। नये-नये रोगों की दवाई की जब खोज की जाती है तो यह सम्भव नहीं है कि सब दवायें सारे अस्पतालों में मौजूद हों।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२ सितम्बर, १९५७ को जो पत्र संख्या ४-५७ आजमगढ़ में भेजा गया तो क्या वह समस्त प्रान्त भर में भेजा गया या केवल आजमगढ़ को ही भेजा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह पत्र आजमगढ़ के सिविल सर्जन ने भेजा है, सरकार ने नहीं भेजा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या कृषि मंत्री पुनः बताने की कृपा करेंगे कि जो यह आदेश समस्त मेडिकल अफसरों को सिविल सर्जन ने भेजा, तो जो दवाई उस वक्त अस्पताल में न मौजूद हो उसको भी बाहर से मंगाने पर प्रतिबन्ध क्यों लगा दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्योंकि मरीज जल्दी ले आयेगा और सरकारी तरीके से मंगायी जायगी तो विलम्ब होगा ।

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब यह है कि जो दवायें अस्पताल में न हों, उनको बाहर से मंगाने के लिये मरीज को क्यों रोका गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह नहीं रोका गया कि वह बाहर से न लायें ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--पढ़िये, हुक्म यही है ।

श्री अध्यक्ष--आप एक्सप्लेन कर दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--श्रीमन्, बात यह है कि अक्सर शिकायतें आया करती थीं कि दवाओं के होते हुए भी डाक्टर लोग बाहर से खरीदवाते हैं, यह बेजा था, इसलिये यह हिदायत दी गई कि अस्पताल में अगर दवा हो तो बाहर से खरीदने के लिये न कहा जाय और जो वहां न हो उसके लिये तो वह जहां से चाहें ला सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--आप जरा पढ़ दीजिये तो अच्छा होगा । इसमें यह है कि:--

"It has been observed by me that Medical Officers are in the habit of prescribing medicines to be purchased locally by patients attending the hospital. This practice must stop forthwith, No prescription should be issued advising patients to purchase medicines from the local market."

मैं इस पर जोर दे रहा हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आर्डर तो ठीक है, लेकिन अल्फाज जरा और साफ होते तो बेहतर हो जाता ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के देने के विशेष कारण क्या हुए जिससे यह आदेश दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बतला दिया, मैं रिपीट करने के लिये नहीं कहूंगा ।

देवरिया गन्ना विकास समिति के ८ चपरासियों का निकाला जाना

*८८--**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया पंजाबी गन्ना विकास समिति के कितने अस्थायी कर्मचारी माह जनवरी, १९५८ ई० में अपनी सेवाओं से अलग किये गये और क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--देवरिया गन्ना विकास समिति के ८ सीजनल चपरासी असन्तोषपूर्ण कार्य होने के कारण अपनी सेवाओं से अलग कर दिये गये ।

*८९--**श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी**--क्या ये कर्मचारी इस सीजन के प्रारम्भ होने के पूर्व स्वीकृत सूची में गत वर्ष के अच्छे काम के आधार पर, अ, या ब श्रेणी में थे ?

नोट--प्रश्न ८९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, ये कर्मचारी 'अ' श्रेणी में थे ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह कर्मचारियों की लिस्ट मेन्टेन की गई तो उस समय उनके करेक्टर के बारे में जांच की गई या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब वह मुकर्रर हुए तो उससे पहले कैसे पता चलता ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---जब उत्तर में लिखा हुआ है कि यह 'अ' श्रेणी के कर्मचारी थे और इनका काम असंतोष पूर्ण था, तो क्या मंत्री जी असंतोषपूर्ण होने का विवरण बतायेंगे कि वह क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बोर्ड आफ डायरेक्टर्स करते हैं, उनसे पता चल सकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब किसी सोसायटी को किसी कर्मचारी के रखने और बरखवास्त करने के अधिकार नहीं हैं और गन्ना संघ को अधिकार है तो फिर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने इनको बरखवास्त कैसे कर दिया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---रूल्स बना रखे हैं कि जो अप्वाइंट करता है वही बरखवास्त करता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी शिकायत आई है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में आपस की खींचातानी की वजह से इन कर्मचारियों को निकाला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई ।

*९०-९१---**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---[माल मंत्री से संबंधित दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११०-१११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पंजाब शुगर मिल लेबर एसोसिएशन, देवरिया का आवेदन-पत्र

*९२---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार के श्रम विभाग के पास देवरिया जिले की पंजाबी चीनी मिल, रामकोला के मजदूरों का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त मिल मैनेजमेंट की भी शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये ?

आचार्य जुगलकिशोर---पंजाब शुगर मिल लेबर एसोसिएशन, देवरिया की ओर से १ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मजदूरों की कुछ मांगें प्रस्तुत की गई थीं । जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि कुछ मांगें प्रादेशिक संराधन अधिकारी द्वारा तय हो गई । तथा कुछ के बारे में संराधन समिति के समक्ष भेजने की सलाह दी गई ।

बिलग्राम विकास क्षेत्र में अनाज की उपज

*९३---**श्री मोहनलाल वर्मा**---क्या सरकार बिलग्राम ब्लाक में १९५१ से १९५७ तक अलग-अलग वर्षों के प्रति एकड़ गल्ले की उपज के आंकड़े देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५१ से १९५३-५४ के आंकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि बिलग्राम विकास क्षेत्र की स्थापना सन् १९५४ में हुई थी। सन् १९५४-५५ से १९५६-५७ तक धान, गेहूं, जौ, चना तथा मक्का के प्रति एकड़ उपज के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

	१९५४-५५ प्रति एकड़ औसतन मनों में		१९५५-५६ प्रति एकड़ औसतन मनों में		१९५६-५७ प्रति एकड़ औसतन मनों में	
	मन	सेर	मन		मन	
धान	१३	..	१४		१५	
गेहूं	६	२०	४		१०	
जौ	७	..	४		९	
चना	८	..	३		१०	
मक्का	१२	..	१०		१५	

*९४--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९५--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*९६-९७--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)--[२८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में खुलने वाले चिकित्सालय

*९८--श्री नन्दराम गुप्त (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रतापगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने अस्पताल खोलने का विचार रखती है और किस-किस स्थान पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जिले में इस वर्ष खांडवा नामक स्थान पर एक प्राइमरी हेल्थ यूनिट खुलना स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत इस जिले में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का भी विचार है, यह औषधालय कहां पर खुलेगा इसके सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

राजकीय कृषि विद्यालय

*९९--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० में सरकारी तथा सहायता प्राप्त एग्रीकल्चर स्कूल कहां-कहां हैं ? और ऐसे सहायता प्राप्त तथा सरकारी एग्रीकल्चर स्कूल कहां-कहां है जिनके पास खेती करने को जमीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बुलन्दशहर, गोरखपुर और चिरगांव (झांसी) में राजकीय कृषि विद्यालय हैं। सहायता प्राप्त कृषि विद्यालय कहीं भी नहीं हैं। उपरोक्त सभी राजकीय कृषि विद्यालयों के पास खेती करने की जमीन है।

*१००--श्री भूपकिशोर--क्या जिन स्कूलों के पास जमीन खेती करने को है उन्हें सरकार की ओर से खेती के औजार भी दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

*१०१--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

डिवाई, जिला बुलन्दशहर में महिला अस्पताल खोलने की योजना

*१०२--श्री हिम्मत सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कस्बा डिवाई में वह महिला अस्पताल खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिवाई में महिला चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि यह चिकित्सालय कब तक खोला जा सकेगा ।

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में बदायूं जिले के विद्यार्थी

*१०३--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर एग्रीकल्चर कालेज में बदायूं जिले के कितने विद्यार्थी सन् १९५४-५५, १९५५-५६ व १९५६-५७ में दाखिल किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में बदायूं जिले के दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :

सन्	विद्यार्थियों की संख्या
१९५४-५५	१
१९५५-५६	१
१९५६-५७	..

डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, बदायूं में टी० बी० के मरीज

*१०४--श्री टीकाराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, बदायूं में टी० बी० के कितने बीमार दाखिल हुये और कितनों को आराम हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला अस्पताल बदायूं में सन् १९५६-५७ में २५८ टी० बी० के मरीज दाखिल हुए, जिनमें से १९ मरीजों को आराम हुआ ।

रबी की फसल को चूहों से बचाने के लिए प्रबंध करने की प्रार्थना

*१०५--श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रबी की फसल में किसान की खेती में चूहे लग जाते हैं जिससे पैदावार में काफी नुकसान होता है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार कुछ प्रबन्ध करने का कष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--किसानों की फसल में चूहों द्वारा नुकसान पहुंचने की सूचना जहां से भी मिलती है, वहां उन्हें नष्ट करने का प्रबन्ध कृषि रक्षा सेवा द्वारा किया जाता है ।

प्राकृतिक चिकित्सालय, अजगरा, जिला वाराणसी को अनुदान की आवश्यकता

*१०६--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--क्या स्वास्थ्य-मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सालय, अजगरा, परगना वरह, जिला वाराणसी में सरकार कितना धन देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस चिकित्सालय के संबंध में सहायतार्थ कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१०७-१०८--श्री लोकनाथ सिंह--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

इटावा जिले में रबी के बीज का वितरण

*१०९--श्री सुखलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में कितने सरकारी बीज गोदाम हैं और उनके द्वारा रबी की बुवाई के लिये कितना बीज इस वर्ष वितरण हुआ और कितना बीज बाकी रहा और कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला इटावा में निम्नलिखित ६ कृषि बीज भंडार हैं । इनके द्वारा सन् १९५७-५८ में रबी की बुवाई के लिये ११,२६० मन बीज वितरण किया गया तथा कुछ भी बीज बाकी नहीं बचा ।

(१) औरइया
(२) विधूना
(३) भरथना
(४) इटावा
(५) ऊदी
(६) राजपुर

*११०-१११--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

गोवंश के चर्म और अस्थियों का कथित निर्यात

*११२--श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--क्या सरकार को यह मालूम है कि मुरादाबाद तथा रामपुर में गोवंश की आंतें बाहर भेजने का व्यापार होता है ? यदि हां, तो क्यों, और क्या सरकार गोवंश की आंतों का व्यापार तथा निर्यात बन्द करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*११३--श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से कत्ल की हुई गोवंश की खालें कानपुर, आगरा तथा प्रान्त से बाहर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि ले जाई जाती हैं ? यदि यह ठीक है, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*११४--श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले में रबी के बीज का वितरण

*११५--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी जिले में कितना बीज रबी की बोवाई में किन-किन सेंटरों में बांटा गया और किन जगहों में जनता के मांगने पर बीज नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--खीरी जिले के ८ बीज भंडारों से २१,४४० मन ३३ सेर रबी बीज वितरण हुआ जिसका विस्तृत विवरण संलग्न है । कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जनता के मांगने पर बीज न दिया गया हो ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९६ पर)

*११६--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितना खरीदा हुआ बीज अब बेचा जा रहा है और क्या वह निश्चित दामों से कम में नीलाम किया जा रहा है ?

*११७--क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार की खरीद फरोख्त से सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कृषि बीज भंडारों से कोई क्रय किया हुआ बीज बेचा नहीं जा रहा है अतः किसी घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*११८-११९--श्री लोकनाथ सिंह--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२०--श्री गज्जूराम--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२१-१२२--श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)--[२८ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर हरिजन कल्याण समिति द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियां

*१२३--श्री अमरनाथ--क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ के लिये गोरखपुर हरिजन कल्याण समिति द्वारा कितने हरिजन छात्रों को कितना धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--अब तक २९३ हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं, जिन पर ३५,९७६ रु० इस वर्ष व्यय होगा ।

*१२४--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन विशेष योग्यताओं और आधारों पर हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री मंगला प्रसाद--उनकी योग्यता तथा निर्धनता और जिला हरिजन कल्याण उप-समिति के परामर्श के आधार पर ।

*१२५--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन समिति, गोरखपुर का संगठन किन आधारों पर किया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद--अन्य सभी जिलों की भांति शासकीय आदेश के अनुसार ।

जिला हरिजन कल्याण आफिसर्स के वलर्कों तथा चपरासियों की नियुक्ति के लिये आदेश

*१२६--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरिजन कल्याण आफिसर्स के लिपिकों तथा चपरासियों की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गई है ?

श्री मंगला प्रसाद--कथित नियुक्तियों के आदेश जारी हो चुके हैं ।

टेहरी गढ़वाल जिले के चिकित्सालयों के लिये औषधियों का क्रय

*१२७--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी गढ़वाल में जनस्वास्थ्य हेतु इस वर्ष कितनी दवाइयां खरीदी गईं और कितनी बांटी गईं और कितनी अभी बंटने को बाकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--टेहरी गढ़वाल के समस्त एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिये इस वर्ष ५०,१०० रु० का अनुदान था । इसमें से अनुमानतः ३०,००० रु० की औषधियां

सब एलोपैथिक चिकित्सालयों द्वारा वितरित की जा चुकी हैं। शेष धनराशि की औषधियों के लिये फर्मों को आदेश दे दिये हैं जिनमें से भी बहुत सी औषधियां चिकित्सालयों में पहुंच चुकी हैं और शेष बहुत जल्द पहुंचने की आशा है।

इस जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये इस वर्ष २४,८३५ रु० की दवाइयां खरीदी गईं। इन दवाइयों का ५।६ हिस्सा अब तक वितरित किया गया है और शेष इस वर्ष के अन्त तक वितरित किया जायेगा।

नन्दगंज, जिला गाजीपुर के सरकारी अस्पताल में रोगियों के लिये रसोइया की आवश्यकता

*१२८--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नन्दगंज, गाजीपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों के पथ्य अथवा भोजन बनाने के लिये कोई भोजनालय है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

शिल्पकार सुधारिणी सभा, कुमायूं का शिल्पकार भवन के लिये प्रार्थना-पत्र

*१२९--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृप करेगी कि जिला अल्मोड़ा के स्थान बागेश्वर में शिल्पकार सुधारिणी सभा-कुमाऊं की ओर से कितने प्रार्थना-पत्र शिल्पकार सभा भवन बनाने का स्थान चाहने हेतु सन् १९५१ से १९५५ तक जिला अधिकारियों को प्राप्त हुए और इन प्रार्थना-पत्रों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मंगला प्रसाद--उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा केवल एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जो कि अस्वीकार कर दिया गया।

बेगार तथा अस्पृश्यता के विरुद्ध हरिजन कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ को शिकायती-पत्र

*१३०--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या हरिजन कल्याण मंत्री को पता है कि इस वर्ष हरी, बेगार एवं अस्पृश्यता सम्बन्धी तहसील पट्टी के तीन प्रार्थना-पत्र जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ के पास भेजे गये हैं ? यदि हां, तो भारतीय दन्ड विधान और सामाजिक असमर्थता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

पिछड़े वर्ग संघ, इटावा द्वारा कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में सम्मिलित करने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१३१--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछड़े वर्ग संघ, इटावा की ओर से कोई पत्र राष्ट्रपति के द्वारा सरकार के पास ऐसा आया है जिसमें कुम्हार, कहार, नाई, बारी, भुर्जी, तेली जाति को प्रान्त की सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती करने वाली १५ बैकवर्ड जातियों में जोड़ने की मांग की गई हो ? यदि हां, तो सरकार ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

श्री मंगला प्रसाद---जी हां, ऐसा एक पत्र आया है जिसमें नाई, तेली, कहार, कुम्हार, भर जातियों को १५ पिछड़ी जातियों की उल्लिखित सूची में जोड़ने की मांग की गयी है। १५ पिछड़ी जातियों की उक्त सूची में भर जाति पहले से ही सम्मिलित है। शेष जातियों के विषय में मामला विचाराधीन है।

प्रश्न में उल्लिखित बारी, भुर्जी जातियों के हेतु कथित पत्र में ऐसी कोई मांग नहीं की गई है।

मुजफ्फरनगर जिले में निर्धन हरिजनों को भवन निर्माणार्थ सहायता

*१३२---श्री बादाम सिंह---क्या हरिजन कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की भांति दी जाने वाली धनराशि निर्धन हरिजनों के भवन निर्माण हेतु जिला मुजफ्फरनगर में अभी तक नहीं दी गई इसका क्या कारण है ?

श्री मंगला प्रसाद---कथित अनुदान प्रदान किया जा चुका है।

झांसी और हमीरपुर जिलों में कुष्ठ तथा कैन्सर रोगों की रोकथाम के लिये प्रार्थना

*१३३---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड के झांसी और हमीरपुर जिलों में कुष्ठ रोग तथा कैंसर का रोग बढ़ रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है।

*१३४---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी और हमीरपुर में कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिये चिकित्सकों का कोई दल भेजा गया है ? यदि हां, तो कब और कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, चिकित्सक सहित एक यूनिट झांसी जिले में २५ दिसम्बर, १९५६ को भेजा गया था। हमीरपुर जिले के लिये शीघ्र प्रबन्ध की व्यवस्था की जा रही है।

सहारनपुर जिले के लिये कूप निर्माण योजना

*१३५---श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या हरिजन सहायक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिला में और कितने कुएं हरिजनों के लिये बनवाने की योजना है ?

श्री मंगला प्रसाद---प्रश्न कुछ अनिश्चित सा है।

यदि सदस्या महोदया का मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से है तो उक्त काल में १६८ कुएं बनवाने की योजना है।

सहारनपुर जिले में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१३६---श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष (१९५६-५७) जिला सहारनपुर में कितने हरिजन छात्र तथा छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गयी है ?

श्री मंगला प्रसाद---४७३ हरिजन छात्रों को तथा ३७ हरिजन छात्राओं को।

*१३७–श्रीमती शकुन्तला देवी––क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष (१९५६–५७) उक्त जिले में छात्रवृत्ति के रूप में कुल कितनी रकम दी गई और वह किस आधार पर वितरित की गई है ?

श्री मंगला प्रसाद––कुल २४,६४८ रुपये दिये गये ।

माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की योग्यता के आधार पर तथा हरिजन कल्याण उप-समिति के परामर्श से छात्रवृत्तियां वितरित की गईं ?

स्थानीय निकायों की पाठशालाओं में छात्रवृत्तियां निकायों के अध्यक्षों द्वारा वितरित की गईं ।

राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अन्न पूर्ति का प्रबंध

*१३८––श्री गौरी शंकर राय––इस वर्ष के सूखा और बाढ़ से उत्तर प्रदेश में कितने लाख टन अनाज की क्षति होने का अनुमान है और उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––लगभग १,३८,००० लाख टन अनाज की क्षति होने का अनुमान है जिसकी पूर्ति के लिये विदेशी गेहूं तथा इस प्रदेश में खरीदे हुए मोटे अनाजों को अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर वितरण करने का प्रबन्ध किया गया है । परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार के पास इस समय खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश से गेहूं के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध है और प्रदेश के पूर्वी १४ जिलों से चावल तथा धान के बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है । साथ ही साथ मोटे अनाज तथा चावल का आयात भी इन क्षेत्रों में जारी रखा गया है ।

हरदोई जिले में हरिजनों को दी गयी सहायता के वितरण में अनियमितता की शिकायतें

*१३९––श्री बुलाकीराम––क्या सरकार को सन् १९५७ में जिला हरदोई के हरिजनों को मकान, कुआं तथा उद्योग धन्धों के लिये दी जाने वाली ग्रान्ट्स के वितरण में अनियमितता की जाने की कोई शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंगला प्रसाद––जी हां ।

इन शिकायतों की जांच हो रही है ।

फैजाबाद जिले में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१४०––श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)––क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९५७–५८ में फैजाबाद जिले में लघु माध्यमिक कक्षाओं तथा उच्चतर कक्षाओं में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री मंगला प्रसाद––वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१४१––श्री सुखरामदास––क्या इन छात्रवृत्ति पाने वालों में छात्रायें भी हैं ?

श्री मंगला प्रसाद––वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

नैनीताल जिले में थाड़ू तथा बोक्सा जातियों को शिक्षित करने की प्रार्थना

*१४२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार ने नैनीताल जिले की थाड़ू तथा बोक्सा जन-जातियों को साक्षर बनाने हेतु कोई विशेष योजना बनायी है ? यदि हां, तो उस योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१४३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन पिछड़ी जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु अब तक क्या-क्या प्रयत्न किये गये ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

खीरी जिले में औषधालयों को सहायता

*१४४--श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी में सन् १९५६-५७ में किन-किन आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये सरकारी सहायता स्वीकार की गई तथा उनमें से किन-किन को मिली और किन-किन को नहीं मिली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क--जिला खीरी में सन् १९५६-५७ में निम्नलिखित औषधालयों को सरकारी सहायता स्वीकार की गई:--

		रु०
(१)	श्रीमती विद्यावती मिश्र, स्त्री चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी ..	१००
(२)	श्री शिवेन्द्र वैद्य, बवारा, पोस्ट हसनपुर कटौली ..	१००
(३)	श्री केदार नाथ, बजरा, पुर्वा, पो० अमेठी ..	१००
(४)	श्री राम नरायण, रमेश औषधालय, पसगवां ..	१५०
(५)	श्री मोहम्मद कासिम खां, अछनियां, पोस्ट नीमगांव ..	१००

ख--सर्वश्री रामनरायण व मोहम्मद कासिम खां को सहायतार्थ धनराशि उसी साल मिल गई थी किन्तु श्रीमती विद्यावती मिश्र व सर्वश्री शिवानन्द तथा केदारनाथ को सहायतार्थ धनराशि न प्राप्त हो सकी क्योंकि एकाउन्टेन्ट जनरल की अथार्टी वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व प्रार्थियों के पास न आ सकी । अतएव इन सबको इस साल फिर से सहायता स्वीकृत कर दी गई है ।

हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां

*१४५--श्री गनेशी लाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के कितने प्रार्थना-पत्र छात्रवृत्ति के हेतु प्राप्त हुए ?

श्री मंगला प्रसाद--समय तथा परिश्रम जो प्रश्न के उत्तर के लिये सूचना एकत्र करने में लगेगा, उत्तर का परिणाम उसके सममात्रिक नहीं होगा ।

फिर भी इस सम्बन्ध में जो आंकड़े सरकार को अबतक उपलब्ध हो सके हैं, उसके अनुसार छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या ३२,७२८ है । इन आंकड़ों में वे सब प्रार्थना-पत्र सम्मिलित हैं जो स्थानीय निकायों की पाठशालाओं, जूनियर हाई स्कूलों, हायर सेकेन्डरी स्कूलों, वोकेशनल स्कूलों तथा डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं आदि की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित हैं । किन्तु ये आंकड़े सम्पूर्ण नहीं हैं ।

*१४६--श्री गनेशीलाल चौधरी--१९५६-५७ में कितनी पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं ?

श्री मंगला प्रसाद--८,८६६ छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई थीं।

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में चिकित्सालयों की कमी की शिकायत

*१४७--श्री अमरनाथ--क्या सरकार महाराजगंज तहसील, जिला गोरखपुर के देहाती क्षेत्रों में अस्पतालों की कमी की पूर्ति पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस तहसील में इस समय पांच आयुर्वेदिक तथा १० एलोपैथिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं। पांच वर्गमील की परिधि में एक अस्पताल के आधार के अनुसार इस तहसील में केवल ९ अस्पताल होने चाहिए। अतः अधिक अस्पताल खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजीपुर जिले में नवीन चिकित्सालय खोलने की योजना

*१४८--श्री यमुना सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में १९५६-५७ में भीमापार में एक यूनानी औषधालय तथा सईदपुर में एक जनाना तथा एक मर्दाना एलोपैथिक अस्पताल खोला गया। सन् १९५७-५८ में वाराचवर में एक प्राइमरी हेल्थ यूनिट खुलना स्वीकृत हुआ। एलोपैथिक चिकित्सालय के विषय में जिला नियोजन समिति तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के विषय में जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति यदि कुछ योजना देगी तो उस पर सरकार अवश्य विचार करगी।

*१४९--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार गाजीपुर जिले के धामपुर ग्राम में राजकीय औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न संख्या १४८ के अन्तिम भाग के अनुसार यदि धामपुर की सिफारिश की गई तो सरकार अवश्य विचार करेगी।

लखनऊ जिले के गंजरिया सरकारी कृषि यांत्रिक फार्म में लाइवस्टाक सुपरवाइजर्स के प्रशिक्षार्थी

*१५०--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लखनऊ के गंजरिया सरकारी कृषि यांत्रिक फार्म में इस समय लाइव स्टाक सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग में कितने विद्यार्थी हैं, कितने पिछले वर्ग के और कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस समय १९७ विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं। जिनमें २ हरिजन तथा १३ पिछड़े वर्ग के हैं।

*१५१--श्री रामशरण यादव--क्या सरकार उक्त विद्यार्थियों को उक्त ट्रेनिंग का सर्टीफिकेट देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लाइवस्टाक हस्बेन्डरी का डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।

सम्पूर्णानन्द नगर के निकट कृषि फार्म में ली गयी ग्रामीणों की जमीन

*१५२--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्णानन्द नगर में जो सरकार खेती का फार्म खोल रही है उसमें कितने ग्रामीणों की जमीनें ली जा रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्पूर्णानन्द नगर के निकट खोले गये सरकारी फार्म के लिये २९ ग्रामीणों की भूमि प्राप्त की गई है।

बरेली जिले में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१५३--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में बरेली जिले में Schedvled castes व Backward classes के कितने-कितने विद्यार्थियों को सरकार ने Scholarships दिये हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*१५४--श्री शिवराज बहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त वर्ष में उपर्युक्त वर्गों के कितने विद्यार्थियों ने सरकार से वजीफा (Scholarships) प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

जौनपुर जिले में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हरिजन छात्रों संबंधी फीस का अनुदान विलम्ब से मिलना

*१५५--श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या जौनपुर जिले में बहुत से मान्यता प्राप्त सेकेन्डरी स्कूलों को हरिजन छात्रों की फीस का धन इस आर्थिक वर्ष में नवम्बर मास के अन्त तक एक माह का भी नहीं मिला था ?

श्री मंगला प्रसाद--कुछ स्कूलों को यह अनुदान दे दिया गया था तथा कुछ को उक्त समय तक नहीं दिया जा सका।

*१५६--श्री लालबहादुर सिंह--इस धन को समय के अन्दर न मिलने के कारणों पर क्या शिक्षा मन्त्री कृपया प्रकाश डालेंगे ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके कारण थे बजट में इस हेतु आरम्भिक प्रविधान का अपर्याप्त होना तथा अतिरिक्त अनुदान (Supplementary Allotment) का कथित समय तक उपलब्ध न होना।

अतः इस प्रकार उक्त समय तक स्थानीय अधिकारियों ने कुछ ही मान्यता प्राप्त सेकेन्डरी स्कूलों को यह अनुदान दिया था।

प्रतापगढ़ जिले में हरिजन रात्रि प्रौढ़ पाठशालाओं एवं हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पूरे पितई के अध्यापकों का वेतन रुक जाना

*१५७--श्री रामकिंकर--क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ की समस्त हरिजन रात्रि (प्रौढ़) पाठशालाओं के अध्यापकों को ९ मास से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मंगला प्रसाद--आवश्यक अनुदान स्वीकृत होने के बावजूद संस्थाओं के प्रबन्धकों ने आवश्यक मांग-पत्र (Bill) जिला विद्यालय निरीक्षक को समय पर प्रस्तुत नहीं किये। इस कारण कथित वेतन का भुगतान नहीं हुआ।

*१५८--श्री रामकिंकर--क्या हरिजन कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निकट भविष्य में हरिजन संस्थाओं को अलग से न चला कर जिला बोर्डों के अन्तर्गत करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

*१५९--श्री रामकिंकर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन प्राइमरी पाठशाला पूरे पितई (प्रतापगढ़) के अध्यापकों का वेतन ९ माह से क्यों रोक लिया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद--कथित पाठशाला में अध्यापकों की संख्या वहां के हरिजन छात्रों की संख्या के अनुपात में अत्यधिक थी। इस सम्बन्ध में संस्था के मैनेजर से अनेक बार पूछताछ करने पर भी कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो सका। फलस्वरूप आवश्यक अनुदान की स्वीकृति संस्था पहले नहीं दी गई थी।

फिर भी अब स्थानीय अधिकारियों की आख्या के आधार पर दो अध्यापकों के वेतन हेतु पूरे वर्ष का अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है।

सहारनपुर जिले में ट्रेन्ड नर्सों की कमी

*१६०--श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि सहारनपुर जिले में ट्रेन्ड नर्सों की कमी है और उक्त जिले में समाज कल्याण केन्द्रों पर ट्रेन्ड नर्सें नहीं मिल रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा।

गाजीपुर जिले में प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*१६१--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने हरिजन विद्यार्थी प्राइमरी पाठशाला तथा मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं और कितनों को सरकार की तरफ से वजीफा दिया जाता है ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

हरिजन विभाग द्वारा प्रचार कार्य पर व्यय

*१६२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५६-५७ में हरिजन विभाग में प्रचार कार्य के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ और केन्द्रीय सरकार का उसमें कितना भाग था ?

श्री मंगला प्रसाद--१,१०,००० रुपये। इसमें केन्द्रीय सरकार का आधा भाग था यानी ५५,००० रुपये।

*१६३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने प्रचारक सन् १९५६-५७ में हरिजन विभाग में रखे गये और इनके चुनाव का आधार क्या था ?

श्री मंगला प्रसाद--१२२ समाज सेवक। इनका चुनाव एक चुनाव समिति (Selection Committee) द्वारा किया गया था।

खीरी जिले में हरिजन कल्याणार्थ धन तथा कर्मचारियों को स्वीकृति

*१६४--श्री छेदी लाल (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में हरिजन सहायक विभाग से सन् १९५६ व १९५७ में कितना रुपया हरिजनों को सहायता हेतु दिया गया है और किन-किन मदों में दिया गया है और वह रुपया खर्च हो गया है या बाकी है ? यदि बाकी है, तो किन-किन मदों में ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१६५--श्री छेदी लाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में इस समय हरिजन सहायक आफिसर के दफ्तर में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--अन्य जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों की भांति जिला खीरी के हरिजन कल्याण अधिकारी के कार्यालय के लिये भी एक लिपिक तथा एक चपरासी के पद स्वीकृत हैं जिनके नियुक्ति संबंधी आदेश जारी हो चुके हैं।

झांसी जिले से कांस पुनरोत्पादन की शिकायतें

*१६६--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मऊ गरौठा तहसील, जिला झांसी में ट्रैक्टरों से जो जमीन जोती गई थी उसमें नालियां बन गईं और कांस निकल आया जिसकी जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उस कमेटी ने अभी तक कोई जांच की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला झांसी में कांस उत्पाटन योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों द्वारा जोते गय क्षेत्रों में कांस पुनरोत्पादन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में आवश्यक जांच करने के लिये सरकार ने जो जांच कमेटी नियुक्त की थी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और वह सरकार क विचाराधीन है।

राज्य में मक्खन निकालने वाली डेरियां

*१६७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में मक्खन निकालने की कितनी डेरी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक सरकार को ज्ञात है प्रदेश में बड़े पैमाने पर मक्खन २५ डेरियों में निकाला जाता है जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९७ पर)

इटावा जिले में नगरपालिकाओं व टाउन एरियाओं की पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के शिक्षार्थ अनुदान

*१६८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के म्युनिसिपल बोर्ड व टाउन एरिया में शिक्षा विभाग में पिछड़े वर्ग, परिगणित जातियों को कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री मंगलाप्रसाद--प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किस वर्ष के लिए यह सूचना वांछित है। फिर भी उपलब्ध सूचनानुसार पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९८ पर)

अल्मोड़ा जिले में सीड मल्टिपलीकेशन फार्म के लिये नियाज इस्टेट खरीदना

*१६९--श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मछुवाली, जिला अल्मोड़ा में स्थित नियाज इस्टेट कृषि विभाग द्वारा खरीदी जा रही है ? अगर हां, तो कितनी कीमत में और किस लिये ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--जी हां। सीड मल्टिपलीकेशन फार्म की स्थापना के लिये सरकार नियाज इस्टेट को ५०,००० रुपये की कीमत पर खरीदने का विचार कर रही है।

गोरखपुर जिले की हरिजन संस्थाओं को अनुदान

*१७०--श्री रामसूरत प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त कौन-कौन सी संस्थायें और कहां-कहां चल रही हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९९-१०१ पर)

*१७१--श्री रामसूरत प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन हरिजन संस्थाओं को कितना रुपया वार्षिक अनुदान दिया जाता है और इन संस्थाओं का प्रबन्ध कौन करता है ?

श्री मंगला प्रसाद--कथित संस्थाओं के प्रबन्धकर्ताओं संबंधी सूचना प्रश्न संख्या १७० के उत्तर में उल्लिखित तालिका में दी गई है।

प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि वार्षिक अनुदान का विवरण किस वर्ष का वांछित है। फिर भी वित्तीय वर्ष १९५६-५७ संबंधी यह सूचना उल्लिखित तालिका में दी गई है।

सारनाथ, जिला वाराणसी में चिकित्सालय पर व्यय तथा महिला चिकित्सालय न खुल सकना

*१७२--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि वाराणसी जिले के सारनाथ स्थित राजकीय चिकित्सालय, सारनाथ को चालू करने की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना व्यय हुआ ? अस्पताल के कर्मचारियों के वेतन और रोगियों पर व औषधियों पर अब तक कितना व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--सूचना संग्रह की जा रही है। सुलभ होने पर प्रस्तुत की जायगी।

*१७३--श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि वाराणसी जिले के स्थान सारनाथ पर विगत बुद्ध जयन्ती २,५०० वर्ष महोत्सव पर महिला अस्पताल चालू करने की योजना थी और जमीन लेने व नक्शा बनाने के बाद भी महिला अस्पताल आज तक नहीं बना ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--इस संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

रुहेलखंड डिवीजन में वनस्पति रोग का फैलना

*१७४--श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं और बरेली जिले में इस वर्ष आलू की कितनी एकड़ फसल Virus disease के कारण जो epidemic रूप में है खराब हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सत्य है कि रुहेलखंड डिवीजन के जिलों में आलू की फसल में वनस्पति रोग विस्तृत रूप में फैला है। रोगग्रस्त क्षेत्र का भूमापन किया जा रहा है।

*१७५—श्री श्र कृष्ण गोयल—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त बीमारी तराई के एरिया में पहले से मक्का और जौ में फैली हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह अभी ज्ञात नहीं है।

*१७६—श्री श्र कृष्ण गोयल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से उक्त बीमारी की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कृषि अधिकारियों तथा पौध संरक्षण विभाग के कर्मचारियों को सावधान कर दिया गया है।

मलेरिया की रोकथाम के कार्य

*१७७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में मलेरिया को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय कार्यान्वित किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५७ की अवधि में राष्ट्रीय मलेरिया निरोधक यूनिट्स ३५ जिलों में पूर्ण रूप से कार्य कर रही थीं, जिनकी सूची संलग्न है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या २,०४,३८,१८४ है जिसमें ३७,३८६ गांव सम्मिलित हैं।

मलेरिया निरोधक कार्यों में जन-निवास स्थानों तथा पशु-शालाओं का डी० डी० टी० द्वारा वर्ष में दो बार, प्रथम जून-जुलाई तथा द्वितीय सितम्बर-अक्तूबर में छिड़काव और मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार उपयुक्त मलेरिया निरोधक औषधियों द्वारा किया गया।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०२ पर)

*१७८—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अवधि में मलेरिया की रोकथाम के लिये औषधि-वितरण पर कितना व्यय किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१७९—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार मलेरिया रोग से मृत तथा पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के वार्षिक आंकड़े एकत्र करने की कोई व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मलेरिया से मृत्युओं के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से मंगा कर एकत्रित किये जाते हैं। मलेरिया पीड़ित के आंकड़े एंटी मलेरिया अफसरों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं।

राज्य के साधुओं को राष्ट्र निर्माण कार्य में सहयोग देने के लिये आमंत्रित करने का सुझाव

*१८०—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार प्रदेश के साधुओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोग देने के लिये आमंत्रित करने का विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस प्रकार की कोई विशेष योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१८१—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन छात्रों की फीस के लिये जो सहायता स्कूलों को त्रैमासिक मिलती थी, क्या वह उसमें कुछ परिवर्तन करके एक मुश्त सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री मंगला प्रसाद—कथित सहायता तिमाही के बजाय अब अप्रैल, सन् १९५६ से षःमाही आधार पर दी जाती है ।

इस कार्य प्रणाली में कोई और परिवर्तन करने का विचार इस समय नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

खीरी जिले में मंझरा तथा अन्देशनगर फार्मों का आय-व्यय

१—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बतायेगी कि जिला खीरी में मंझरा फार्म और अन्देशनगर फार्म में अब तक कितना रुपया खर्च हुआ और कितना लाभ तथा कितनी हानि हुई और हानि हुई, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला खीरी में मंझरा और अन्देशनगर फार्मों में सन् १९४८–४९ से सन् १९५६ –५७ तक क्रमशः १८,९७,८५७ रुपया और १४,९१,९४६ रुपया खर्च हुआ । अन्देशनगर फार्म से ४९,७६६ रुपये का लाभ हुआ और मंझरा फार्म में २,२७,७०२ रुपये की हानि हुई ।

मंझरा फार्म मिक्स्ड फार्म है । हानि का मुख्य कारण यह है कि इस फार्म पर काफी संख्या में प्रजनन कार्य हेतु पशु रखे गये हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक और अलाभकर हैं लेकिन इनको पशु उन्नति के लिये रखना आवश्यक है ।

लखनऊ की सिकन्दरबाग नर्सरी

२—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ में जो सिकन्दर बाग एक सरकारी नर्सरी है उसमें प्रति वर्ष खर्च के हिसाब से अब तक कितना रुपया खर्च हो गया है और भविष्य में उससे कितने लाभ की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह नर्सरी १९५३ से भारत सरकार के अधीन है, इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता ।

३—श्री टीकाराम पुजारी—[स्वशासन मंत्री से संबंधित आठवें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—कल एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था, तब माननीय राजस्व मंत्री जी चाहते थे कि उसे कल स्थगित कर दिया जाय और आज विचार हो, तो आज के लिये वह स्थगित किया गया ।

*माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, १२ मार्च को मैंने जो कुछ दिनों पहले कुछ सवालों का जवाब दिया था उसके सिलसिले में एक प्रिविलेज का मोशन किसी मित्र की ओर से उठाया गया । आपने उन सवालों को पढ़ दिया और उनके जबाब भी पढ़ दिये और आपने यह फरमाया कि इसमें कोई क्वेश्चन आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता । इस पर माननीय गेंदासिंह ने कुछ कहा और आपने कुछ जवाब दिये । तो ५, ७ बार माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गेंदासिंह ने कुछ कहा और ५,७ बार आपने उसका जवाब दिया। मेरे पास वह सब कार्यवाही अपनी याददाश्त से या इधर-उधर से मिलाकर लिखी हुई है। हो सकता है उसमें कुछ गलती हो जाय। ऐसे लफ्ज में कह जाऊं जो बाकई रिकार्ड में न हों तो पेश्तर इसके कि मैं उसकी वैधानिकता के विषय में अपना मत प्रकट करूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि १२ तारीख की प्रोसीडिंग का वह हिस्सा पढ़ देने की कृपा करें, क्योंकि इन्टरप्रिटेशन तो उन प्रोसीडिंग्स का ही होगा।

श्री अध्यक्ष—लेकिन बात यह है कि पहले तो उस विशेषाधिकार के प्रस्ताव की वैधानिकता का ही प्रश्न है। यदि कोई सदस्य ऐसे शब्द कहे गये बतावें जो कि गलत हों तब मैं कार्यवाही से वह हिस्सा पढ़कर सुना दूंगा। लेकिन जो आपकी याददाश्त है उसके अनुसार आप प्रस्ताव की वैधानिकता पर बात कर सकते हैं।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, जिस वक्त आपने अपना फैसला दिया तो माननीय गेंदासिंह जी ने यह दरियाफ्त किया कि १० तारीख से १७ तारीख तक यह सवालात कहां रहे? आपने यह फरमाया कि यह सवालात आपके दफ्तर में रहे, लेकिन अगर माननीय गेंदा सिंह कोई इन्क्वायरी चाहते हैं और उनको कोई शिकायत है तो आप के दफ्तर में आकर मजीद बात कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सूचना खुद देना चाहता हूं। जहां तक मुझको याद पड़ता है, आपने फरमाया कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर खड़े होकर यह कहा कि मैं सूचना हाउस को देना चाहता हूं और वह यह है कि १० तारीख से १७ तारीख तक यह सवालात मिनिस्टर साहब के दफ्तर में रहे। आपने उस पर यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपने रिकार्ड से साबित किया और आपने भेजा ही १७ तारीख को, लेकिन उन्होंने फिर यह कहा कि नहीं, ये १० तारीख से १७ तारीख तक वहीं रहे और अगर मैं गलत कहता हूं तो मेरे खिलाफ इन्क्वायरी की जाय। आपने फिर गालिबन यह मशविरा उनको दिया कि मैं इन्क्वायरी कर लूंगा, लेकिन अगर यह बात गलत साबित हो जाय कि आप जानबूझकर यह कह रहे हैं, बावजूद आपके रिकार्ड देखकर बतलाने के, कि १० से १७ तक वह आपके यहां रहे तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही हो सकती है।

इस पर फिर माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि मैं डेफिनिट हूं १० से १७ तक ये सवालात मिनिस्टर साहब के यहां रहे और देर से उन्होंने जबाब दिया। इस पर फिर आपने उनको मशविरा दिया कि अगर आप इस पर इसरार करते हैं तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं रह जाता कि अगर आपके खिलाफ प्रिविलेज का क्वश्चन उठाया जाय, आप मजबूर होंगे। इस पर उन्होंने कहा नहीं, यह १० से १७ तारीख तक मिनिस्टर साहब के यहां रहे, इस पर मोशन ब्रोच आफ प्रिविलेज का हो सकता है। तो शान्ति प्रसन्न जी ने उठकर फिर एक मोशन पेश कर दिया परसों, आपकी इजाजत से। उसी के विषय में आज फैसला होना है।

अब सवाल यह है कि बावजूद आपके यहां कई बार कहने के कि १० से १७ तक आपके रिकार्ड के मुताबिक आपके यहां रहे, माननीय गेंदासिंह जी का बार-बार यह कहना कि नहीं, १० से १७ तक यह मिनिस्टर साहब के यहां रहे तो अध्यक्ष महोदय, इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो यह है कि आप जो फरमाते हैं वह गलत है और आपके आफिस की तरफ से आपको गलत इत्तिला दी जाती है, या उन्होंने कोई फोर्जरी की।

इसी बीच में और एक बात हुई। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह कहा कि हो सकता है कि ११ का १७ कर दिया गया हो या पढ़ा जा रहा हो। मुझे ठीक याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा। गालिबन यह कहा होगा कि पढ़ा जा रहा हो।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मैंने यह नहीं कहा कि कर दिया गया हो।

श्री चरण सिंह—ज्यादा उम्मीद यही है कि आपने यह कहा हो कि पढ़ा जा रहा हो। लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने उसी वक्त यह कहा कि नहीं, इस में साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है १७ तारीख। लिहाजा यह संभावना कि हिन्दी का १ का ७ पढ़ा जा

[श्री चरण सिंह]

रहा हो, इसमें संभव नहीं है। उसकी कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। माननीय स्पीकर साहब के बीच में यह फरमा देने के बाद भी माननीय गेंदा सिंह जी अपनी बात पर अडिग रहे और कहा कि नहीं, यह ११ को ही भेज दिये गये। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक तो यह जनाब पर रेफलेक्शन है कि आप किसी बात को चार, पांच बार दोहरायें और उसके बाद भी माननीय मित्र इंसिस्ट करें कि नहीं, ऐसी बात नहीं है।

बहस के लिये अगर यह मान लिया जाय कि आपकी जात पर कोई रेफलेक्शन नहीं है, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आप के आफिस पर जो रेफलेक्शन हैं और आप के आफिस पर जो रेफलेक्शन है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि वह कांस्ट्रक्टिवली आप के ऊपर रेफलेक्शन है। यह एक मोटी सी बात है। आफिस के लोग तो यहां आ कर अपने को डिफेंड नहीं कर सकते। आफिस को तो आपको डिफेंड करना होगा और आफिस के लोगों के सिलसिले में यह बात कही जाय कि उन्होंने गलत बयानी की है या उनके लिये फोरजरी का इशारा किया जाय, तो अध्यक्ष महोदय, मोटी सी बात है कि आगे, भविष्य में आपके आफिस के लोग अपना काम बिला हिचकिचाहट और निर्भीकता के साथ नहीं कर सकेंगे और वह अपने फरायज को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह से यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है।

एक बात और इस बीच में हुई। परसों जो कुछ हुआ, सो हुआ। कल माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि मैं उस फाइल को देख चुका हूं। गालिबन उनका मतलब आपके यहां की फाइल से था। मुझे यह बात कहने में, बतलाने में कोई बेजा नहीं मालूम होती कि परसों जिस वक्त मैं लंच के बाद यहां लौट कर आया और असेम्बली फिर इकट्ठा हुई तो मैं अपनी फाइल को उठाता लाया और एक दो मित्रों के सामने मैंने उसको रखा और मैंने यह कहा कि आप इसे सब दोस्तों को ओब्लीजेशन के दिखला दें। फिर मैं उस फाइल को मांगना भी भूल गया और अगले दिन मालूम हुआ कि मेरे मित्र ने वह फाइल शाम को मेरे यहां भिजवा दी थी। तो मुझे यह नहीं मालूम कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो जिक्र किया था उस से उनका मतलब आपके यहां की फाइल से था या गवर्नमेन्ट के ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट की फाइल से था।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--आप की फाइल से मतलब था।

श्री चरण सिंह--मेरी फाइल अब भी है। खैर, मेरी फाइल देखने के बाद भी यह इसरार कि नहीं, हम इन्क्वायरी चाहते हैं और उससे बहुत से रहस्यों का उद्घाटन होगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि परसों जो ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ, कल उस ब्रीच आफ प्रिविलेज का ऐग्रेवेशन हुआ। मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक तो आपके कंडक्ट पर रेफ्लेक्शन है। इसके लिये अध्यक्ष महोदय मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें है --

"Reflection on the character of the Speaker and accusations of partiality in the discharge of his duty".

इसमें से मैं

'and accusations of partiality in the discharge of duty' छोड़े देता हूं

लेकिन यह जो है

"Reflection on the character of the Speaker"

जब इस प्रकार के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है तो उसका रेस्ट्रिक्टेड सेंस नहीं रह जाता है। जब आपने कोई बयान दे दिया कि रिकार्डस की बिना पर कोई बात इस तरह से है तो फिर उस बयान को डिस्प्यूट करने के मानी यह होते हैं कि आपने गलत बयानी की है। यानी अध्यक्ष महोदय, अगर आपके मुताल्लिक इस तरह कहा जायगा तो यही समझा जायगा कि यह कहा गया कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। तो वह reflection on your conduct. हो जाता है।

दूसरी बात जो इसमें आती है वह है--

"Imputation against Members of corruption in the execution of their duties".

आपके मुताल्लिक जो सवाल का एक पहलू था, वह मैंने अर्ज कर दिया। आप खुद जानें। आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, तो जो आपके कंडक्ट के ऊपर रेफ्लेक्शन है वह सारे हाउस के कंडक्ट के ऊपर रेफ्लेक्शन है। लेकिन आप हम लोगों से बेटर इक्विप्ड हैं, आप उस बारे में स्वयं फैसला ले सकते हैं।

जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं मेम्बर हूं इस हाउस का, और बतौर मेम्बर हाउस के मेरे ऊपर चार्ज यह है कि ११ तारीख से १७ तारीख तक वे सवालात मेरे यहां रहे और मैंने उनको छिपाकर रखा तथा उनका जवाब मैंने २१ को दिया। अब अध्यक्ष महोदय, फाइल क्या कहती है, जिसको माननीय गेंदा सिंह देख चुके हैं ? फाइल कहती है कि आपके दफ्तर से मेरे यहां सवालात १७ तारीख को गये हैं। आपके यहां से जो का गज मेरे यहां गया है उस पर नम्बर पड़ा है ११२। यह शायद आपके यहां के रजिस्टर का नम्बर होगा। बहुत साफ तारीख लिखी है दिनांक १७-२-५८....

श्री अध्यक्ष--यह आप अब मेरिट्स पर आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है।

श्री चरण सिंह--तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किये गये हैं इसके माने पोलिटिकल करप्शन भी होता है, मोटिव का करप्शन भी होता है, मारेल का करप्शन भी होता है, इमैजिनरी करप्शन भी होता है, यानी सब तरह का करप्शन होता है। माई कम्पलेंट इज दैट मिस्टर गेंदा सिंह हैज स्लैन्डर्ड मी। अपने इस कथन की ताईद में मैं आपकी इजाजत से जेनरल इनडेक्स आफ हाउस आफ कामंस के जरनल्स से कुछ केसेज कोट करना चाहता हूं। जनरल इनडेक्स टु दि जरनल्स आफ दि हाउस आफ कामंस के वाल्यूम १ ए० डी० १५४७ के पेज ६२४ में ६ ऐसे केसेज हैं जिनकी दो-दो तीन लाइनें मैं आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं।

जो गलती माननीय सदस्य ने की है वह और लोग भी करते हैं और हाउस ऐक्शन लेता है तो फिर वे माफी मांगते हैं।

श्री गेंदासिंह--ज्यादा गलती उधर ही से होती है।

श्री चरण सिंह--होती होगी, मैं इससे इन्कार नहीं करता।

"909 (1557). Complaint made by Mr. Mershe, a Burgess, that Mr. Wylde, another Burgess, had slandered him for what he had done in the House ; Committee appointed to examine the matter and report".

"911. (1604) Complaint made of Thomas Rogers, for abusing Sri John Savill for his proceedings as Member of a committee on a bill".

एब्यूज के माने केवल वही नहीं होते है जो कि सड़कों पर दी जाती है। शरीफ आदमियों को गाली और है। किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता की नीयत पर हमला करना ही बहुत बड़ी गाली है पब्लिक वर्कर के लिये और उन्होंने मेरी नीयत पर हमला किया है।

तीसरा केस है--

"914. (1628) Information of Words spoken by the Earl of Suffolk, in a Committee Chamber of the House of Lords, reflecting on Mr. Seldon, a Member, for razing a record".

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, बिलकुल यही केस है। मतलब यह है कि मैंने फर्जी रेकर्ड बनाया है। आपने भेजा था ११ ता० को और मैंने १७ कर दिया है। फिर केस है ९१७—

"Information of Sir David Watkins having spoken to the prejudice of Sir John Evelyn, a Member, and the scandal of the House (in mis-representing a Speech made by Sir John); Mr. Pennoyer called in, and examined; Sir David to be summoned forthwith to attend;....."

मेरी स्पीच को उन्होंने मिस-रेप्रेजेंट किया है और यह कहा है कि मैंने मिसलीडिंग जवाब दिया। फिर केस ९१८ है —

"Mr. Denzell Hollis informs the House, that he, having been sent with other Members, to the King's Majesty, some aspersions have been cast upon him, as if he had, in his Speech to the King, transgressed the Instructions given by this House; resolved, Mr. Hollis have the leave of this House to print his Speech to his Majesty, together with his Majesty's Answer thereto,...".

फिर केस ९२० है

"Sir Fretchvile Hollis informs the House, that he had been reflected upon by Mr. Offley for Words spoken in the House;....."

श्री अध्यक्ष—सब के पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या विशेषाधिकार की अवहेलना प्राइमाफेसी प्रतीत होती है या नहीं, इसे बताना ही काफी है।

श्री चरणसिंह—आपकी इजाजत से मैं सिर्फ हवाला ही दे देता हूं। १७६३ का केस २९ है, १८३७ का ३८, १८२१ का ३०,५५। एक न्यूजीलेंड का केस है। वह यह है कि—

"If a statement has been made in the House which a member considers effects his character as a member and as a late minister, he is entitled to bring forward a resolution on the subject as a matter of privilege".

इसके बाद में आप की अटेंशन आकर्षित करूंगा मेज प्रैक्टिस के पेज १२८ के एक पैराग्राफ की तरफ जिस में लिखा है कि

"Both houses will treat as breaches of their privileges, not only acts directly tending to obstruct their officers in the execution of their duty, but also any conduct which may tend to deter them from doing their duty in the future".

यानी आप के जो असेम्बली सेक्रेटेरियट के अफसरान हैं वह निस्संकोच भाव से काम नहीं कर सकेंगे अगर इस तरह के ऐलीगेशंस किये जायेंगे। इसी तरह का एक केस अभी पाकिस्तान में भी हो चुका है। आप की इजाजत हो तो मैं पढ़कर सुना दूं, वह "पाकिस्तान टाइम्स" यहां नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष—उस की कटिंग मेरे पास है। पूरा पढ़ने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप संकेत से रेफ़रेंस दे सकते हैं।

श्री चरणसिंह—इसमें यह सवाल था कि जो वहां के आफिसर्स हैं, असेम्बली सेक्रेटेरियट के, उन्होंने रिकार्ड्स को टेम्पर किया और उस पर वह मामला प्रिविलेज विभाग को गया। अध्यक्ष महोदय, अब आखिर में मैं केवल यह अर्ज करूंगा कि ब्रीच आफ प्रिविलेजेज के केसेज को एग्जहास्ट नहीं किया जा सकता। इसी पर मैंने सफा १०९ पर एक उसूल ले डाउन किया

है, यह है कनटेम्ट के बारे में कि—

"It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence".

अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि श्री गेंदा सिंह जिस तरह से परसों आप के समझाने के बावजूद अपनी बात पर अड़े रहे और जिस तरह से आप के आफिसर्स पर और एक प्रकार से आप पर और अध्यक्ष महोदय, आप और आपसे कम नहीं उसी मात्रा में मुझ जैसे अदना मेम्बर पर जो उन्होंने कहा उसका इतना रेफलेक्शन हुआ है कि उसकी वजह से कोई भी मेम्बर और अफसर अपना काम ठीक से करने में और ईमानदारी के साथ करने में हिचकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जाय, जैसा कि गेंदा सिंह जी स्वयं भी चाहते हैं कि इस की तहकीकात कराई जाय कि वाकई यह १७ को गये थे या नहीं गये थे, या वाकई टेम्परिंग हुआ है या मैंने दफ्तर में छिपा कर रख दिया है, मैं या आप के आफिसर गिल्टी हैं या माननीय गेंदा सिंह जी ने ही यह अन्याय हमारे और हाउस के साथ किया है।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिकता का प्रश्न उठाना चाहता हूं। शिकायत है कि विशेषाधिकार की अवहेलना की गई है। तो क्या इस शिकायत को लेकर किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह नये प्रकार के चार्जेज और नये किस्म से इल्जाम लगाकर उसके लिये अथारिटी कोट करे। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब बिलकुल नये चार्जेज लगाये गये हैं, जो कि पहले नहीं थे। यह चार्जेज कि माननीय गेंदा सिंह ने एक तरफ स्पीकर को भ्रम में डालने की कोशिश की और दूसरी तरफ सदन को भ्रम में डालने का प्रयास किया और इसके लिये जो अथारिटी कोट की गई है कि वह स्पीकर को भ्रम में डालना चाहते हैं, उन्होंने सदस्यों के कन्डक्ट के सिलसिले में कहा और आखिर में यह कहा कि जो इस सदन के कर्मचारी हैं, उनके कन्डक्ट के सिलसिले में इस तरह की बात उठाना उचित नहीं है। ये जो अभियोग अब नये प्रकार से लगाये गये हैं, इनका इससे सम्बन्ध नहीं हो सकता है और इनके लिये अलग से प्रश्न उठाना चाहिये। यह तीन नये अभियोग लगाये गये हैं। मेरा इस सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि हम इन पर विचार करें जो बात अभी तक हाउस के सामने नहीं थी और जिसके लिये अभी तक इजाजत भी नहीं थी . . .

श्री अध्यक्ष—अभी आप इस प्रकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। आप कहिये कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। मैं आप को इस के लिये मौका देता हूं। मैं आप की राय मालूम कर लूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा। आप चाहें तो कहें कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री त्रिलोकी सिंह—मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में पहले भी अर्ज कर चुका हूं और मैंने यह सोचा था कि अब इस में दुबारा समय लेना मुनासिब नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इसके लिये इजाजत देता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह—क्या मैं विशेषाधिकार के बारे में कह सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप कह सकते हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह—मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रश्न की वैधानिकता के सम्बन्ध में जो कुछ मैं कल अर्ज कर चुका हूं, उस में इतना और जोड़ना चाहता हूं कि जो इल्जाम माननीय शांति प्रपन्न शर्मा ने इस कम्पलेन्ट के लिये लगाया है यानी सदन को या स्पीकर

[श्री त्रिलोकी सिंह]
को भ्रम में डालने की कोशिश की गई, मैं समझता हूं कि सदन के सामने इस प्रकार के भ्रम का सवाल नहीं किया गया है। हमारे विशेषाधिकार यूनाइटेड किंगडम हाउस आफ कामन्स की तरह से हैं। उन में इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि हम किसी को चरका देना चाहते हैं या कांडवट के बारे में कहना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता है। लेकिन माननीय माल मंत्री ने तीन मिसालें चेयर के कांडवट के लिये दीं। मैं उन्हीं को पढ़ देना चाहता हूं।

पहला यह है--

'Reflection on the character of the Speaker and accusations of partiality in the discharge of his duty.'

दूसरा है--

'Imputation against the members of corruption in the execution of their duties.'

तीसरा उन्होंने यह कहा--

'Both houses will treat as breaches of their privileges not only acts directly tending to obstruct their officers in the execution of their duty, but also any conduct which may tend to deter them from doing their duty in the future.'

यह तीन चार्जेज इस में इम्प्लीकेशन्स से भी नहीं आते हैं। प्रिविलेज का मामला क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। यह साफ है कि ये चार्जेज बिल्कुल नये लगाये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून है। इसलिये मैं आप से बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कम्पलेन्ट बिलकुल निराधार है। इस में किसी प्रकार से भी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई है।

इसके साथ ही मैं वाके की बिना पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री ने गेंदा सिंह जी के खिलाफ यह कम्पलेन्ट की कि उन्होंने गलत कहा कि १० तारीख से १७ तारीख यह तक उनके कार्यालय में कागज पड़ा रहा है। लेकिन गेंदासिंह जी ने यह कहा था कि ११ से १४ तक उनके कार्यालय में रहा। जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने यही कहा था और यदि मैं गलत कह रहा हूं, तो मुझे करेक्ट कर दिया जाय। ११ से १४ के बीच में वहां पड़ा रहा। १० से १७ के लिये माननीय गेंदा सिंह ने नहीं कहा और माननीय माल मंत्री ने १० से १७, १० से १७ और १० से १७ तक यह तीन बार कहा और दोहराया। मैं कहता हूं यह गलत है, किन्तु यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। इस प्रकार के प्रिविलेज के लिये कांस्टीट्यूशन की धारा १९४ के हिसाब से नया कानून बनाना होगा। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस कम्पलेन्ट को आउट आफ आर्डर करार करने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये यहां पर बैठे हुये हैं और उन कर्तव्यों का पालन हम तभी कर सकते हैं, जब इस हाउस का काम प्रापरली चले। अगर इसमें थोड़ी सी कुव्यवस्था हो तो मैं समझता हूं कि सबसे अधिक अगर अहित होने वाला है, तो इस देश का होने वाला है और इसके साथ ही साथ हमारी प्रतिष्ठा को एक बड़ा जबरदस्त धक्का लगने वाला है। अगर इस हाउस का काम व्यवस्था से चलना है तो उसके लिये फिर एक ही जरिया है कि नियमों का हम ठीक-ठीक से पालन किया करें। जैसा कि माननीय मित्र ने कहा कि इन नियमों के पालन कराने का भार सोलहो आने आपके ऊपर है। अगर आपकी प्रतिष्ठा को किसी प्रकार से धक्का लगता है तो मैं समझता हूं कि हमारी अपनी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है।

फिर इस सदन के जिस कार्य को करने के लिये हम बैठे हुये हैं, उसके करने में यह रुकावट पैदा करता है, इतनी बात हमारी समझ में बहुत पहले से आयी हुई है, और जैसा कि मैंने आप से कल निवेदन किया कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को भेज दिया जाय, वह इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने कहा था। मैं आज भी कहता हूं कि अगर नये प्रिविलेज का प्रश्न हमारे

माननीय मित्र श्री चरणसिंह जी उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसमें हमको किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती है और मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से भी कहूंगा कि आप नया प्रिविलेज उत्पन्न करने दें .....

श्री अध्यक्ष—वह नये प्रिविलेज की बात नहीं कर रहे हैं, वे तो कह रहे हैं कि वे प्रिविलेज की व्यवस्था में नयी घटनाओं को उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह—मैं श्रीमन्, अब इस बात को छोड़ देता हूं और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को पहले स्पष्ट कर दूं कि अभी भी हमारा इरादा कुछ व्यक्तियोंके सम्बन्ध में संदेह करने का नहीं है । हमारी कुछ धारणायें हैं जिस बात का कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। अगर उस प्रकार का काम वह व्यक्ति दो एक बार कर भी डाले तब भी हमारा मन नहीं कबूल करेगा कि उस आदमी का इसमें कोई कसूर है । तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यही आपके बारे में हमारी धारणा है । मैं कहता हूं कि हमारे इन प्रश्नों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हुआ है, उससे हम इनकार नहीं करते, न तो हमारी आंखों ने धोखा दिया था और न तो हमारे कानों ने और मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो कुछ माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा था उस दिन, वही मैं आज भी निवेदन करता हूं कि ११ तारीख को मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ, हमारी आंखों ने धोखा नहीं दिया । ११ तारीख को हमारे प्रश्न माननीय राजस्व मंत्री के यहां भेजे गये थे और १४ तारीख को शार्ट नोटिस पर जवाब देने के लिये वह राजी हैं स्वीकृति लेकर कागज वापस हुआ । तो मैं केवल यही कहता हूं और उस बारे भी मैं कहता था कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हाउस का कन्टेम्ट और नियमों का उल्लंघन है ।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहता हूं कि जिस फाइल का जिक्र उन्होंने किया, तो मैं अब भी कहता हूं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के फैक्चुअल स्टेटमेंट के बाद माननीय मंत्री साहब ने गलत जवाब दिया । तो अब भी हमसे कहा जाय कि हमने एक गलत बात सदन में कही . .

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस समय हमारे सामने नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—वह प्रश्न कैसे सामने आता ? वह किसी के सामने आता नहीं है, उसमें तो माननीय मंत्री जी की कमजोरी है । अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा को बढ़ाने के लिये मंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं परन्तु कम से कम इस बात को देखें कि उस तरफ से कितना उल्लंघन नियमों का होता है । यहां उनका उल्लंघन करने और उनका पालन न करने का आरोप माननीय चरणसिंह जी ने मेरे विरुद्ध लगाया है, अतः मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय चरणसिंह जी को हमारी विशेषाधिकार समिति को अवश्य भेज देना चाहिये ।

मैं एक बात और अंत में निवेदन करता हूं कि उस तरफ के बैठने वाले इस बात का ध्यान रखें कि प्रिविलेज का सवाल ऐसा है जो किसी पार्टी का सवाल नहीं है और सदस्यों को यह अधिकार है कि जो प्रक्रिया नियमावली हमारी है, उसके अनुसार काम कर सकें और इस बात के लिये कस्टोडियन आप हैं । मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री छाती पर हाथ रखकर मेरी बात का जवाब दें कि कभी भी उन्होंने प्रश्नों के सम्बन्ध में नियमों का पालन किया है ? मैं कहता हूं कि तीन दिन के भीतर शार्ट नोटिस क्वेश्चन का उत्तर मिलना चाहिये । एक भी सवाल का उन्होंने अपने जीवन में तीन दिन के अन्दर उत्तर दिया है यदि वह ऐसा दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि वे नियमों के मानने वाले हैं । हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रिगण नियमों का पालन नहीं करेंगे । मैं समझता हूं कि मिनिस्टर लोगों को ढंग सीखना पड़ेगा और विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे खिलाफ उठ कर मुझे चाहे जो सजा मिले लेकिन अगर उन्हें कुछ ढंग आ सके तो इससे देश का बड़ा उपकार होगा ।

(श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी का नाम पुकारा जाने के बाद)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले दीपनारायणमणि जी को मौका दे चुका हूं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मैं पहले प्रक्रिया नियमावली के नियम २२४ की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें लिखा हुआ है:—

"No decision of the Speaker in respect of disallowance of any resolution or question or in respect of any other matter shall be questioned".

श्रीमन्, उस दिन को जो बात है उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि मैंने फाइल देख ली है लेकिन माननीय गेंदासिंह जो यही कहते रहे कि ऐसी बात नहीं है और १०, ११ और १४ का झगड़ा चलता रहा । तो एक बात तो स्पष्ट हो गयी कि जब आपने निर्णय दे दिया और कह दिया कि मैंने अपने कागजात देख लिये हैं उस पर भी अगर कोई जिद करता है तो वह आपके आदेश की अवहेलना करता है । दूसरे, संविधान के अनुच्छेद १७८ में आफिसर्स आफ दि स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेचर के आफिसर्स हैं । यह भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है । इसके बाद मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, एडीशन १३ के पृष्ठ ९५ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—जो बात माननीय मंत्री कह चुके हों उसको आप फिर से न दोहराइये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं उसे नहीं दोहरा रहा हूं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आफिसर आफ दी हाउस के निर्णय के पश्चात् बार-बार किसी सदस्य का यह कहना कि यह ठीक नहीं है, इस पर प्रिविलेज का प्रश्न लिया जाना चाहिये, मैं इतना ही कहना चाहता हूं । श्रीमान् ने जब कहा कि फाइल उन्होंने देख ली है और उसके पश्चात् माननीय सदस्य यह कहते रहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है तो मैं उसी का रेफरेंस दे रहा हूं । इसमें लिखा हुआ है—

"Interference with Officers—Assaults, or interference with officers of the House, while in the execution of their duty, have also been punished as breaches of privilege".

इसके बाद एक पुस्तिका टेकचन्द जो बार एट ला हैं उनकी लिखी हुई है, उसके पृष्ठ ३७६ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

"Any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence".

इसके बाद इसी पुस्तक के पृष्ठ ३८३ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है :—

"Any obstruction offered to officers of either House or to other persons entrusted with the execution of the orders of the House, while they are engaged in discharging their duty, is a contempt punishable by the House".

इससे साफ सिद्ध होता है कि श्रीमन् के कार्यालय पर आक्षेप करना भी कंटेम्ट होता है । इन शब्दों के साथ हमारे शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने जो ब्रोच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया है वह वैज्ञानिक है । लेकिन एक बात अवश्य है कि जब माननीय गेंदासिंह ने स्वयं मांग की कि उनके खिलाफ ब्रोच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया जाय तो किस नियम के अन्दर यह हो सकता है ? इसलिये सदन को अधिकार है कि उस पर पुनर्विचार कर सके, लेकिन नियम का जहां तक प्रश्न है यह ब्रोच आफ प्रिविलेज है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, यह प्रश्न जितना अहम था नहीं उतना अहम बना दिया गया। इसमें न तो इस सदन को माननीय गेंदासिंह की इच्छा की पूर्ति करनी है और न माननीय राजस्व मंत्री की इच्छा की पूर्ति करनी है। अगर मान लीजिये गेंदासिंह . . . .

श्री अध्यक्ष——आप वैधानिकता की बात कहें, इच्छा-पूर्ति की नहीं।

श्री राजनारायण——उसी पर आ रहा हूं। इसके बारे में बार-बार रिपीट किया जा रहा है कि माननीय गेंदासिंह ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी में भेज दीजिये, इसलिये भेज दिया जाय, तो मैं कहता हूं कि यह बिलकुल अवैध है। अगर कोई प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का नहीं है और माननीय गेंदासिंह उसको बार-बार इस सदन में कहें कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है तब भी इसको नहीं भेजा जाना चाहिये——अगर उनसे सम्बन्धित हो तो। इसी तरह से माननीय चौधरी चरणसिंह जी भी इसी किस्म का इसरार करने लगे कि मैं अपनी सफ़ाई देना चाहता हूं और सारे प्रश्न को प्रिविलेज में भेज दिया जाय तो महज उनके कहने से कोई प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज का नहीं बन सकता। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि चौधरी चरणसिंह जी, ब्रीच आफ प्रिविलेज कैसे बनता है, उस सम्बन्ध में उन्होंने पढ़ने की कृपा की और उन्होंने यह पढ़ दिया, बहुत सी सफाई हो गयी होगी कि विलफुली सप्रेशन आफ फ़ैक्ट्स और डिस्टार्शन फ़ैक्ट्स यह सब आते हैं और अगर माननीय चौधरी चरणसिंह खयाल करेंगे तो इस गरीब व्यक्ति के जरिये से न मालूम कितने प्रश्न उठाये गये हैं और इस सदन में विचार के लिये नहीं आ पाये।

अब मैं आपके द्वारा, माननीय शान्तिप्रपन्न जी ने जो लिखित आरोप आपकी सेवा में भेजा है, उसको पढ़ना चाहता हूं और माननीय गेंदासिंह जी ने जो उस दिन कहा उसको पढ़ना चाहूंगा। दोनों को लेकर देखा जाय कि किसकी बात को लेकर आज यहां ब्रीच आफ प्रिविलेज उठाया जा रहा है।

(अधीक्षक, कार्यवाही विभाग से) आप जरा गेंदासिंह जी की वह स्पीच निकाल दीजिये, वह कहां है?

श्री अध्यक्ष——आपको जो याद है उससे कहिये।

श्री राजनारायण——जहां तक हमको याद है, माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है वहां तथ्य यह है कि माननीय गेंदासिंह जी को जानकारी कैसे हुई यह बाद की बात है। उन्होंने केवल यह कहा, जहां तक हमने पढ़ने का, उस समय सुनने का कष्ट किया या उठाया या देखा, उससे यह स्पष्ट है कि गेंदासिंह जी ने कहा कि "श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है, वस्तुस्थिति यह है"। चौधरी चरणसिंह ने इस सदन में पच्चीसों दफा कहा होगा कि "आपकी जानकारी अशुद्ध है, आपकी जानकारी असत्य है, गलत है"।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)——मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष——जी नहीं, आप बैठिये, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण——तो मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि अगर इतनी घटना को ही जो घट गयी उसको ब्रीच आफ प्रिविलेज मान लिया गया तब तो रोज ही ब्रीच आफ प्रिविलेज होता रहेगा। तो जिस चीज की सलाह आप हमको बार-बार दिया करते हैं, आज मैं वही सलाह सदन को दे रहा हूं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमने आपको सूचित कर दिया है कि दो ब्रीच आफ प्रिविलेज हमारे पेंडिंग हैं। हम तो देख रहे थे कि यह सदन किस रास्ते पर चलता है।

[श्री राजनारायण]

माननीय शान्तिप्रपन्न ने लिखा कि " इस पर श्री गेंदासिंह जी को सन्तोष नहीं हुआ" अगर किसी सदस्य को किसी के बयान से संतोष नहीं होता तो क्या अपराध है। और उन्होंने फिर यही कहा कि "उनकी यह पूर्णरूप से सूचना है कि यह प्रश्न ११-२-५८ को ही आपके विभाग से मंत्री जी को भेजे गये हैं।" आपके विभाग पर कोई लांछन नहीं है। उन्होंने तो आपके विभाग की सफाई की कि आपके विभाग ने बहुत प्राम्ट और उचित ऐक्शन लिया। फिर वह कहते हैं, "उनका कथन बिलकुल असत्य है।" माननीय गेंदासिंह जी की जानकारी अगर असत्य है तो अपनी जगह पर असत्य होगी।

श्री चरण सिंह—मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त वाली कहानी सुनी है आपने ?

श्री राजनारायण—फिर आगे कहते हैं, " इस प्रकार माननीय गेंदासिंह ने सत्य को छिपाने की चेष्टा की।" इस प्रश्न पर मैं आपकी सेवा में फिर निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदासिंह ने किसी सत्य को छिपाने की चेष्टा नहीं की। जो उनकी जानकारी थी उसको उन्होंने आपकी सेवा में प्रकट कर दिया। हो सकता है कि उनकी जानकारी असत्य रही हो, इसलिये वे आप से बार-बार कहते हैं कि उसकी इंक्वायरी आप कर लीजिये। मान लीजिये, इंक्वायरी करने में उनको किसी स्थान पर संतोष नहीं हुआ तो यह तो कोई कह नहीं सकता कि इंक्वायरी से हर आदमी को संतोष हो ही जाना चाहिये। छागला इंक्वायरी कमीशन की इंक्वायरी हुई। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को उससे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने साफ पार्लियामेंट में कह दिया। इसी प्रकार अक्सर, श्रीमन्, जैसे यहां होता है कि कभी-कभी हमें आपकी व्यवस्था से असहमति प्रकट करनी पड़ती है, मगर हम लोग बैठते हैं, वो डाउन करते हैं। तो इंक्वायरी से किसी को संतोष न होना कोई अपराध नहीं है।

फिर दूसरी बात यह कहते हैं कि " और सदन को तथा आपको भ्रम में डालने का प्रयास किया।" मैं समझता हूं कि यह भी आरोप इन पर नहीं लगता है। आगे कहते हैं "यह सदन का अपमान है, अतः मैं उनके विरुद्ध सदन के अपमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं"। चौधरी चरणसिंह जी वकील हैं। वे हमको बतायें कि क्या वे कोई दूसरा नया प्रिविलेज का सवाल ला रहे हैं या शान्ति प्रपन्न जी ने जो प्रिविलेज का नोटिस दिया है उसी पर उनके तमाम आर्गुमेंट्स बेस्ड हैं ?

श्री चरण सिंह—मैं मोती बिखेरना नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—तो वह कोई नया प्रश्न नहीं ला रहे हैं और न उसका कोई समय है। ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में अगर सुबह की बैठक में कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ और शाम की बैठक में वह नहीं उठाया गया तो वहां के स्पीकर यह कहते हैं—

"You have not taken the earliest opportunity, you cannot now raise this question".

तो माननीय चरणसिंह जी अब कोई नया प्रिविलेज ला नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष—आप जरा बैठ जायं, मैं अब फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण—तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं है और माननीय शान्तिप्रपन्न जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको वापस लें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक नयी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो कुछ माननीय माल मंत्री जी ने कहा या माननीय शान्तिप्रपन्न जी ने जो कुछ अपने पत्र में लिखा है अगर यह सब थोड़ी देर के लिये सही भी मान लिया जाय तब भी अब यह समय नहीं है कि इस पर किसी प्रकार का विचार किया जाय, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन हुआ वह हाउस के ऐक्चुअल व्यू में हुआ। उस समय माननीय माल मंत्री जी भी उपस्थित थे और माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी भी मौजूद थे। इस सम्बन्ध में जो नियम ४४ है जिसके अनुसार माननीय शान्तिप्रपन्न जी अपनी कम्पलेन्ट लाये हैं, उसका प्राविजो इस प्रकार है—

"Provided that if the breach is committed in actual view of the House the House may take action without any complaint".

माननीय गेंदासिंह जी ने जो कुछ कहा वह हाउस के सामने कहा और सभी लोग मौजूद थे। तो माननीय माल मंत्री जी को या माननीय शान्तिप्रपन्न जी को उसी समय कहना चाहिये था कि यह कम्पलेंट हो गया है। (व्यवधान) उस समय तो कहा था कि हम नोटिस देंगे। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के १६वें एडिशन में पेज १३३ पर जो लिखा है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं —

"Proceedings in case of contempt.

"When the contempt is committed in the actual view of either House, as, for example, where a witness prevaricates, gives false evidence or refuses to answer, the House, proceeds at once, without hearing the offender, unless by way of apology or to manifest his contrition, to punish him for his contempt".

तो उसमें शब्द हैं 'हाउस प्रोसिड्स ऐटवन्स' और चूंकि यह कार्यवाही उस समय नहीं हुई, इसलिये जो उनका प्रस्ताव है उस पर रूल के अनुसार भी और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार भी विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—अब इसके ऊपर काफी विचार हो चुका है और मैं अब इसक ऊपर अपना फैसला देता हूं।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, जरा सी.....

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये, अब तो और बात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, रूल का पालन किया तो अब इसके विद्ड्राल की बात भी हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं इस प्रश्न को उठने देना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वह (श्री गेंदा सिंह) सामने होते। प्रश्न यह है कि जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है, वह कहां तक वैध है। यदि मैं केवल शान्तिप्रपन्न जी शर्मा का जो प्रस्ताव आया है उसको पढ़ूं तो कल ही अपनी राय मैंने इस विषय में दे दी थी कि उसके अनुसार मैं उसे उठाने की इजाजत नहीं देता हूं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रस्ताव को सामने रखा था, उसमें कोई भी घटना ऐसी नहीं बताई गई थी कि जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हो। मैंने कल यह स्पष्ट भी कहा था। मैंने अपनी जानकारी हासिल करके पहिले कहा था कि ऐसी-ऐसी घटना है उस पर श्री गेंदा सिंह जी का विश्वास नहीं था। मैं जबर्दस्ती किसी को घोंट कर तथ्य को पिला नहीं सकता हूं कि वह तथ्य को मान लें। वह यह कह सकता है कि आपकी जानकारी गलत है। अभी इसके ऊपर इंक्वायरी और करने की जरूरत है, वगैरह-वगैरह। इस प्रकार की चीज के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। इसलिये मैंने उस वाक्ये के ऊपर इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इसके बावजूद कल उन्होंने फिर खड़े होकर यह कहा कि अगर यह प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला दे दिया जाय तो बहुत कुछ भंडाफोड़ या रहस्य का उद्घाटन होगा, तो

[श्री अध्यक्ष]

मैंने समझा कि इसका मतलब, उनके कहने का, यह है कि इसमें या तो किसी ने फोरजरी की या किसी ने आंकड़े बदल, चाहे वह व्यक्ति हमारे दफ्तर का हो, चाहे माल मंत्री के दफ्तर का हो, किसी ने ऐसी बात को किया है । जब यह शंका पैदा हुई तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, जब आपही इस प्रकार की बात कहते हैं तो लाचारी है । मैंने तो समझा था कि मामला खत्म हो गया और मैं इसको खत्म करना चाहता भी था । यदि किसी दूसरे ने कहा कि ऐसी घटना हुई और उस पर विश्वास करके अगर कोई बात कही जाय जो असत्य सिद्ध हो तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा, नहीं लाना चाहिये । लेकिन यह चीज दूसरी है । कोई माननीय सदस्य कहें कि जो हमारा विधान सभा का कार्यालय है, उसमें कुछ गोलमाल हो गया या माल मंत्री जी के दफ्तर में हो गया है तो कर्मचारियों पर यह आक्षेप हो सकता है और मंत्री जी के ऊपर भी अगर शक जाहिर किया गया तो इसका मतलब यह है कि एक सदस्य के ऊपर आक्षेप होता है । इसलिये कल मैंने श्री शान्तिप्रपन्न जी के प्रस्ताव के लिये इजाजत दी कि वह पढ़कर सुनायें। लेकिन अगर मैं अपने को सीमित रक्खूं उसी प्रस्ताव पर जो प्रस्ताव कि पढ़ा गया तो मैं उसको अब भी अवैध करार दूंगा । लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया था उस पर उसकी वैधानिकता की बहस में जो बातें श्री गेंदा सिंह जी ने कहीं क्या उनसे प्राइमाफेसी ब्रीच आफ प्रिविलेज प्रतीत होता है या नहीं, यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ । जैसी शंका श्री गेंदा सिंह जी ने उठाई, यदि विधान सभा के सचिवालय के ऊपर इस तरह की शंका पैदा होती है तो अगर वह सत्य साबित होती है और वाकई इस प्रकार की घटना हुई हो, तो इसके लिये दो प्रकार से दंड दिये जा सकते हैं । एक तो यह कि सदन के सामने ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उस अधिकारी के ऊपर लाकर सदन उसको दंडित कर दे या अध्यक्ष अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको दंडित करें या बरखास्त करें । इस प्रकार कार्यवाही हो सकती है । यही बात माननीय माल मंत्री के दफ्तर के सम्बन्ध में हो सकती है । यदि उनके दफ्तर के सम्बन्ध में इस तरह की कोई कार्यवाही की शंका हो तो माल मंत्री अपने दफ्तर के कर्मचारी को आरोप सिद्ध होने पर दंड दे सकते हैं, या इस सदन में यह प्रश्न उठाया जा सकता है और सदन उस शख्स को दंड देने के लिये विशेषाधिकार की अवहेलना की कार्यवाही कर सकता है,क्योंकि उसके कार्य से सदन के कार्य में इतनी बाधा पड़ी और सदन का अवमान हुआ।

तो यह इतना महत्वपूर्ण विषय बन गया श्री गेंदा सिंह जी के उन शब्दों से जो उन्होंने यह कहे कि इसमें बहुत सा रहस्य खुलेगा। इस-वास्ते यह कार्यवाही मुझे करनी पड़ी । आज मैं यह सोच रहा था कि उस रहस्य के खोले जाने के विषय में मुझे तहकीकात करने के लिये फिर से श्री गेंदा सिंह जी कुछ कहेंगे लेकिन उन्होंने उसी आक्षेप को दोहराया और विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपने का आग्रह किया । आज भी प्रत्यक्ष स्पीकर के ऊपर कोई आक्षेप उन्होंने किया हो, ऐसा मैं इसको नहीं मानता हूं । इस प्रकार के कथन से स्पीकर के ऊपर अप्रत्यक्ष भी आक्षेप नहीं समझे जाते हैं । "इम्प्यूटेशन आफ दि केरेक्टर आफ दि स्पीकर" का प्रश्न दूसरी तरह से उठता है । यदि स्पीकर का पक्षपात पूर्ण फैसला है, ऐसी कोई बात कहता है तब उससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है । लेकिन ऐसी बात न उन्होंने कही और न उनका कोई मन्शा ही था । उन्होंने यह कहा कि उनकी जानकारी यह है कि दफ्तर में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी रहस्यता के बारे में उन्होंने जिक्र किया । उनके संकेत से यह नतीजा जरूर निकलता है कि मेरे दफ्तर में या माल मंत्री जी के दफ्तर में यह गड़बड़ कुछ न कुछ जरूर हुई । यह दफ्तर के कर्मचारियों पर आक्षेप था । मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२७ (सोलहवाँ संस्करण) पर यह वाक्य दिया है जिसको माल मंत्री जी ने पढ़ा, वह यह है कि :—

> "Both Houses will treat as breaches of their Privileges, not only acts directly tending to obstruct their officers in the execution of their duty, but also any conduct which may tend to deter them from doing their duty in the future".

यदि यह चार्ज असत्य उनके ऊपर लाया गया और असत्य साबित होता है तो इसमें अवश्य

[श्री अध्यक्ष]
लिखेगी कि उन्होंने जो यहां बार-बार कहा है उससे सदन का अवमान हुआ है (ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है) या नहीं हुआ है और यदि हुआ है तो क्या दंड देना उचित होगा । फिर सदन उस रिपोर्ट आन मेरिट्स विचार करेगा । तो मैं इस मामले को इस वास्ते नियम ६७ के अनुसार विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं कि वह इस मामले को "इन्वेस्टीगेट करे" जितने चार्ज अभी सदन में और कल माननीय गेंदा सिंह जी ने लगाए हैं उनके बारे में और अपनी रिपोर्ट विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में प्रस्तुत करे ।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, कुछ और मामले भी हैं जो उससे संबंधित हैं और जो रहस्य खुलने वाला है.....

श्री अध्यक्ष—वे आपने छेड़े नहीं हैं, इसलिये वे समिति के सामने नहीं आ सकते हैं ।

चकिया-चंदौली में सरकारी देय की वसूली में कथित ज्यादती के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी का कामरोको प्रस्ताव है कि चकिया चन्दौली में सरकारी देय की वसूली में ज्यादती हो रही है, वगैरह । उसके बाद नई घटना वह कहते हैं जो सत्यनारायण पांडेय जी की गिरफ्तारी से हुई जिससे विषम परिस्थिति पैदा हुई । लैंड रेवेन्यू के बारे में मैं समझता हूं, अनुदान अभी हो चुका है और उसके ऊपर बहस भी हो चुकी है । जहां तक कामरोको प्रस्ताव से इस विषय के ऊपर बहस करने की बात है, तो वह तो नहीं हो सकती है । लेकिन यह नई घटना कि कोई झगड़ा हुआ है, इसके विषय में माननीय गृह मंत्री जी कोई सूचना देना चाहें तो वह दे सकते हैं क्योंकि राजनारायण जी ने मुझसे यह भी कहा कि उसके साथ साथ उन्होंने मंत्री जी को सूचना दे दी थी और उन्होंने कोई तहकीकात की है । मैं गृह मंत्री जी से पूछूंगा कि कोई ऐसी बात हुई है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—किस बात की सूचना, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष—क्या श्री सत्यनारायण पांडेय की गिरफ्तारी हुई और झगड़ा हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राजनारायण जी से मुझे मालूम हुआ, और भी एकाध आदमी से मालूम हुआ, कि श्री सत्यनारायण पांडेय वहां गिरफ्तार हुये इसलिये कि वह घूमकर प्रचार कर रहे थे कि नहर का लगान या रेट मत दो । मैंने उसे सुनने के बाद बनारस के कलेक्टर को टेलीफोन जरूर किया था लेकिन वह उसी इलाके में हैं जहां कि घटना बताई जाती है और मैंने कह दिया है कि वह आने पर मुझसे बात कर लें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा निवेदन है कि इसमें मालगुजारी का ही सवाल नहीं है । मंत्री जी ने जैसा स्वयं माना, इसमें नहर रेट की वृद्धि की वसूली के बारे में सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रदर्शन है, वह है । अभी डाक्टर राममनोहर जी लोहिया के केस में हाईकोर्ट से लड़कर हम जीते हैं जिसमें कहा गया है कि कोई यह कहे कि लगान या बढ़ा हुआ रेट मत दो तो यह अपराध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—जिस समय बहस होगी उस समय आप यह कह सकते हैं ।

बलिया में चेचक के प्रकोप पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी का है कि बलिया शहर में चेचक की बीमारी से ८० व्यक्ति नहीं रहे । यह कोई आवश्यक विषय नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—उसके टीके लगाने की भी व्यवस्था नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष—मेडिकल बजट पर विवाद कुछ दिन पहले ही हुआ है, उस दिन कहना चाहिये था ।

टुंडला के निकट रेलगाड़ी में डकैती व हत्याओं के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——तीसरा रेलवे में टुंडला के पास हत्यायें हुईं, उसके बारे में है । इससे यहां की सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

मंत्रियों को परामर्श देनेवाली स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष——अब मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिये २५ स्थायी परामर्शदात्री समितियों का निर्माण होना है । इनके लिये नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि २६–३–५८, ३ बजे तक है; नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २७ को २ बजे तक है, सचिव के कमरे में; नाम वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १–४–५८, ३ बजे तक है; निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ४ तारीख को विधान सभा वाचनालय में होगा । क्योंकि ५ को शायद काउन्सिल का चुनाव होगा ।

लोक लेखा समिति के निर्वाचन के कार्य-क्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष——एक और सूचना है । लोक लेखा समिति का भी कार्य-क्रम इसी तरह से रहेगा जिसमें नाम निर्देशन के लिये आज मैंने रखा था । लेकिन चूंकि बहुत कुछ ऐजस्टमेन्ट आपस में लोग करते हैं जिससे चुनाव न हो सके, इसलिये उसकी भी तारीखें, क्योंकि मुख्य सचेतक की ऐसी इच्छा थी, बढ़ाकर वही कर दी गई हैं, यानी २६ तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, सूक्ष्म परीक्षा २७ को, १ तारीख तक नाम वापसी और ४ तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो उसका भी निर्वाचन होगा ।

आय-व्ययक पर बाद विवाद के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष——माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल की राय से कुछ परिवर्तन हुआ है कार्य-क्रम में, वह अगले हफ्ते के बारे में है । १७, १८ और १९ तारीख को मुख्य मंत्री जी के सामान्य प्रशासन, कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय, प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते, योजना और एकीकरण थे और इसके बाद दो और भी अनुदान थे सहकारिता मंत्री के, सहकारिता के आधार पर ऋण और औद्योगिक विकास अब सहकारिता वहां से हटाकर बाद में रखी गई है । १७ और १८ को २ दिन मुख्य मंत्री जी के सामान्य प्रशासन, कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय, प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्च तथा भत्ते, और योजना और एकीकरण, और हरिजन कल्याण मंत्री जी के अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान है । ये तारीख १७ और १८ को होंगे। पुलिस और शिक्षा अनुदानों के बारे में अन्दाजा किया जाता है कि ज्यादा समय लगेगा इसलिये उनको तीन रोज दे दिये जायं १९, २० और २१, तथा २२ तारीख को सहकारिता मंत्री और समाज सुरक्षा मंत्री अपने अनुदान एक दिन में खत्म कर दें । बाकी कार्य-क्रम जैसा था वैसा ही रहेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——माननीय नेता विरोधी दल न अनुदान संख्या ४० को २२ तारीख के लिये कहा था ।

श्री अध्यक्ष——मेरे पास तो १७–१८ की ही सूचना है ।

माननीय परिवहन मंत्री सवा दो बजे अपना अनुदान पेश करेंगे ।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न-अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३, ४, ६ और ४९ पर बिना विवाद के ही मत ले लिया जाय और बाकी अनुदान संख्या ७ और २९ आज विवाद के लिये लिया जाय । यह कार्य-क्रम आज के लिये है और कल के लिये .....

श्री उपाध्यक्ष---आप चाहते हैं कि अनुदान संख्या ७ और २९ पर आज विवाद हो ।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, मैं कुछ अमेंड करना चाहता हूं । अनुदान संख्या ७, २९ और ४९ तीनों को एक साथ ही ले लिया जाय और अनुदान संख्या ३१, ३२, ३३ और ४७ एक साथ कल ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री परिवहन मंत्री जी, आप अनुदान संख्या ३, ४ और ६ को पेश कर दें मैं उन पर पहले मत ले लूं ।

अनुदान संख्या ३---लेखा शीर्षक ८---राज्य आबकारी

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३-राज्य आबकारी-लेखा शीर्षक : ८---राज्य आबकारी के अन्तर्गत १, १९, १०, ३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३-राज्य आबकारी-लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,१९,१०,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४---लेखा शीर्षक ९---स्टाम्प

डाक्टर सीताराम---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४-स्टाम्प-लेखा शीर्षक: ९---स्टाम्प के अन्तर्गत ६,७६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४-स्टाम्प---लेखा शीर्षक ९ :---स्टाम्प के अन्तर्गत ६,७६,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६---लेखा शीर्षक ११---निबन्धन

डाक्टर सीताराम---उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६-निबन्धन-लेखा शीर्षक : ११-निबन्धन के अन्तर्गत १६,०१,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६-निबन्धन-लेखा शीर्षक : ११-निबन्धन के अन्तर्गत १६,०१,२०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७-लेखा शीर्षक-१२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक-४७--प्रकीर्ण विभाग और ४४--उड्डयन तथा अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक-७०--कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत तथा ८२--राजस्व के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

डाक्टर सीताराम--उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७-मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय-लेखा शीर्षक : १२-मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत १,४९,३२,९०० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९-परिवहन विभाग-लेखा शीर्षक : ४७-प्रकीर्ण विभाग और ४४-उड्डयन के अन्तर्गत ५,८५,१८,००० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९- कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत--लेखा शीर्षक : ७०-जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२-राजस्व के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,६४,७२,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्यगण परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट तखमीनों के सम्बन्ध में जानकारी करा लिये होंगे, लेकिन फिर भी जो बजट परिवहन विभाग के सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत है उस पर मैं एक विहंगम दृष्टि डालना उचित समझता हूं । परिवहन संगठन का कुल बजट ७,१५,२६,००० रुपयों का है । इसमें से १,३३,९२,००० रुपया पूंजीगत तथा ५,८१,३४,००० रुपया राजस्वगत है । इस धनराशि में ५,५३,४१,१०० रुपया राजस्व खाते तथा १,३३,९२,००० रुपया पूंजी खाते का है। पूंजी-खाते में राष्ट्रीयकृत परिवहन के हेतु १,२३,९३,००० रुपया साधारण तथा ९,९९,००० रुपया विकास योजनाओं पर व्यय होगा ।

सदन के सदस्यों को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि १३ लाख रुपया अन्य विभागों को दिये गये पेट्रोल के सम्बन्ध में वसूली तथा ८,९०,५०० रुपए की धनराशि डिप्रिसिएशन फंड से भी प्राप्त होगी । बाकी २७,९२,९०० रुपया परिवहन संगठन की अन्य शाखाओं, जैसे संचालन एन्फोर्समेंट, शिल्पी, प्रादेशिक परिवहन तथा केन्द्रीय कर्मशाला कानपुर के लिये निर्दिष्ट है। ५८-५९ में बस संचालन से सम्भावित आय ४,९८,६२,००० रुपए तथा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैकसेशन ऐक्ट तथा इन्डियन मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत १,३८,००,००० रुपए होगी ।

यह जानकर भी सदन को प्रसन्नता होगी कि सन् ४७ में जब इस देश में स्वतन्त्रता आई तो सरकार ने नाना प्रकार की विकास योजनायें प्रसारित कीं और यह कहना भी असंगत

[डाक्टर सीताराम]

न होगा कि रोडवेज विभाग ने जिस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि की है वह एक वांछनीय बात है । सन् ४७ में लखनऊ से बाराबंकी रूट पर ६ बसेज की संख्या को लेकर परिवहन विभाग चालू किया गया । उसके बाद आप देखते हैं कि आज ५८ में बसेज की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते १९५१ या करीब २,००० के है. । इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट की व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है और इस संबंध में सब आंकड़े इस बजट में उपलब्ध हैं । उनको देखने के पश्चात् माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो भी तरक्की इस डिपार्टमेंट में हुई है वह बहुत थोड़े समय के अन्तर्गत, अर्थात् दस साल के अन्तर्गत अन्य प्रान्तों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है और उनके मुकाबले में अपना एक स्थान रखती है ।

जहांतक इस परिवहन विभाग में राष्ट्रीयकरण होने की बात है, तो आप देखते हैं कि इसको प्राप्त करने के पश्चात् और इसके पूर्व रोडवेज विभाग की क्या व्यवस्था थी और पहले किस तरह से बसेज में आदमी सामान की तरह लाद दिये जाते थे, लेकिन अब इस विभाग की दशा कितनी बदल गई है । मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि आज बसेज के चलाने के सम्बन्ध में परिवहन विभाग की उत्तरोत्तर उन्नति हुई है और उन जगहों पर जहां अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी हैं, जहां कच्ची सड़कें हैं, तो इसके पूर्व जो प्राइवेट बसेज वहां पर चला करती थीं, वहां से ज्यादातर शिकायतें आती हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन दस साल पहले जिस तरह की व्यवस्था थी, वह बात अब नहीं है, क्योंकि अब वहां पर ट्रान्सपोर्ट विभाग की बसेज चलती हैं । मेला आदि के समय भी ट्रान्सपोर्ट विभाग की बसेज चलती हैं और यदि कभी बसेज बिगड़ जाती हैं, तो दूसरी बसेज यात्रियों को ले जाने के लिये उस स्थान पर भेज दी जाती हैं । इस के साथ ही साथ ट्रान्सपोर्ट विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिये हमने विश्रामालय बनाये हैं और कर्मचारियों की सुविधाओं के लिये वेतन सहित उनको छुट्टी दी जाती है और दूसरी प्रकार की छुट्टियों की सुविधायें भी उनको प्राप्त हैं ।

रोडवेज का संचालन, जैसा कि मैंने बतलाया कि सन् ४७ में जब कि १८ मील लम्बी सड़क पर रोडवेज की बसेज चलती थीं, वहां अब करीब ६,८३७.८ मील लम्बी सड़क पर चलती हैं । जहां रोडवेज की बसें चलती हैं, वहां इस तरह से ४७४ सड़कों पर इसकी बसें पहुंच गई हैं । इस पुस्तिका में इस सम्बन्ध में काफी ब्यौरा दिया गया है और उसको देखने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पहली अप्रैल सन् ५७ से लेकर दिसम्बर ५७ तक करीब ४७७ मार्गों पर हमारी बसें चल रही हैं जहां कि पहले ४३१ रोड्स पर ही बसें चला करती थीं । जो माइलेज सन् ५६-५७ में ६,३२,९१,९९६ हो गई, तो वह पहले ३,९६,००,००० के करीब थी। तो इतनी माइलेज में तरक्की देखकर सब को प्रसन्नता होगी । इसी तरह से पैसेन्जर की संख्या भी पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ गई है और वह ४८,९५,८५४ के करीब है जब कि हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ जायगी । १९५६-५७ में रोडवेज की बसों पर ६,३२,५१,९९६ यात्रियों ने यात्रा की तथा ३,९६,०३,०३२ मील चलीं । १९५६-५७ में रोडवेज की गाड़ियों से ४,५६,५३,३४९ रु० की आमदनी हुई तथा दिसम्बर १९५७ के अन्त तक १०,६६७ लोगों को रोजी मिली ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि जहां हमारी बसेज इतनी मील चली हैं और यात्रियों को उन से काफी सुविधा मिली है, उसी के साथ ही साथ हम ने ७ रीजनल ब्रांचेज खोले हैं और जनरल मैनेजर उनके हेडक्वार्टर पर होता है । इसके अलावा एक सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर में है, जिसमें कि १,१०० आदमी कार्य करते हैं । इसके अलावा और भी बड़े-बड़े वर्कशाप हैं जहां पर कि बसेज की मरम्मत वगैरह हुआ करती है । वह अपेन्डिक्स ९ में सफा १३ पर दिया हुआ है । उसमें जो कुछ छपा हुआ है, उसको माननीय सदस्य अच्छी तरह से देख सकते हैं ।

इसके बाद पैसेन्जर्स वगैरह को क्या सुविधायें दी जा सकती हैं, इसको भी जानकर आप लोगों को प्रसन्नता होगी । फिर बसेज जो हैं वह जिस प्रकार से बनाई जा रही हैं उससे भी काफी प्रसन्नता

होगी कि वे बसेज जो आजकल बनायी जा रही हैं, हवादार हैं, उनमें गद्दीदार सीटें होती हैं और उनमें धूल निरोधन का भी प्रबन्ध होता है । साथ ही साथ विश्राम करने के लिये, यात्रियों के लिये पीने के पानी और सफाई का प्रबन्ध होता है । इसी तरह से हम देखते हैं कि जो रोडवेज डिपार्टमेंट की बसेज हैं, वे ठीक समय से चलती हैं, अगर यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । रोडवेज की बसें ९७ फीसदी ठीक टाइम से चलती हैं । एपेन्डिक्स १० में देखने से आप लोगों को मालूम होगा कि ४९-५० से ५६-५७ तक के आंकड़े इसमें दिये गये हैं । यह हो सकता है कि किसी जगह पर कोई बस ठीक समय पर न पहुंचे लेकिन उसका ध्यान ऐसा रखा जाता है कि यात्री सफर करते हैं, उनको असुविधा न हो, इस तरह से डिपार्टमेंट को हिदायत है कि यात्रियों की सुविधाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय ।

इसी तरह से रोडवेज में जो कार्य हो रहे हैं उनमें एक यह भी है कि शहरों की जनता को सुविधा देने के लिये सिटी बस सर्विसेज जारी की गयी हैं और इस तरह से आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और बरेली में सिटी बस सर्विस चल रही हैं । इसी तरह से अप्रैल सन् ५७ से लेकर नवम्बर सन् ५७ तक १,२३,००,००० आदमियों ने सफर किया है । फिर हम यह भी देखते हैं कि शहरों की जनता को सुविधायें प्रदान करने के लिये बसों की संख्या को बढ़ाया गया है शहरों में ।

इसी तरह से आप देखें कि रोडवेज में एफिशिएन्सी है उसको किस तरह से इनक्रीज करें, इसके उपर भी विचार करना जरूरी हो जाता है । उसके लिये जो सेन्ट्रल वर्कशाप है, उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग के लिये ८५ ट्रेनीज ट्रेनिंग ले रहे हैं । साथ ही साथ ४ आदमी हमारे पास इंजीनियर, फोरमैन और असिस्टेंट फोरमैन जो हैं वह जर्मनी ऊंची शिक्षा के लिये भेजे गये और इसके बाद फिर १७ आदमियों को जर्मनी और इंगलैंड भेजने के लिये, उनका चुनाव हो गया है और मुझे पूरी आशा है कि वह शीघ्र ही जर्मनी और इंगलैंड जायेंगे । इन १७ आदमियों में से ११ आदमी तो जर्मनी भेजे जायेंगे जो कि वहां पर मर्सिडीज वर्कशाप में ट्रेनिंग पायेंगे और इसके साथ-साथ ६ वर्क्स इन्जीनियर इंगलैंड की लेलैंड कम्पनी में ट्रेनिंग पायेंगे । इस तरह से यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अगर हमारे प्रदेश में ऐसी कोई बात पड़े तो हमारा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट स्वावलम्बी हो । हमारे इंजीनियर्स जब ट्रेनिंग पाकर आयें तो रोडवेज की व्यवस्था को इस तरह से कायम करें जिससे हम जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में करीब-करीब सभी बसेज मर्सिडीज और लेलैंड हैं । भविष्य में कोई बात हो और इन बसेज के पार्ट्स न आ सकें तो ऐसी परिस्थिति में हमारे २७ इंजीनियर जिनमें १० चले गये हैं और १७ जाने वाले हैं, ट्रेनिंग ले कर जब लौटेंगे तो अपने यहां वर्कशाप्स में ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे जिससे हम बसेज की ज्यादा संख्या बढ़ कर समाज की सच्ची सेवा कर सकेंगे । यह बड़े गर्व की बात है कि आज इस प्रान्त के अतिरिक्त और किसी प्रान्त से बाहर के देशों में इतनी अधिक संख्या में इंजीनियर्स या सर्विस मैनेजर्स ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजे गये हैं और यह भी गर्व की बात है कि इतने इंजीनियर विदेशों में ऊंची शिक्षा लेने के पश्चात निकट भविष्य में इस सूबे की जनता की सच्ची सेवा करने में सहायता पहुंचा सकेंगे ।

कर्मचारियों की सुविधा के लिये भी कार्य किये गये हैं, जैसे बसेज के कर्मचारी किसी कारणवश खराब हालत में हो जायं तो डिपार्टमेंट की ओर से उनके लिये बेनेवोलेंट फंड खोला गया है और साथ ही साथ उनके रहने के लिये बहुत से स्थान बनाये गये हैं । यह मैं मानता

[डाक्टर सीताराम]

हूं कि बहुत से स्थानों पर अभी नहीं भी बने हैं, लेकिन फिर भी बजट में इसके लिये १३ लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है जिसमें शेड, डिपो और रहने के स्थान बनेंगे ।

जहां तक एफिशियेंसी का सम्बन्ध है, मैं देश के और सूबों के और अपने सूबे के आंकड़े मुकाबिले में माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस पुस्तिका में सब आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन थोड़े से आंकड़े मैं माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूं ताकि उनको और सूबों के सम्बन्ध में भी जानकारी हो जाय कि कहां कैसा कार्य हो रहा है । एक गैलन पेट्रोल में यू० पी० की और अन्य सूबों की बसेज कितने मील चलती हैं, उसके आंकड़े मैं उपस्थित करता हूं:—

उत्तर प्रदेश ११.६५ मील, बम्बई ७.५५ मील, हैदराबाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मैसूर ९.५५ मील, मध्य प्रदेश (पी०टी० एस०) ८.०० मील, (सी०पी०टी०एस०) ९.४४ मील, पंजाब ९.६३ मील । इस तरह से हम देखते हैं कि एक गैलन पेट्रोल में हमारी यू० पी० की बसेज ज्यादा दूरी कवर करती हैं बमुकाबिले और सूबों के ।

इसी तरह से एक गैलन डीजल पर बसेज यू०पी० में और अन्य सूबों में कितने मील चलती हैं इसके आंकड़े मैं उपस्थित करता हूं । यू० पी० करीब १६ मील, बम्बई १२.६० मील, हैदराबाद १२.९४ मील, मध्य प्रदेश (पी०टी०एस०) १४.७५ मील, (सी०पी०टी०एस०) १४.३२ मील, पंजाब १४.०३ मील । इस तरह से आप देखेंगे कि डीजेल की भी गाड़ियां हमारे प्रदेश में बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के एक गैलन में ज्यादा मील चलती हैं ।

इसी तरह से मोबिल आयल का प्रति गैलन पेट्रोल वाली गाड़ी पर जो माइलेज होता है वह इस प्रकार है:—

उत्तर प्रदेश ८४०.६९ मील, बम्बई ५५१·२५ मील, हैदराबाद में—मालूम नहीं, मैसूर में ८९८.७५ मील, मध्य प्रदेश (पी०टी०एस०) ५८५.३५ मील, (सी०पी०टी०एस०) ४१३.६७ मील, पंजाब १००.०० मील ।

मोबिल आयल का प्रति गैलन डीजेलवाली गाड़ी पर माइलेज—उत्तर प्रदेश—१,२२६.६२ मील, बम्बई—४२८.०० मील , हैदराबाद—८५१.९९ मील, मैसूर—७८२.२४ मील, मध्य प्रदेश (पी०टी०एस०) ७८५.४५ मील, मध्य प्रदेश (सी०पी०टी०एस०) में ५९१.६७ मील और पंजाब (अम्बाला) में १०० मील । इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी डीजेल की बसें हैं वह एक गैलन मोबिल आइल पर सब से ज्यादा सफर करती हैं ।

इसके अलावा मैं आपको नये टायरों द्वारा किये गये सफर के आंकड़े बतलाऊं कि उत्तर प्रदेश में ३१,५०० मील, बम्बई में १७,८३४ मील—मैं बम्बई कारपोरेशन के आंकड़े से मुकाबिला कर रहा हूं । हैदराबाद में १७,९५९ मील, मैसूर में १९,५९५ मील, मध्य प्रदेश (पी०टी०एस०) में २२,६५३ मील और सी० पी० टी० एस० में १८,२४३ मील, पंजाब में ३३,७०३ मील—पंजाब में इसलिये वहां ज्यादा है कि पंजाब की सड़कें अच्छी हैं । तो पंजाब को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में नये टायर से किये गये सफर के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं ।

अब प्रति बैटरी पर प्राप्त मीलों की संख्या के सम्बन्ध में आपको बतलाऊं कि माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बैटरी के बारे में और सूबों के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं कि वहां बैटरी बनती हैं या नहीं, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में बनती हैं । उन बनी हुई बैटरीज को सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रति बैटरी पर प्राप्त मील ३०,६१०, बम्बई में २९,६०६, हैदराबाद के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, मैसूर में ३०,८३२, मध्य प्रदेश (पी० टी० एस०) में २५,६११, और (सी०पी०टी०एस०) में २२,५८२, पंजाब में १७,६४४ मील । तो बैटरीज कानपुर में बनती हैं, उस बनी हुई बैटरी पर जो भी कहीं और जगह से नहीं खरीदी जाती उसकी लाइफ और सूबों के मुकाबिले में ज्यादा होती है ।

इसी तरह से प्रति १०,००० मील यात्रा पर ब्रेकडाउन की संख्या .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं कहूंगा कि समय बहुत कम है, इसलिये संक्षेप में बोलें, क्योंकि अन्त में भी आपको उत्तर देना होगा ।

डाक्टर सीताराम—मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं । तो ब्रेक डाउन की संख्या उत्तर प्रदेश में ०.६५ हैं और हिन्दुस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है सिवाय पंजाब के—जहां भी ०.६५ है, वरना हिन्दुस्तान के और सूबे बम्बई, हैदराबाद, मैसूर, मध्य प्रदेश, वहां इससे ज्यादा ही है । इसी तरह से प्रति गाड़ी पर कर्मचारियों की संख्या—इसमें यू० पी० में ५.७६ है । हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों में, जैसे बम्बई है, मध्य प्रदेश है, वहां पर ज्यादा औसत पड़ता है । लेकिन पंजाब में जरूर ३.५७ है, क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं ।

इसी तरह से कुल बसेज की संख्या पेट्रोल या डीजेल पर, उनका परसेंटेज मैं आपके सामने उपस्थित करूंगा । उत्तर प्रदेश में ३१.७५ परसेंट डीजेल बसेज की संख्या है, लेकिन और हिन्दुस्तान के सूबों में, जैसे बम्बई है, वहां ९६ परसेंट, हैदराबाद में १०० फीसदी, मैसूर में ७० फीसदी, मध्य प्रदेश (पी० टी० एस०) में ९५.१२ फीसदी और (सी०पी०टी०) में ८७.६५ फीसदी और पंजाब में ७३.२४ । इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में डीजेल बसेज की संख्या कम है और सूबों के मुकाबिले में, लेकिन डीजेल बसेज की संख्या कम होते हुए भी यह प्रदेश के लिये बड़े गर्व की बात हो जाती है कि पेट्रोल से चलते हुये भी, करीब ६६ फीसदी चलती हैं लेकिन फिर भी यहां का जो परिचालन होता है वह अति वांछनीय है ।

यहां पर कैपिटल करीब साढ़े पांच करोड़ का है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों के समक्ष यह कहूंगा कि ५६-५७ में ७७,८१,६२८ रुपये का नेट प्राफिट हुआ अपेंडिक्स १ में और अप्रैल १९५७ से सितम्बर तक ५५,७२,००० रुपये की आमदनी हुई और दिसम्बर तक ८३ लाख तक पहुंच गयी है । साथ ही साथ मुझे पूरी आशा है कि पहली अप्रैल, ५८ तक जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट अपने प्राफिट ऐंड लास एकाउन्ट को तैयार करेगा तो उसका नेट प्राफिट १,१०,००,००० के करीब तो जरूर ही पहुंचेगा । लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यद्यपि पेट्रोल के दाम पहले सालों के मुकाबिले में ज्यादा बढ़ गये हैं—पहले २ रुपये, १३ आने फी गैलन था और अब ३ रुपये, १५ आने फी गैलन है और जो कैपिटल हम लगाते हैं, तो पहले ४ फीसदी था, अब साढ़े चार फीसदी है, लेकिन हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है ।

जहां पर सन् ५६-५७ में एक मील सफर करने में १५.४४ आने फी मील खर्चा था, अब वह घट करके १२.८३ आने फी मील रह गया है ।

इस तरह से आप देखेंगे कि ये सब बातें डिपार्टमेन्ट की एफिशियेंसी की परिचायक हैं कि यह डिपार्टमेन्ट कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है । हम मानते हैं कि बहुत से सदस्य यह कहेंगे कि रोडवेज की बसेज कई जगह पर ठीक टाइम से नहीं पहुंचतीं, लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया है, ९७ फीसदी बसेज ठीक टाइम पर पहुंचती हैं । बहुत सी बातें रास्ते में ही जाया करती हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेन्ट की ओर से यह हिदायत है कि अफसर और कर्मचारी ठीक टाइम से बसेज को छोड़ा करें । जहां तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का सवाल है वह काफी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य का संचालन कर रहे हैं । यह शिकायत हो सकती है कि इनफोर्समेंट स्क्वैड में जो आफिसर्स हैं वह लोगों को परेशान किया करते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिनको कर्मचारी पकड़ते हैं वे तो शिकायत करेंगे ही, क्योंकि एक साल ९ महीने के अन्दर अगर माननीय सदस्य देखना चाहें, एपेन्डिक्स ११ में दिया हुआ है कि दिसम्बर तक इनफोर्समेन्ट स्क्वाड वालों

[डाक्टर सीताराम]
ने ६,४५० केसेज पकड़े। तो जो पकड़ में आते हैं वे तो शिकायत करेंगे ही लेकिन हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं और इस प्रदेश को हमें दृढ़ बनाना है। इसलिये कुछ कमजोरियां हो सकती हैं फिर भी पिछले १० साल से यह डिपार्टमेन्ट उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे अधिकारीगण काफी सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।

इसके बाद इसमें एक आर०टी०ओ० सेक्शन है। जो अनुदान संख्या ७ पेश किया गया है—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय—इसमें ८ आर०टी०ओज० के सेंटर्स हैं। इनका काम है रजिस्ट्रेशन, लायसेंसिंग और टैक्सेशन। इस प्रान्त में आर०टी०ओज० और ए० आर० टी० ओज० की संख्या इस समय लगभग २० के करीब है। जहां सन् ४७-४८ में आर०टी० ओज० सेक्शन ३० हजार वेहिकिल्स का रजिस्ट्रेशन करता था वहां सन् ५७-५८ में उसने करीब ७६ हजार वेहिकिल्स का रजिस्ट्रेशन किया। इस प्रकार हर रीजन में करीब १० हजार वेहिकिल्स का रजिस्ट्रेशन होता है। इससे यह जाहिर है कि आर० टी० ओज० सेक्शन पर कार्य का भार बहुत काफी है लेकिन फिर भी वह बहुत सतर्कता से कार्य करता है।

बातें तो मुझे बहुत सी कहनी थीं लेकिन समयाभाव के कारण, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, मैं बाद में अपने जवाब में बतलाने की चेष्टा करूंगा। मैं अधिक समय इसलिये नहीं लेना चाहता कि जिन माननीय सदस्यों ने इस पुस्तिका को पढ़ने का प्रयास किया होगा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि इस डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी काफी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और यह डिपार्टमेन्ट उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बजट पर विचार करें और मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी उनके उचित सुझाव होंगे उन पर हम पूरी तौर से गौर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में भाषणों की टाइम लिमिट के लिये कोई सुझाव ? आमतौर पर एक दिन जिस ग्रांट के लिये होता है तो १० मिनट का समय होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिये तो एक दिन भी नहीं है। इसलिये आमतौर पर भाषणों के लिये अगर आप ७ मिनट रख दें और विशेष परिस्थिति में १० मिनट और मूवर के लिये १५ मिनट तो मैं समझता हूं इस तरह काफी सदस्य बोल सकेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा निवेदन यह है कि सवा बजे तक का समय तो प्रिविलेज में ही चला गया।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो सब से जरूरी काम था।

श्री राजनारायण—जी हां। तो उतना समय तो उसमें चला गया।

श्री उपाध्यक्ष—तो हर काम के लिये कहां समय मिलेगा ?

श्री राजनारायण—क्योंकि आप उसी पर कंट्रोल कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने समय कम होने की शिकायत की, अगर उन्होंने शिकायत न की होती तो मैं समय बढ़ाने लिये अनुरोध नहीं करता। इसलिये अगर सबकी राय हो तो आज सदन का समय एक घंटा केऔर बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी कुछ समय तक कार्यवाही चलने दें। उसके बाद देखा जायगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि कटौती के प्रस्ताव के मूवर को २० मिनट दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—२० मिनट तो हो जाते हैं। शुरू में १५ मिनट और बाद में ५ मिनट।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, ५ मिनट और दे दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—७ मिनट रहे साधारण तौर पर और १० मिनट तक मेरे स्वविवेक पर रहेंगे और २० मिनट मूवर के लिये रहेंगे ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ग्रान्ट नम्बर ७,२९ तथा ४९, इनमें से प्रत्येक में एक एक रुपये की कटौती की जाय ।

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी के भाषण तथा उनके विभाग द्वारा जो छोटी सी पुस्तिका हमारे समक्ष आयी है, उनको बड़े गौर से सुनने तथा पढ़ने का अवसर मिला । इसके साथ ही साथ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि १९४९ से लेकर आज तक रोडवेज तथा परिवहन विभाग की कार्य-प्रणाली से मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क रहा है, अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि दूसरे रूप में रहा है और आज तक जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि एक तिजारत की तरह से यह महकमा चलाया गया है । इससे माननीय मंत्री जी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से एक सफल बनिया हर तरह से अपना मुनाफा बढ़ाता चला जाता है उसी तरह से इस विभाग का भी प्रयत्न रहा है । इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मंत्री जी ने पिछले साल से ही इस विभाग को संभाला है और उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । वह एक बड़े योग्य व्यक्ति हैं और हमें उनसे बड़ी-बड़ी आशायें हैं । हमारे जो ठोस सुझाव होंगे उनको वह कार्यरूप में परिणत करेंगे और सही माने में समाजवादी सिद्धांतों का अनुकरण करेंगे । समाजवादी व्यवस्था में यदि कोई विभाग चलाया जाय तो सरकार का मुख्य ध्येय मुनाफे का नहीं होता है बल्कि इसका उद्देश्य यह होता है कि जन साधारण को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाई जाय तथा उस महकमे के कर्मचारियों की हालत को सुधारा जाय । यह लक्ष्य होना चाहिये ।

मान्यवर, मंत्री जी को मैं बधाई इस विषय पर जरूर दूंगा कि इस विभाग की आमदनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है । मैं इस पर भी बधाई दूंगा कि अन्य सूबों के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का कंजम्पशन, माइलेज, ब्रेकडाउन आदि बहुत कम हैं । लेकिन मान्यवर इसका दूसरा पहलू भी देखा जाय । मैं उस दूसरे पहलू की तरफ आपका और माननीय मंत्री जी का तथा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस विभाग में आमदनी बढ़ी, एफिशियेन्सी बढ़ी और हर प्रान्त के मुकाबिले में सब से ज्यादा यह विभाग आसमान पर ऊंचे हो गया लेकिन यह किसकी बदौलत इतना आगे बढ़ा है ? आप किसकी बदौलत यह कहते हैं कि यह विभाग हर प्रान्त के मुकाबिले में आमदनी और एफिशियेन्सी में आगे बढ़ गया है । यह विभाग उन कर्मचारियों की बदौलत ही इतना आगे बढ़ा है जो दिन रात अपना पसीना बहाकर इस विभाग की सेवा कर रहे हैं । लेकिन यह शर्म की बात है और अफसोस की बात है कि जहां आप एक तरफ आसमान तक चढ़े हैं और अपने विभाग की तारीफ और प्रशंसा करते हैं वहां दूसरी तरफ आपके कर्मचारियों की हालत यह है कि दूसरे सूबों के मुकाबिले में उनका पे स्केल, उनकी सुविधा बहुत कम है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट हमको दी गयी है उससे पूरा विवरण नहीं मिलता है । परिवहन विभाग की कार्य-प्रणाली और उसके हर पहलू पर गौर करने के लिये यह रिपोर्ट काफी नहीं है ।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

इसके अलावा और एक बात है। इस विभाग की कोई बैलेन्स शीट मेनटेन नहीं की जाती है जिससे उसके प्रोफिट और लास के किसी एकाउन्ट को समझा नहीं जा सकता है। जो हमारे सामने आडिट रिपोर्ट है उसमें आडिटर जनरल की तरफ से यह कहा गया है कि रोडवेज डिपार्टमेन्ट में केवल प्रोफोर्मा एकाउन्ट ही मेनटेन होता है और कोई बैलेन्स शीट मेन्टेन नहीं होती है।

"Proforma accounts do not include a balance sheet although audit has been pressing for its preparation and presentation in the State Appropriation Account. In the absence of a balance sheet it is not possible to guage the overall position of the Government Roadways organisation".

जब तक बैलेन्स शीट हमारे सामने नहीं आती है तब तक इस प्रोफोर्मा एकाउन्ट से ओवरआल स्थिति रोडवेज आर्गनाइजेशन की समझ नहीं सकते हैं। श्रीमन्, बजट साहित्य खंड ३ में भी यह कहा गया है कि "प्रारंभिक और अन्तिम स्टाक की स्थिति, प्राप्त आय और अदत्त दायित्वों आदि का हिसाब इस लेखे में सम्मिलित नहीं किया जाता है।" इस तरह से बहुत ही नामुमकिन है कि ओवरआल प्रगति के बारे में कुछ कहा जा सके।

अब मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिनकी योग्यता और सौजन्यता के बारे में कोई संदेह नहीं, इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। उनकी सौजन्यता में मेरा पूर्ण विश्वास है लेकिन खतरा यही मालूम होता है कि वह ऐसे लोगों के बीच में हैं जिससे इस बात में संदेह है कि वह अपनी नेकनीयती में कामयाब हो पायेंगे या नहीं। मान्यवर, ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना के लिये प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की है और एडहाक ट्रांसपोर्ट कमेटी ने भी इसके लिये सिफारिश की है कि ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना होनी चाहिये जो रोडवेज आर्गेनाइजेशन का संचालन कर सके। इस ओर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है बल्कि उल्टे विरोध किया गया है। यह बहुत आवश्यक है कि ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन के लिये एक कारपोरेशन की स्थापना तुरन्त हो। अगर इसमें कोई कठिनाई महसूस होती हो तो मैं निवेदन करूंगा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट बोर्ड की स्थापना तुरन्त की जाय जिसमें लेजिस्लेचर के कुछ मेम्बर हों, मोटर आपरेटर्स के कुछ मेम्बर हों और जो आपकी स्कीम है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसके लिये भी प्रयास किया जाना जरूरी है जिससे मैनेजमेंट में वर्कर्स का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। उस स्कीम को कामयाब बनाने के लिये बोर्ड में वर्कर्स के प्रतिनिधि को भी आप रखें तभी आप सही मायनों में कुछ कर पायेंगे।

मान्यवर, अब मैं आपके कर्मचारियों की हालत के बारे में बतलाना चाहता हूं। आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसे नोट करेंगे और उस पर सक्रिय कदम उठायेंगे। मैं यह कह चुका हूं कि और प्रान्तों के मुकाबले में हमारे प्रान्त की हालत खराब है। कंडक्टर्स की तनख्वाह के, नियम के विरुद्ध, भारतीय संविधान के विरुद्ध, दो ग्रेड्स रखे गये हैं। संविधान कहता है सिमिलर पे फार सिमिलर सर्विसेज, लेकिन हमारे यहां हाई स्कूल पास ६० रुपया पाता है और ४० रुपया अन्य लोग पाते हैं। वही काम, वही ड्यूटी, कोई विशेष काम हाई स्कूल पास कंडक्टर को नहीं करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इसलिये कि उसकी योग्यता अधिक है इसलिये उसको अधिक तनख्वाह दी जाय, यह मैं समझता हूं कि न्यायसंगत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन होगा और संविधान की धाराओं के विरुद्ध होगा और हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध चुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज में और स्केल आफ पे में नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा ड्राइवर्स की तनख्वाह में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन है। ड्राइवर्स को मान्यवर, माइलेज एलाऊंस मिलता है। ६० के ग्रेड के ड्राइवर को पौन पाई फी मील मिलता है

और ४५ के ग्रेड वाले को डेढ़ पाई फी मील मिलता है। तो यह डिस्क्रिमिनेशन माइलेज में है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी माइलेज का एक यूनिफार्म रेट बनायें। इसके अलावा कंडक्टर्स को ७ रुपया महीने गुड कंडक्ट का दिया जाता है। यह बहुत कम है। इसके अलावा जिम्मेदारी, अगर कोई डब्ल्यू० टी० चलता है तो दोनों की है। इस बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिये। ड्राइवर अपना स्टियरिंग देखता है, गाड़ी सम्हालता है, एक्सीडेन्ट आदि की देखभाल करता है कि हो न जाय, वह कैसे पीछे के पैसेंजर गिनेगा? लड़के सड़क पर से ढेला फेंक देते हैं तो बहुत बार शीशा फूट जाता है जिसके लिये ड्राइवर को जिम्मेदार कह कर उसकी तनख्वाह से रिकवरी हो जाती है। तो जब हर मामले में ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी रखते हैं तो यह तनख्वाह में डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? कंडक्टर्स को भी गुड कंडक्ट एलाउन्स हटा कर माइलेज दिया जाय।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने बताया कि कास्ट फी मील पर भी बहुत कम हो गयी है। पहले १५.४४ थी और अब १२.८३ हो गयी है। किन्तु मान्यवर, जनता जनार्दन तथा जन साधारण जो है और जिनकी संख्या बसों के सफर करने में बढ़ रही है उनको आपने क्या रिलीफ दी है? किराये की दर साढे पांच पाई, साढ़े छः पाई और साढे सात पाई उसी रूट पर है जोकि रेलों के पैरलेलरन करती हैं। रेलों से कम्पिटीशन करने के लिये तो आप यह दर रखे हैं और बाकी रूट्स पर आपकी दर साढे ७ पाई है, साढे ६ पाई है और ९ पाई अपर क्लास के लिये है। जो दरें शुरू में आपने फिक्स कीं, वही चल रही हैं और एक-एक रूट पर तीन तीन किस्म के किराये के रेट चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आजमगढ़ से फैजाबाद का रूट है। एक ही बस में सफर करना पड़ेगा लेकिन तीन किराये के रेट हैं, मील के हिसाब से। तो कोई कमी किराये की दर में नहीं हुई है, जब कि कास्ट पर माइल कम हुई है। डीजल गाड़ियां जब से इन्ट्रोड्यूस हुई हैं, कास्ट पर माइल कम हुआ है, आमदनी सरकार की बढ़ी है लेकिन फेअर पर माइल बढ़ता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे किराये में कमी करके जनता को राहत पहुंचायें क्योंकि जनता के पैसे से ही उनकी आमदनी बढ़ रही है।

इसके अलावा आजकल परिवहन विभाग में सबसे बड़ी अव्यवस्था यह है कि एक महीने का नोटिस देकर सर्विसेज टरमिनेट कर दी जाती हैं। ९-१० साल की सर्विस और दो लाइन का नोटिस उनके पास आता है कि "योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड इन दिस डिपार्टमेंट"। यह खत्म होना चाहिये। बाकायदा चार्जशीट दीजिये, अगर वह कोई जुर्म करता है तो। कर्मचारियों में इसके लिये बहुत असंतोष है। मैं रोडवेज के कर्मचारियों में काम करता हूं। रोडवेज यूनियन आजमगढ़ का मैं प्रेसीडेन्ट हूं। आजमगढ़ का मुझे काफी अनुभव है और इलाहाबाद में भी काम करके देख चुका हूं। अगर आप अनुशासन ही चाहते हैं तो कंडक्ट रूल्स बनाइये। अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कीजिये। ऐसा भी न हो कि ६ साल तक प्रोसीडिंग्स चली, सस्पेंड रहा और ६ साल बाद हुक्म हुआ कि तुम को बहाल किया जाता है और हजारों रुपया उसको देना पड़ता है। ऐसे केसेज में वह रुपया सरकारी खजाने से नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि उस आफीसर के ऊपर आयद होना चाहिये जिसने उसको गलत तौर पर मोअत्तिल किया था और गलत चार्ज लगाया था।

मान्यवर कहा गया है "सभी प्रमुख स्टेशनों पर ड्राइवरों के ठहरने का प्रबन्ध है", मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। करीब करीब सभी प्रमुख स्टेशनों पर यह प्रबन्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि आजमगढ़ में है। एक रेस्ट रूम वहां बना था लेकिन उसमें सीनियर

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

स्टेशन इन्चार्ज का दफ्तर है। ड्राइवर बेचारे सैकड़ों मील का सफर करके आते हैं और स्थान न होने के कारण मोटर में या फुटपाथ पर ही सो रहते हैं। कहीं उनके ठहरने और भोजन का ठिकाना नहीं है। इसलिये ड्राइवरों के लिये रेस्टरूम होना निहायत जरूरी है।

छुट्टी की व्यवस्था भी मान्यवर अजीब किस्म की है। उनको छुट्टी नहीं मिलती है। ड्राइवर्स तथा अन्य कर्मचारी ओवर टाइम काम करते हैं। कहा जायगा कि ओवर टाइम मिलता है लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को ओवर टाइम दिया गया है। वे आठ घंटे से ज्यादा ९–१० घंटे तक प्रतिदिन काम करते हैं।

केसा अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का है। कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर डिस्प्यूट और फैक्ट्री ऐक्टों को लागू कर दिया गया है लेकिन इस अंडरटेकिंग में कोई भी लेबर डिसप्यूट और कोई भी फैक्टरी ऐक्ट ठीक तरह से अमल में नहीं लाया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी भी व्यवस्था करें।

यू०पी० पे कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष डाक्टर सम्पूर्णानंद थे, उसने यह सिफारिश की थी कि छोटी छोटी बातों तथा विवादों को तय करने के लिये ह्विटले कौंसिल का निर्माण हरएक वर्कशाप के अन्दर होना चाहिये, उसकी व्यवस्था की जाय। मेरा सुझाव यह है कि हर रीजन में जनरल मैनेजर को सलाह देने के लिये जो रीजनल ऐडवाइजरी कमेटीज बनायी गयी हैं, उनका और विस्तार कीजिये और उनके पावर को बढ़ाइये और उसमें इम्लाइज का भी रेप्रेजेंटेशन होना चाहिये जो कि अब तक नहीं है।

मैं एक चीज और सिविल ऐविएशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां हिन्द फ्लाइंड क्लब नाम की एक संस्था है जिसको साढ़े ४ लाख रुपया ग्रांट के रूप में दिया जाता है। लेकिन उसका कोई हिसाब किताब सदन के सामने नहीं आता है। उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। मैं चाहूंगा कि उसकी होलसोल इंक्वायरी होनी चाहिये। हिन्द फ्लाइंग क्लब के कितने लोगों को हजारों रुपये महीने तनख्वाह दी जाती है और यहां से जो साढ़े ४ लाख रुपया दिया जाता है उसका कोई हिसाब नहीं आता है कि वहां कैसे काम होता है। कहां रुपया खर्च होता है, उसका कोई ब्यौरा आजतक सदन के सामने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि सदन के सामने उसका पूरा ब्यौरा आना चाहिये और कर्मचारियों के बारे में मैं फिर कहूंगा कि उनकी तनख्वाह वगैरह की सुविधायें आप दीजिये। जब तक आप उनकी सुविधाओं को नहीं बढ़ायेंगे तब तक यह बनियागीरी करके जो आप मुनाफा कमा रहे हैं उसमें घाटा लगना शुरू हो जायगा। क्योंकि जब वे मेहनत करके, अपने पसीने को बहाकर के ईमानदारी से काम करते हैं और आपकी आमदनी को बढ़ाते हैं और फिर भी आप उनकी सुविधायें कम करते जा रहे हैं, उनकी तनख्वाह कम करना चाहते हैं, तो उनके अन्दर इस से क्षोभ है। इसलिये आप उनके क्षोभ को खत्म करने की कोशिश कीजिये।

श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे पहली बार इस आदरणीय सदन के सामने अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। इस मौके पर, जब कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने अपने अनुदान को प्रस्तुत किया है, उस अनुदान के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे जहां तक स्मरण है जब कि गवर्नमेंट की बसेज अपने प्रदेश में नहीं चलती थीं और जो प्राइवेट बसेज हैं वे ही सड़कों पर चला करती थीं तो जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सड़कों की हालत भी इतनी खराब रहती थी कि उन पर जो बसें चलती थीं उन बसों की हालत भी खराब होती थी और पैसेंजर्स को भी नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ और इस देश में जनतांत्रिक आधार पर जनता की सरकार स्थापित हुई तो सरकार ने जनता की सुविधाओं के लिये नयी नयी योजनायें लागू करना शुरू किया और उन्हीं योजनाओं में परिवहन विभाग के संचालन का कार्य भी शुरू किया गया।

श्रीमन्, इस प्रदेश के सीमित साधनों के अन्तर्गत इस परिवहन विभाग ने जितनी तरक्की की है उसके आंकड़े माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं इस सदन के अन्तर्गत माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उससे स्पष्ट है कि यह विभाग उत्तरोत्तर तरक्की ही करता गया है। सन् १९४८ में इस विभाग के अन्तर्गत सिर्फ ५११ बसें ही गवर्नमेंट की चलती थीं, उसके बाद १९५७ में उनकी संख्या बढ़कर १,९५१ हो गयी। जनता को भी उससे अनेक प्रकार की सुविधायें मिलने लगीं और जनता जो है वह भी बड़ी खुशी से उसका उचित किराया देकर उसका उपभोग करने लगी और इससे विभाग को, सरकार को भी काफी आमदनी हुई और उस आमदनी से सरकार ने जनता के सुख व सुविधा के लिये अनेक प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाना शुरू किया। श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा इस सदन के समक्ष थोड़ी सी बातें इस सम्बन्ध में कहनी हैं। सन् १९४७-४८ में इस प्रदेश की पूंजी रोडवेज विभाग में ७७,७३,४३६ रुपये की थी जो बढ़कर सन् १९५६–५७ में ५,४०,०९,२४९ रुपये हो गयी। इस से स्पष्ट है कि इस विभाग ने जनता को सुख और आराम पहुंचाते हुए भी ज्यादा आमदनी की और उस आमदनी को देश के अन्य कामों में लगाया जिससे इस देश की और इस प्रान्त की योजनाओं की तरक्की हुई। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जब सरकारी बसेज चलने लगीं तो प्राइवेट वेहिकिल्स वालों को उससे कोई हानि नहीं हुई। जितनी सड़कों पर यह सरकारी बसेज चलने लगीं और उनसे जो प्राइवेट बसेज हटीं उनको अन्य स्थानों पर उतने ही लम्बे रूट्स पर चलने का अवसर दिया गया। उनकी आर्थिक हानि कोई नहीं हुई।

अभी माननीय पद्माकरलाल जी ने जो अपने भाषण में कहा है कि बसेज में किराया अधिक देना पड़ता है इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आज भी जो सरकारी रेट्स किराये के हैं वह संतोषजनक हैं और यह इसी से सिद्ध है कि यदि जनता उनको अधिक समझती तो वह स्वयं उन बसों पर न चलती और इस प्रकार सरकारी किराये में वृद्धि न होती। इससे स्पष्ट है कि जनता को असंतोष नहीं है और उसको जो उनके द्वारा आराम मिल रहा है उस से वह संतुष्ट है और आय जो बसों से बढ़ती गयी है उन आंकड़ों से यह स्पष्ट है और जनता इस आय को बढ़ाकर सरकार की आय को बढ़ाना चाहती है। वह यह भी सोचती है कि यह सरकार भी जनता की ही है और वह उसी के कल्याण के लिये सारा काम कर रही है। इसलिये अगर किराया बढ़ता है इधर से या उधर से वह एक ही बात होगी।

इसके अलावा श्री पद्माकरलाल जी ने कहा कि बसेज के चलाने वाले ड्राइवर्स के लिये आराम का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि उनके आराम के लिये आय की वृद्धि के साथ साथ काफी सुविधायें मकान आदि की दी हैं और मुख्य मुख्य स्थानों पर उनके लिये विश्रामगृह बनाये गये हैं जैसा कि विवरण पत्रिका में दिया गया है, छोटे मोटे स्टेशनों पर वह इंतजाम भले ही न हों बाकी ड्राइवर लोग खुद उन आरामदेह बसों में ही रहना पसन्द करते हैं, उनमें उनको कोई कष्ट नहीं होता और वह समझते हैं कि इससे सरकार की बसेज की भी हिफ़ाजत रहती है। वह सरकार की सम्पति की हिफ़ाजत करना, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उनकी रक्षा भी हो जाती है और उनको आराम भी मिल जाता है।

इसके अतिरिक्त मैं थोड़े से सुझाव, जो हमारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय है, उसके सम्बन्ध में देना चाहता हूं। इस कार्यालय में बहुत से क्लर्क ऐसे हैं जिनकी अवधि काफी हो गयी है फिर भी वह वहां पर पड़े हैं और उस विभाग में जो गड़बड़ी सम्भव हो सकती है उसका उनको ज्ञान है और वे स्वयं उसका लाभ उठाते हैं और जनता को और परमिट लेने वालों को अनेकों परेशानियों का सामना करना होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कर्मचारी उस

[श्री रामसूरत प्रसाद]

कार्यालय में बहुत समय से काम कर रहे हैं उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय और दूसरी जगह भेज दिया जाय। दूसरे यह परिवहन विभाग एक बहुत बड़ा विभाग हो गया है और उसमें बहुत अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। जैसी कि राजाज्ञा है, जो० ओ० है कि हरिजनों को १८ प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाय, उस सम्बन्ध में जो० ओ० का पालन नहीं होता। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हरिजनों को उदारतापूर्वक इस विभाग में स्थान दें।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो बसों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। इसका राष्ट्रीयकरण सिर्फ तीन उद्देश्यों को लेकर किया गया है, यह मेरी अपनी राय है। इनमें से पहला यह है कि जनता को सुविधायें प्राप्त हों और दूसरा राष्ट्र की आमदनी बढ़े और तीसरा कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। लेकिन हम देखते हैं कि आज जनता को बहुत तकलीफें होती हैं। जनता बस स्टेशनों पर बहुत देर तक खड़ी रहती है, वहां पर न तो छाया का इन्तजाम है, न पानी का इन्तजाम है और न कोई दूसरा इन्तजाम है। जो मुसीबतें इस सम्बन्ध में जनता को रहती हैं, उसको वही महसूस करते हैं और मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं।

दूसरा यह है कि आमदनी जो होती है, वह तो ठीक है। सन् १९४७ में ४,५५,०३३ रुपये की आमदनी थी जबकि १५ हजार मजदूर काम करते थे, लेकिन अब सन् ५६-५७ में ७७,८६,६२८ रुपये की आमदनी हुई जबकि १० हजार मजदूरों ने काम किया। पहले की बनिस्बत आमदनी में वृद्धि हुई, लेकिन प्रदेश की बेकारी कम करने के लिये अगर माननीय मंत्री जी और मजदूर रख लेते तो उससे देश की आर्थिक स्थिति तो सुधरती ही, इसके साथ ही मजदूरों को भी आराम मिलता और उनको नौकरी मिल जाती। रोडवेज के कर्मचारियों को इतना पैसा नहीं दिया जा रहा है कि वे ठीक तरह से अपने भरण पोषण का इन्तजाम कर सकें। बहुत से कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स ऐसे हैं कि उनके रहने का कोई इन्तजाम नहीं है जबकि वे ११५ मील का सफर करके लौटते हैं, तो वे बस में ही वहां पर सो जाते हैं क्योंकि उनके सोने का भी कोई इन्तजाम नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके सम्मुख यह कहना चाहता हूं कि पहले सन् १९५७-५८ के लिये माननीय मंत्री जी ने यहां इसी असेम्बली में कहा था कि जो कन्डक्टर्स हाई स्कूल पास होंगे उनको ६० रुपये, ४ रुपये सालाना तरक्की, ८० रुपये तक, इसके बाद ४ रुपये सालाना तरक्की देकर १०० रुपये दिया जायेगा और इसके अतिरिक्त अलाउन्स दिया जायेगा और ५० फीसदी कन्डक्टर और ड्राइवर्स को तथा दूसरे कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा, लेकिन आज तक न तो कोई कन्डक्टर और न ड्राइवर और इससे संबंधित दूसरे कर्मचारियों को, जो कि निम्न श्रेणी के हैं, स्थायी नहीं किया गया है, मुस्तकिल नहीं किया गया है।

श्रीमन्, इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मेहतरों की तनख्वाह सिर्फ ५ रुपये है, ४० रुपये कन्डक्टरों की तनख्वाह है और यह इतनी कम तनख्वाह है कि इससे उन लोगों की गुजर बसर भी नहीं होती है। मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि आप इन को स्थायी कीजिये और उनकी तनख्वाह बढ़ाइये।

श्रीमन्, जहां तक मुझे जानकारी है दो आदमियों के बारे में मैं आप से उत्तर में उसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। श्री अब्दुल अजीज जो कि काजी मुख्तार के डिप्टी सेक्रेटरी हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं यहां पर नाम लेने की इजाजत नहीं देता।

श्री भजनलाल---श्रीमन्, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुहकमे में यह घपलेबाजी होती है जो कि नहीं होनी चाहिये। २४ जनवरी सन् १९५८ को रीजनल सेलेक्शन कमेटी की लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी, और जब कि मैं यह पहले ही कह चुका था कि इस प्रकार की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष--ऐसी शिकायतें आप माननीय मंत्री जी को लिख दें तो उनकी ओर से इस पर ध्यान दिया जायेगा। असेम्बली में जो शख्स मौजूद न हो, उसके बारे में कहना, जो कि अपनी रक्षा यहां पर न कर सके, उचित मालूम नहीं होता है।

श्री भजन लाल--मैं यह चाहूंगा मंत्री जी के जरिये से कि इस व्यवहार से न काम लिया जाय बल्कि ईमानदारी से जो अच्छा कार्य करने वाला है, योग्यता के आधार पर स्थान दिया जाय। श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इसी तरह से देहरादून से एक साहब का ट्रांसफर बुकिंग क्लर्क के स्थान पर हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--आपने फिर वही बात शुरू कर दी ?

श्री भजन लाल--श्रीमन्, उनका ट्रांसफर हो करके वह यहां आये, उनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी और यदि उनका ट्रांसफर यहां न हुआ होता तो शायद उनको मुलाजिमत से हाथ धोने पड़ते।

इसी तरह से श्रीमन्, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आपरेशन) की कारगुजारी है। लखनऊ रोडवेज के जनरल मैनेजर श्री पो० सी० पांडे ने इस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में लगाये रखा और डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के एहकामात का कोई खयाल नहीं किया गया ? और यह ऐसी जगहें हैं जहां पर मुअत्तली होती है, तकर्रुरी होती है, बरखवास्तगी होती है, तरजीह दी जाती है। बुकिंग क्लर्क का काम है कि वह कायदे से स्टेशन पर रहे और टिकट वगैरह बांटे तो ऐसी सूरत में वहां न रख करके उनको एक अच्छे स्थान पर रखा गया, इसके सम्बन्ध में काफी शिकायतें आयीं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद उनका ट्रान्सफर किया।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया अपना भाषण बन्द कर दें, अगर आपको उसी विषय पर बोलना है जिस पर बोलने के लिये आपको बार-बार मना किया गया है। लेकिन आप घूम फिर कर फिर उसी विषय पर आ जाते हैं।

श्री भजन लाल--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उनको निकालने के बाद जो काम उनके जिम्मे किया गया....

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम आपको इसलिये धन्यवाद दे दूं कि आप ने फरवरी से चल रहे सेशन में एक अवसर ऐसा दिया कि मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। मुझे विश्वास है श्रीमन्.....

श्री उपाध्यक्ष--इस सम्बन्ध में मैं अपनी नीति को स्पष्ट कर दूं। आप जानते हैं कि माननीय सदस्यों की संख्या ४३१ है और एक दिन में मुश्किल से १० या १२ सदस्य ही बोल पाते हैं इसलिये महीने भर में एक बार ही किसी सदस्य का नम्बर आ पावेगा। मैंने इसीलिये पहले भी कह दिया कि पार्लियामेंटरी पद्धति में यह परम्परा है कि अगर नया सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है तो पहले उसको मौका दिया जाता है। इसलिये यह कहना कि फरवरी से आजतक पहला मौका दिया गया और उसके लिये धन्यवाद देना, यह तरीका मैं मुनासिब नहीं समझता। इसलिये अच्छा हो कि आप धन्यवाद न दें और अपनी बात को सदन के सामने रखें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस अनुदान के विषय में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं कि यह बड़ा भारी विभाग है और इसका बहुत बड़ा फैलाव है और उसने जनता की सुविधा के लिये बहुत से कार्य किये हैं और मंत्री महोदय को बजट के उस हिस्से के लिये मैं बधाई देता हूं जिसमें कम तनख्वाह पाने वालों की तरक्की के लिये रकम रखी गयी है, वह सराहनीय है।

अब मैं आपके द्वारा श्रीमन्, अपने उन विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनके विषय में मैं सोचा करता हूं कि क्या वाकई में इस विभाग का लेखा जोखा जो पेश हुआ है, उसे अगर एक सफल वणिक का लेखा जोखा कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी। यह इसलिये कि मैं देखता हूं कि इस विभाग में उत्तरोत्तर करोड़ों रुपयों की बढ़ती होती चली जा रही है, और जो इतना नफा दिखाया गया है उसको मैं इस रूप में नहीं मानता हूं कि कोई बड़ा सुन्दर संचालन इस विभाग का किया जा रहा है। मैं इस तरह से मान कर चलता हूं कि अगर मंजूरशुदा रुपया १ या २ प्रतिशत से अधिक बच जाय तो उसका काबलियत में शुमार होता है उसी तरह से उस विभाग का, जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हो, जिसके तहत में समाजवाद की विचारधारा बढ़ेगी या घटेगी यह बात हो, उसमें अगर हम करोड़ों रुपये के प्राफिट पर उसकी सफलता आंकें तो मैं अपने को विवश पाता हूं कि मैं उसे सफलता मानूं।

मैंने इस पीली पुस्तिका को पढ़ा है। इसमें एक आध काम अवश्य अच्छा किया गया है उसके लिये मंत्री महोदय और उनका विभाग सराहना के पात्र हैं। इसमें लिखा हुआ है कि छोटे कर्मचारियों की सुविधा के लिये किसी फंड को कायम किया गया है लेकिन साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि बड़े आफिसर दिल खोल कर यह चन्दा देते हैं। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सरकार द्वारा कितना धन दिया जाता है और यदि सरकार द्वारा उसमें कोई धन नहीं दिया जाता तो केवल बड़े अफसरों की मेहरबानी पर उन छोटे कर्मचारियों की सहायता निर्भर रहे, यह कुछ बड़ी शोभा की बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जब करोड़ों रुपया आपका विभाग पैदा करता है तो सरकार उस फंड में एक अच्छी खासी रकम दे जिससे जो छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनको निश्चितता की अवस्था प्रतीत हो और इस प्रकार वे अपने काम को अधिक अच्छे ढंग से अन्जाम दे सकें।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की ओर विशेष रूप से और ऊंची तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिये भी मकान की व्यवस्था करने के लिये आकर्षित करना चाहता हूं। जब आप उनको मकान मुहैया करेंगे तो उससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। जो व्यक्ति आपके मातहत हों अगर उनके परिवार के लिये रहने की व्यवस्था न हो तो उनकी दिमागी हालत गड़बड़ बनी रहती है और यदि उनके रहने के लिये मकान इत्यादि की व्यवस्था आप कर दें तो वे अच्छी तरह से आपका कार्य कर सकेंगे और इससे जनता को भी सुख पहुंचेगा क्योंकि अपने काम के द्वारा वे जनता की अधिक सेवा कर सकेंगे।

सर्विसेज के बारे में कहा गया था कि ५० फीसदी कंडक्टर और ड्राइवर्स पर्मानेन्ट कर दिये जायेंगे, १ अप्रैल, ५७ से उनकी तनख्वाह भी बढ़ाने के लिये कहा गया था। मैं जानना चाहूंगा कि इस ओर क्या प्रगति हुई है, अगर कोई प्रगति नहीं हुई है तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर भी दृष्टिपात करने की कृपा करें।

अब मैं कुछ जनता की सुविधाओं की तरफ भी निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक नफा कमाने का प्रश्न है एक दूकानदार रातदिन यही प्रयत्न करता है कि अधिक से अधिक नफा उसे मिले। वही बात यदि यह विभाग भी सोचने लगे तो मैं कहता हूं कि फिर राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ही क्या हुई? जनता को जो सुविधायें मिलीं वे सही हैं, लेकिन ज्यों ज्यों आपका नफा बढ़ा है त्यों त्यों सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। आज भी आप देखें कि बसों की सीटें इस तरह की हैं कि उनमें भीतर जाते वक्त एक दूसरे आदमी के शरीर को छूना पड़ता है और अच्छी तरह से बैठा भी नहीं जा सकता। पता नहीं कब का यह आर्डर है कि एक सीट

पर ६ आदमी बैठें, १० वर्ष पहले का आर्डर रहा होगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम तरक्की कर रहे हैं, ५५ के बजाय ५८ वर्ष की अवस्था रिटायरमेन्ट की करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ६ के बजाय ५ आदमियों के बैठने के लिये स्थान करने की कृपा की जाय तो कुछ सुविधा बढ़ेगी।

इसी के साथ महिलाओं के लिये बसों में सुरक्षित स्थान भी रखने की आवश्यकता है, जिस तरह से सिटी बसेज में स्थान सुरक्षित रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि उन स्थानों पर पुरुष बैठें ही नहीं, बल्कि महिला अगर कोई आ जाय तो पुरुष उस स्थान को छोड़ दे और यह तभी हो सकता है कि वहां पर आप लिख दें "केवल महिलाओं के लिये"। ऐसा सिटी बस सर्विसेज में बराबर होता है कि हम लोग बैठते हैं और महिलाओं के आने पर स्थान छोड़ देते हैं और महिलायें आकर बैठ जाती हैं।

एक सदस्य—वह तो एटीकेट है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—एटीकेट का जहां तक ताल्लुक है, वह तो ठीक है लेकिन बगैर लिखे पढ़े हम लोगों में से बहुत से एटीकेट को निभाने के काबिल नहीं हैं, तहरीर में लिखा रहे तो उसकी आज्ञा पालन करने में अच्छा रहता है।

एक निवेदन मेरा और है कि प्रत्येक बस स्टेशन पर एक ऐसे विनयशील व्यक्ति की बकर्रुरी की जाय जो व्यक्तियों को यह बताया करे कि किसको किस निश्चित बस में बैठना है। क्योंकि बस स्टेशनों से अक्सर कई तरफ जाने के लिये साथ छूटा करती हैं और मुसाफिर गलती से दूसरी बस में बैठ जाते हैं तो रास्ते में उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि रेलवे में गाइड मुकर्रर होते हैं जो गाइडेंस करते हैं, उसी किस्म की तकर्रुरी की जाय तो बड़ा अच्छा होगा।

मेले-ठेले में भी और बसें बढ़ाने की चेष्टा की जाय। जितनी बसें चलती हैं वह ठीक हैं, लेकिन अगर और ज्यादा चलायी जायं तो और ज्यादा सहूलियत हो सकती है।

किराये की कमी के लिये भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे यह शिकायत है कि एक ही तरह की सड़कें हैं और एक ही तरह की बसें हैं, लेकिन किराया भिन्न है। लखनऊ से कानपुर जाने के लिये लोअर क्लास का किराया ६ पाई फी मील है और सीतापुर जाने के लिये लोअर क्लास का साढ़े सात पाई पर मील है। इस मेरी बिलकुल वाजिब मांग पर सरकार ध्यान देने की कृपा करेगी।

एक निवेदन और करूं कि जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, जहां से बसेज कई रूट्स को जाती हैं तो खराब बसों को कुछ रूट्स पर ठेल दिया जाता है कि ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जायंगी, लेकिन या तो ६-६ घंटे बिगड़ने पर मुसाफिरों को इन्तजार करना पड़ता है या ठेलते ठेलते परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी बसों को अगर चलाया ही न जाय तो अच्छा रहे और यदि चलाना ही उचित है तो जो उसके मिकैनिक इंचार्ज हों वह जिम्मेदार बना दिये जायं कि अगर वह बिगड़ें तो उनसे जवाब तलब किया जाय। इस प्रकार इस व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, श्री पद्माकरलाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

श्रीमन्, आज का जो यह अनुदान है उसके लिये जो माननीय मंत्री जी ने पुस्तक बांटी है उसको मैंने बहुत ध्यानपूर्वक देखा है। जहांतक रोजगार करने का सवाल है वहां एक सफल रोजगारी की हैसियत से उन्होंने बहुत ही सुन्दर काम किया है और काफी पैसा कमाने का जरिया इसे बनाया है, लेकिन एक समाजवादी सरकार जो अपने को प्रगतिशील सरकार कहती है, वह इस तरह से जनता की मजबूरियों से फायदा उठाकर केवल अपने लाभ के लिये काम करें, मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। इसके लिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि यह किसी बनिये का रोजगार नहीं है, बल्कि अपने को एक समाजवादी कहने वाली सरकार का है। इसमें उसे हर तरह की सहूलियत का खयाल रखना चाहिये पब्लिक की सहूलियत का खयाल बहुत जरूरी है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि रेलवे रूट से जो बसें गुजरती हैं उनका रेट तो कम है और जिन रूटों पर कोई साधन सवारी नहीं हैं उनका रेट ड्योढ़ा है। क्यों? महज इसलिये कि सरकार जानती है कि यहां की जनता मजबूर है, क्योंकि जो बसें प्राइवेट चलती थीं वह बन्द कर दी गयीं, पैदल ५०-५० मील कोई चल नहीं सकता, इसलिये ड्योढ़ा कर दिया गया है कि मजबूर होकर ज्यादा किराया भी देकर जनता चलेगी ही। मेरे मित्र रामसूरत जी ने कहा है कि यह भीड़ इस बात का द्योतक है कि जनता इसको पसन्द करती है, तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि यह तरीका एक बनिये का हो सकता है कि वह मजबूरी पर किराया ३ गुना कर दे। सरकार पाबन्दी लगा दें कि केवल सरकारी गाड़ी ही चलेगी, दूसरा कोई साधन वहां नहीं है और उसके बाद ३ गुना रेट हो तो तीन गुना देकर जाने के लिये जनता मजबूर होगी, लेकिन यह एक समाजवादी सरकार के लिये उचित नहीं है। साम्राज्यवादी सरकार ही कर सकती है।

एक सदस्य—सरकार समाजवादी नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—आपके और मेरे कहने से न हो, लेकिन वह अपने को तो कहती है, इसलिये मैं उसी के सामने यह बात उसके फैसले पर रखता हूं कि क्या यह उचित है? श्रीमन्, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है इस किताब के अन्दर और मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट के माइलेज को, पेट्रोल के सिलसिले में, डीजेल आइल के सिलसिले में, मोबिल आइल के सिलसिले में, देखा जाय तो हमारा प्रान्त सबसे आगे है और एक गैलन में सब से ज्यादा दूर मोटरें हमारे प्रान्त में चलती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिये। क्या इसको बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी चलाते हैं या मेरी धृष्टता होगी, क्षमा करेंगे मंत्री जी—या मंत्री जी का कोई उच्च अधिकारी उसको चलाता है? इसको चलाते हैं ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर और इतना बढ़िया काम देने वाले ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर की व्यवस्था क्या है? इसको किताब में देखें या प्रत्यक्ष देख लें वह सब के सामने है। तनख्वाह किस कदर कम है, विश्राम के लिये कोई ठिकाना नहीं है, अगर कहीं कोई क्वार्टर बना हुआ है तो उच्चाधिकारियों के आफिस और उनके रहने के मारे फुर्सत नहीं मिलती है। सवाल अगर होता है तो मंत्री जी से जवाब यह मिल जाता है कि विश्रामालय बने हुए हैं लेकिन क्या उनमें ड्राइवर रह पाते हैं? कंडक्टर को रहने की जगह मिल पाती है? नहीं मिलती। जैसाकि माननीय पद्माकरलाल जी ने कहा कि चल कर फलां फलां जगह देखें तो वैसे ही मैं भी कह सकता हूं कि हमारे यहां चल कर देखें। कहीं रहने का ड्राइवरों, कन्डक्टरों का ठिकाना नहीं है। या तो वे मोटर में रहें या बाहर मैदान में पड़े रहें। इसके अलावा जो इतना अच्छा काम करने वाला है, जैसा कि माननीय मंत्री जी भी मानते हैं तो कम से कम उसकी ड्यूटी की पाबन्दी तो होनी चाहिये। ८ घंटे के बाद उसको आराम मिलना चाहिये और अगर संयोग से कभी उसे मौका नहीं मिल पाता है तो जितनी मेहनत वह ज्यादा करता है उसके लिये उसको ओवरटाइम मिलना चाहिये जैसा और जगह प्रबन्ध है।

बगैर हौसला बढ़ाये हुए यह काम ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरफ वे विशेष ध्यान दें और उनकी तनख्वाहें बढ़ायें, विश्रामालय बनावें

और ओवर टाइम दें। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ३७६ पन्ने पर जो उनके अनुदान का ब्योरा है, उसमें कानपुर केन्द्रीय कर्मशाला के अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह की ओर ले जाना चाहता हूं। यह साफ द्योतक है इस बात का कि कहां तक इस सरकार की नीति समाजवादी है और कहां तक पूंजीवादी। उच्चाधिकारी १४ पहले थे, १४ ही अब हैं। उनकी तनख्वाह का खर्चा सन् ५७-५८ में ८२,८०० रुपये था लेकिन ५८-५९ में वह बढ़ कर ९८,००० रुपये हो गया। इसी के मुकाबिले में कर्मचारियों की तादाद ४७ से बढ़ कर १०० हो गयी, यानी दूने से भी ज्यादा। पहले उनकी तनख्वाह का खर्चा १,२५,००० रुपये था और अब १,३०,००० रुपया हो गया है, यानी कुल ५,००० रुपया बढ़ा। तो यह साफ बतलाता है कि जो कुछ भी कमाई का अंग है या बढ़ौती वह बड़े ही लोगों में बंट जाती है, गरीब उसको नहीं पाता और न ही उसको देने की सरकार की नीयत है। तो मैं यह कहूंगा कि उन गरीबों को भी देने की नीयत यह सरकार करे और उनको हर तरह से सुविधा दे। पिछले बजट भाषण में सरकारी पक्ष ही से यह कहा गया था कि धीरे धीरे विचार यह है कि १०० रुपये से कम किसी की तनख्वाह नहीं रहेगी। जहां तक हमारे मंत्री जी के स्वभाव का ताल्लुक है मैं मानता हूं कि ये बड़े ही अच्छे, नेक और उदार स्वभाव के आदमी हैं और जब सरकार की यह पालिसी है कि १०० रुपये से कम किसी की तनख्वाह न रहे और यहां आमदनी भी है तो क्या वजह है कि उनकी तनख्वाह १०० रुपये न कर दी जाय। मंत्री जी को धीरे धीरे इन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह सौ रुपया कर देना चाहिये

अब मैं कुछ एक सुझाव दे देना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। एक बस सर्विस गोरखपुर से महाराजगंज होती हुई निचलौल तक जाती है। आप देखेंगे कि निचलौल से लेकर नौतनवां तक ३५ मील पड़ता है। उस एरिया में और कोई आने जाने का साधन भी नहीं है। एक सड़क ठूंठीबारी तक बनायी गयी है और वहां से निचलौल तक है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक सर्विस गोरखपुर से शुरू कर के महाराजगंज निचलौल—ठूंठीबारी—परसामालिक—नौतनवां —फरेंदा—गोरखपुर तक जारी करें। पहले यह कहा जाता था कि रोहेन पर मानीराम में पुल नहीं है लेकिन तब तक नाव का पुल तो है ही। इसलिये अगर यह काम हो जायगा तो वहां की जनता को बड़ी सहूलियत हो जायगी। मानीराम में पक्का पुल बन रहा है जल्दी तैयार हो जावेगा। यात्रियों, ड्राइवरों और कंडक्टरों के ठहरने के लिये मामूली तरीके से विश्रामगृह बना दिये जायं, जिनमें वह आराम से रह सकें। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि यह मेरा मंशा कतई नहीं है कि जो कुछ बनायें वह बहुत लम्बा चौड़ा और बहुत खर्चे का एक बंगलानुमा बनायें। हम तो भारतीय हैं और गरीब हैं और देहात के रहने वाले हैं, हम मामूली मकान में गुजर कर सकते हैं। अगर मामूली से मकानों का भी इंतजाम हो जाय तो नुकसानदेह नहीं होगा बल्कि इससे राष्ट्र के पैसे की बचत होगी क्योंकि सीमेंट वाले मकान में बहुत भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है। ठेकेदार, ओवरसियर, इंजीनियर खा जाते हैं।

श्रीमन्, एक बात और कह देना चाहता हूं जो माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकृत भी है। नीचे के कर्मचारियों की शिकायत होती है कारण यह है कि उनका चोरियों में चालान हुआ है। श्रीमन्, इसका कारण क्या है? यदि मैं बताऊं तो धृष्टता होगी। श्रीमन्, मैं यह कह दूं कि अगर उनका पेट नहीं भरेगा तो वह चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब इस महकमे की इतनी आमदनी हो रही है, वह इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तब भी उनको आप माकूल तनख्वाह नहीं देते हैं तो चोरी तो होगी ही। मैं कहूंगा कि चोरी बढ़ रही है,

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

आप उनको सजा देकर, पेट काटकर उनकी रोजी बन्द कर देते हैं, यह अन्याय है। आप उनकी तनख्वाह बढ़ाइये। आखिरी बात .....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---श्रीमन्, दो तीन मिनट और मिल जायं।

श्री उपाध्यक्ष---आखिर में जो शब्द आप कहना चाहते हैं, वह कह दीजिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---मुझे यह कहना है कि प्रादेशिक सरकार का जो परिवहन कार्यालय है, उसमें आज धांधली मची हुई है। इधर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। अभी माननीय नियोजन मंत्री जी ने एक नया कदम उठाया है कि हर रीजन के एम०एल०एज० को जमा करके उनकी दिक्कतों को अधिकारियों के सामने रखवाया है। उसी तरह से आप भी हर रोजन के एम०एल०एज० की मीटिंग बुलाकर अधिकारियों के सामने बुराइयों को लायें और उनका इलाज करने की कोशिश करें। मोटर मालिकों की सड़कें छीन ली गयी हैं, राष्ट्रीयकरण हुआ अच्छा हुआ, लेकिन उनको जीने का हक है इसलिये उनको नये मार्ग ऐसे दिये जायं कि उनके बच्चों की परवरिश हो सके न कि जो कमायें आपके दफ्तर में दे जायं। इधर भी ध्यान दें। आफिस का भ्रष्टाचार खत्म करावें।

*__श्री रामलखन__---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने जो अपने विभाग का अनुदान पेश किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इसका समर्थन करता हूं। इस विभाग की स्थापना, जैसी कि रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसी मकसद से हुई है कि जनता को आराम दें और जनता को यातायात की सुविधायें प्रदान की जांय और सरकारी कोष में आमदनी भी बढ़े। हम इस दृष्टिकोण से देखने पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर इस विभाग की स्थापना हुई थी, वह उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। बहुत से भाई कहते हैं कि सरकारी बसों से जनता को तकलीफ है। लेकिन यदि प्राइवेट आपरेटरों के मुकाबले में देखें तो कुछ भी कठिनाई नहीं दिखाई देगी। यदि सरकार का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना होता, जैसा कि पद्माकरलाल जी ने कहा कि सरकार पक्के बनिये की तरह से पैसा कमा रही है तो सरकार इससे भी दुगुना पैसा कमा सकती थी। लेकिन सरकार का लक्ष्य जनता को आराम देने का था और इस उद्देश्य में वह सफल हुई है। जहां गाड़ियां चल रही हैं वहां कोई शिकायत नहीं है। यह हो सकता है कि गाड़ियों की संख्या कम हो तो संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यह नहीं है कि गाड़ियों से तकलीफ हो रही है।

जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा कि फायदा हो रहा है लेकिन जहां पर बस स्टैंड हैं वहां पर सुविधा नहीं हैं। तो यह तो एक मानवीय स्वभाव है कि जब तक इन्तजाम किसी चीज का हमारे हाथ में है तब तक जितनी भी तकलीफें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही उसको सरकार टेकअप करती है तैसे ही अपना राइट क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि यह हमारा राइट है। मैं समझता हूं कि प्राइवेट आपरेटर्स की बसेज सरकार से अधिक चल रही हैं लेकिन हम जाड़े, गर्मी और बरसात के दिनों में सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं और बसेज में जहां पर काठ की सीट हैं और धक्का खाकर बैठते हैं यह नहीं कहते कि प्राइवेट आपरेटर्स इतनी आमदनी कमाते हैं कि वे अच्छी सीट या शेड का इन्तजाम करें या पीने के पानी की व्यवस्था करें लेकिन अगर सरकार ने चला दिया तो तत्काल ही परिवहन विभाग से कहा जाता है कि वह तुरन्त शेड और प्याऊ का प्रबन्ध करे और आराम देने की चीजें वहां पर होनी चाहियें।

लेकिन हम देखते हैं कि जहां जैसे-जैसे इस विभाग ने अपना काम शुरू किया है वहां वैसे-वैसे ही हमारी जनता की सुविधा की तरफ भी ध्यान बढ़ाया गया है। जगह-जगह शेड बन रहे हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह समय दूर नहीं है जब हर जगह हमें शेड देखने को मिलेंगे और जितनी सुविधा चाहिये वह सब मिलेगी। हम यह आशा करते हैं कि यह विभाग यदि इसी तरह से मुनाफा कमाता रहा तो शायद जैसे आपकी रेल में पंखे लगे हुए हैं इस विभाग की बसेज में भी पंखे का प्रबन्ध कर दिया जाय और यह विभाग यदि अपनी इतनी एफिशियेन्सी बढ़ा ले तो मैं समझता हूं कि रेल और बसेज में कोई अन्तर नहीं रह जायगा और बसेज में सुविधा के खयाल से कोई अन्तर नहीं रह जायगा। लेकिन मैं एक चीज के विषय में माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह विभाग फायदा कर रहा है इसलिये कम से कम ड्राइवर्स की पे में जो अन्तर रह गया है उसको तो समाप्त कर ही देना चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि मुकाबले में जो बसेज के कंडक्टर्स हैं उनको ४५ रुपया और हाईस्कूल पास को ६० रु० दें। योग्यता के कारण इनके विषय में इस तरह से करना जायज हो सकता है क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अधिक है। इस योग्यता के आधार पर उसको आप वेतन अधिक देते हैं। इसी तरह से हम बी० ए० एल० टी० को १२० रुपया देते हैं और एक इन्टर सी०टी० को ७५ रुपया देते हैं उसकी नियुक्ति चाहे जहां पर हो। यह पढ़ाई का काम है इस में आप बराबरी नहीं चाहते हैं लेकिन जहां पर ड्राइवरी का काम है वहां पर इस प्रकार से डिसपैरिटी रखना उचित नहीं मालूम होता है। ड्राइवर तो चाहे ४० रुपये का हो, चाहे ६० रुपये का हो और चाहे ५०० रुपये का हो, वे सब एक ही बस चलाते हैं और एक ही तरह की चीज से काम लेते हैं तो उनकी तनख्वाह बराबर होनी चाहिये। इसलिये जहां आप फायदा कमा रहे हैं वहां इसके साथ ड्राइवर की तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिये।

मैं दूसरी चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि जिन रूट्स पर आपकी बसेज चल रही हैं उनकी मरम्मत का भी आप ध्यान रखें। उससे यह फायदा होगा कि नेशनल वेल्थ की बचत होगी। जहां पर आपकी बसेज चल रही हैं वे रूट्स खराब होते जाते हैं। उससे जो फायदा होता है वह सरकार लेती है। सड़क बनाने का काम और उसकी मरम्मत का काम दूसरा विभाग करता है। तो कम से कम यह विभाग उन सड़कों की मरम्मत अपने हाथ में ले ले जहां पर रोडवेज की बसेज चलती है। इससे वियर-टियर बहुत कम होगा। जहां पर कोलतार की सड़कें हैं वहां टायर अधिक चलते हैं और जहां पर कंक्रीट की सड़क है वहां पर टायर कम चलते हैं। इसलिये राष्ट्रीय सम्पत्ति की बचत के खयाल से जिन रूट्स पर सरकारी बसेज चलती हैं उन पर यह विभाग मरम्मत का काम करे। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन रूट्स को आप अधिक इस्तेमाल करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लें। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो जो बसेज बिना मरम्मत के रूट पर ४ वर्ष चलती हैं वहां अगर मरम्मत का ध्यान रखा जाय तो वे बसेज १० वर्ष तक चल सकती हैं और उनका लाभ बढ़ सकता है। इसलिये सरकार को प्रापर्टी की सेफगार्ड के लिये यह आवश्यक है कि जिन रूट्स पर रोडवेज की बसेज चलती हैं और फायदा लाकर सरकार को देती हैं और जितना रुपया आपने लगाया है, मैं समझता हूं कि उसका करोड़ों रुपया तो आपने सूद दे डाला होगा, और उससे फायदा भी उठाया होगा, लेकिन जिन सड़कों पर वह बसें चलती थीं उनकी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय पांच के बाद एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय और मैं समझता हूं कि इसमें मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं होगा। इसकी ताईद में मैं यह अर्ज करूं कि आज सुबह का

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

सारा समय तो प्रिविलेज मोशन में ही निकल गया और यह अनुदान पूरे दिन के लिये था । तो अगर समय बढ़ जाता है तो और वक्ताओं के सुझाव भी मंत्री जी को मिल जायंगे और उससे उनका काफी लाभ होगा और उन्हें अपने कार्य में सुविधा होगी ।

श्री गौरीशंकर गुप्त (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । समय न बढ़ाया जाय बल्कि शनिवार के बाद इतवार को ही इसके लिये ले लिया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि यह नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जैसा राजनारायण जी ने भी कहा था और पद्माकर लाल जी ने भी प्रस्ताव रखा है, समय आधे घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय । यह काफी होगा ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—समय तो आप को ही देना है, जितना चाहें बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—आप और विभागों के कर्मचारियों का तो खयाल करते हैं, लेकिन हमारे असेम्बली के कर्मचारियों का खयाल नहीं करते । इसलिये आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं बढ़ेगा ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सन् ४७ में सरकार ने इस विभाग का राष्ट्रीयकरण किया और उसके बाद का लेखा माननीय परिवहन मंत्री जी ने दिया और बतलाया कि हम इस विभाग में लगातार तरक्की करते जा रहे हैं । यह सही है कि इस साल के पीरियड में इस विभाग ने तरक्की की है लेकिन साथ ही सरकार का कहना है कि इस के द्वारा जनता को काफी आराम और सहूलियतें पहुंचीं । मेरा कहना यह है कि जो सहूलियतें हैं वे केवल सफर में यात्रियों के लिये ही ह, उनके रहने की या स्टेशन पर ठहरने की या टिकट लेने आदि की कोई उचित व्यवस्था नहीं है जिससे कि जनता इन की मुसीबत से बच सके । स्टेशनों पर इतनी भीड़ रहती है कि टिकट मिलना असंभव-सा रहता है । लोग धूप के मारे मरते रहते हैं और उनके लिये छाया का प्रबन्ध नहीं है तो इस ओर भी सरकार का ध्यान होना चाहिये ।

इसके बाद सरकार ने सूबे की मुख्य-मुख्य सड़कों का अभी राष्ट्रीयकरण नहीं किया है । अगर उनका राष्ट्रीयकरण हो जाय तो उन पर भी बसें चलना शुरू हो जायं और ऐसा होने से जनता और अधिक सहूलियतें प्राप्त कर सकती है ।

इसके अलावा रोडवेज विभाग में भी कुछ नौकरशाही छा रही है । वह इस तरह से कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार बड़े-बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों के उपर नाजायज दबाव डाल कर उन को परेशान करते हैं । आपको मालूम है कि पिछले दो तीन सालों में कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स को बड़े मनमाने ढंग से निकाला गया । आखीर में वे अपना रिट ले कर हाईकोर्ट तक पहुंचे । जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी दरख्वास्तें मंजूर हुईं और उन्हें सरकार को वापिस लेना पड़ा । इस मामले में सरकार का जो रुपया खर्च हुआ उसकी जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें सजा मिलनी चाहिये । जो मुअत्तलशुदा या बरखास्त-शुदा लोग थे उन्हें उसी हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए । ड्राइवरों की ४० और ६० रुपये की विषमता को मिटाना आवश्यक ह । दोनों एक ही गाड़ी चलाते हैं, कोई पश्चिम और परब-के हिसाब से तो चलाते नहीं हैं, इसलिये एक ही ग्रेड दोनों को मिलना चाहिये । जैसा कि

लारी साहेब ने कहा कि १०० रुपये से कम तनख्वाह उन्हें नहीं मिलनी चाहिये, मैं कहता हूं कि यह ठीक है । उनके हाथ में बस की सवारियों की जान होती है । इसलिये उनके वेतन, रहने और दवादारू का उचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर का पद खत्म करना चाहिये । जब स्टेशन इन्चार्ज हर जगह सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं तो उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती । उनके पीछे बेकार तनख्वाह और भत्ता खर्च होता है । उन लोगों को आप कोई दूसरा काम दीजिये ।

कानून में या विधान में है कि हर तीसरे वर्ष अधिकारियों का तबादला किया जाय । लेकिन मुझे मालूम है कि कई एक अधिकारी बहुत सालों से एक ही जगह पर काम करते हैं । आप कहेंगे कि वे वहां अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप उनसे दूसरी जगह अच्छा काम कराइये, यह ज्यादा अच्छा होगा ।

एक बात यह है कि मंत्री जी को सचेत रहना चाहिये कि इस विभाग में भ्रष्टाचार की बुनियाद कुछ पड़ गयी है । अभी लखनऊ में पिछले दिनों चोरी के २, ३ मामले हुए हैं ।

जब इतना जबरदस्त फायदा इस विभाग को है तो सरकार को चाहिये कि कुछ किराये में भी कमी करे । अगर अधिक लाभ के दृष्टिकोण से सरकार इस विभाग को चलाती रहेगी तो जनता को जो लाभ होना चाहिये वह नहीं हो पायगा ।

अभी तक सवारियों के लिये बसें तो हैं मगर सामान के लिये अगर हो सके तो परिवहन मंत्री जी ध्यान दें । सामान ढोने के लिये भी मोटरों का होना जरूरी है ।

*श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, मैं चाहता तो था कि बहुत सी बातें और काम जो इस विभाग द्वारा हो रहे हैं उनके बारे में कुछ कहता मगर समय की कमी के कारण तमाम बातों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूं । जैसा मंत्री जी ने तमाम आंकड़ों को यहां बताया कि इतना माइलेज और इतनी ऐफीशियेन्सी बढ़ी है, मैं उनका भी जिक्र नहीं करना चाहता हूं । २, ३ बातें जो विशेष रूप से हैं, मैं उनको रखना चाहता हूं ।

अभी हाल में बस्ती जिले में मंत्रीजी ने एक लाइन खोली है जो बस्ती से शोहरतगढ़ तक जाती है और अब केवल ३ घंटे इसमें लगते हैं जबकि पहले शोहरतगढ़ जाने के लिये गोरखपुर होकर जाना पड़ता था जिसमें १५ घंटे लगते थे । जहां तक समय की बचत की बात है, यह एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है ।

अनुशासन के सम्बन्ध में यह बात है कि यदि कोई किसी ड्राइवर या कन्डक्टर के खिलाफ शिकायत लिख देता है तो तुरन्त विभाग की ओर से उस पर कार्यवाही होती है । जहां तक मुझे मालूम है दूसरे विभागों में ऐसा नहीं है, दरख्वास्तें वहां जाती हैं और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । अभी एक विभाग के बहुत बड़े कर्मचारी का यहां जिक्र हुआ था और उसकी देखभाल माननीय मंत्री जी ने की थी । मैं उनका नाम नहीं लूंगा ।

बस्ती जिले में कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां बसें चलाई जा सकती हैं । बांसी से मेंहदावल तक जो सड़क है उस पर बस चल सकती है । अभी एक और सड़क बनी है, बभनान से हरैया तक, मैं समझता हूं कि मंत्रीजी उस पर भी ध्यान देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रणबहादुर सिंह]

हमें प्रसन्नता है कि इस विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से, मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार को भी दूर किया है । उसका भी एक उदाहरण है । आज चालान शीट व अपनी किताब जब कन्डक्टर पाता है तो उन्हें ले जाकर इंजिन के पास लाकर में रख देता है और कोई नया टिकट रास्ते में नहीं बनाया जा सकता है । इससे पता चलता है कि इस विभाग के उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार को नष्ट करना चाहते हैं । इस योजना को अभी हाल में ही लागू किया गया है । जिसके दिमाग की यह उपज है मैं उसे बधाई देना चाहता हूं ।

मैंने कई जिम्मेदार व्यक्तियों से जानने का प्रयत्न किया कि क्या आप बता सकते हैं कि किसके दिमाग की यह सूझ है लेकिन अब तक मुझे यह जानकारी न हो पायी । माननीय मंत्री जी कृपया बतायें कि किस ने इस प्रकार का सुझाव दिया जिससे भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये इतना बड़ा कदम उठाया जा सका ।

अब यात्रियों के बारे में २–३ सुझाव मैं रखना चाहता हूं । जल्दी से किसी यात्री ने टिकट लिया और कहीं बस छूट गयी । अब बेचारे ने न जाने किस परेशानी से १०–१२ आने या दो रुपये का टिकट खरीदा लेकिन जब वह उसे वापस करने के लिये जाता है तो उससे कहा जाता है उसका पैसा वापस नहीं होगा और न वह दूसरी बस से ही जा सकता है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रेलवे में २ आना लेकर टिकट वापस कर लिया जाता है, इसी तरह से यहां भी किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि बुकिंग स्टेशन्स पर यात्रियों की सुविधा के लिये अस्थायी रूप से अप्रैल के महीने से पानी वाला रख लिया जाता है और २–३ महीने बाद ही उसको हटा दिया जाता है और यात्रियों को पानी पीने के लिये कोई साधन नहीं रह जाता है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह ऐसा प्रबंध करें जिससे यह छोटा सा कर्मचारी स्थायी रूप से रह सके और यात्रियों को पानी की सुविधा हो सके । क्योंकि अब तो इस विभाग को मुनाफा भी काफी होता है ।

जहां तक स्टैंडिंग चलने का प्रश्न है, बहुत सी बसों में यह एलाउड नहीं है । बहुत से लोगों को वैसी अवस्था में जगह मिल जाती है । इसलिये यह व्यवस्था सभी बसों में कर दी जाय तो अच्छा है ।

माननीय पद्माकर लाल जी ने कहा कि बसों के चलाने में सरकार का विचार बिजनेस का नहीं होना चाहिये, लेकिन अगर कहीं इस महकमें में घाटा होने लगे तो आप कहने लगें कि यह तो बड़ा रद्दी विभाग है । दूसरे मुल्कों में जिन चीजों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनमें प्राइवेट विजनेस की बनिस्बत कर्मचारियों को बहुत ज्यादा सुविधायें हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे दूसरे लोगों की बनिस्बत अपने कर्मचारियों को अधिक सुविधायें प्रदान करें, इसलिये भी कि यहां के कर्मचारियों ने ६५–६५ रुपये में काफी ईमानदारी और योग्यता दिखायी है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करें ।

दूसरी तरफ मैं यह भी आपको बतलाना चाहता हूं कि कंडक्टरों को केवल एक रुपया एलाउन्स मिलता है, वह ४०–५० मील चल कर जाता है, मैं उसके लिये केवल यह शब्द प्रयोग करूंगा कि वह लाखेरे के पिता की भांति दूसरे स्थान में हो जाता है । रात को न तो उसके सोने और न उसके खाने का ही कोई प्रबंध होता है । मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है क्योंकि मैं रोडवेज कर्मचारी यूनियन का संचालन भी करता हूं । वहां जाकर वह बस के ऊपर ठंडी हवा में, जाड़े में सो जाते हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है । इसलिये यह आवश्यक है कि उसके रहने की कोई व्यवस्था हो, उसके लिये एक चारपाई हो । अगर आप कर सकें तो होटल के तरीके पर कोई खाने का प्रबन्ध भी हो सके तो अच्छा है । अगर आप ऐसा प्रबंध कर सकें तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर एक कदम होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की लोरी सुन कर मुझे तो जैसे नींद आने लगी और मैं यही सोचने लगा कि संसार में सुख के सिवा और कुछ है ही नहीं । उनके हंसमुख चेहरे को मैं देख रहा था और वास्तव में वे बड़े सरल स्वभाव के हैं और वे अपने ही आइने से बाहर भी देखते हैं । माननीय मंत्री जी मुझे यह कहने के लिये माफ करेंगे कि जब वे रेल से जाते होंगे तो एयर कंडिशंड डिब्बे में ही जाते होंगे जिससे उनको कुछ अन्दाजा भी नहीं लग पाता होगा कि जनता को कितनी तकलीफ है । "जाके पांव न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई ।" तो श्रीमन्, माननीय मंत्री को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिये । जहां तक रोडवेज की एफिशिएंसी और नफे की बात है उसमें प्रगति कुछ हुई आज तक टोटे का जो कलंक था उसे आपने धो दिया, यह सही है कि आपने उस टोटे को नफे में बदल दिया है, यह ठीक है, लेकिन जैसा कि श्री पद्माकर लाल जी ने कहा कि जब तक आप पूरा बैलेंस शीट्स नहीं देंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि नफा हुआ या टोटा ।

दूसरी चीज मंत्री जी ने यह कही कि हम सभी जगह से इस मामले में आगे हैं लेकिन पंजाब वाले हमसे आगे बढ़े हुए हैं । क्यों बढ़े हुए हैं, उसका कारण यह कहा गया है कि वहां की रोड्स यहां से बेटर हैं, तो क्या यू० पी० के जन निर्माण विभाग का चीफ इंजीनियर नहीं कह सकता है कि और जगहों से हमारे यहां की रोड्स बेटर हैं । यह तो दो विभागों के बीच की बात हो गयी है ।

जहां तक एफिशिएंसी की बात है, दो हजार वेहिकिल्स विभागों के आफिसरों के पास थे उनमें से १ हजार पहली अक्तूबर तक वापस होने वाले थे, लेकिन मुश्किल से बहुत थोड़े ही वापस हो सके । इसकी क्या वजह है ? मैंने इस सम्बन्ध में कई बार प्रश्न भी पूछा और बदकिस्मती से मैं यह भी जानता था कि सरकार इसका कल जवाब देगी, लेकिन वास्तव में देखा जाय तो इस डिपार्टमेंट में जिस तरह का काम हो रहा है उसको हम समझ ही नहीं पाते । यह कोई पार्टी विशेष का सवाल नहीं है, इधर के बैठने वालें हों या उधर के बैठने वाले हों, सब को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इसको पोलिटिकल बेसिस पर नहीं सोचना चाहिये । यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में इतने ज्यादा वेहिकिल्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से उसका पूरा किराया चार्ज नहीं हुआ जो हुआ भी वह भी अभी तक वसूल नहीं हो सका है ।

दूसरी बात यह है कि आजकल जो आर० टी० ओज० लोग हैं, वे अपने को भगवान समझते हैं । इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कांग्रेस और गैर कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है । अगर लाइसेंस देने की बात जिले के स्तर पर की जाय जिससे लाइसेंसीज को जो लाइसेंस मिलने में दिक्कत होती है वह न हो सके, तो बहुत आसानी हो । आज हालत यह है कि बहुत दूर से लोगों को लाइसेंस के लिये आर० टी० ओ० के यहां जाना पड़ता है, जिससे उनका पैसा भी खर्च होता है और कई दिन भी बर्बाद होते हैं, इसलिये लाइसेंस इश्यू करने का इन्तजाम जिले के स्तर पर ही होना चाहिये ।

प्लेन्स की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन पहाड़ों में कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन और जी० एम० यूनियन ये दो हैं । इनका काम रोडवेज से एफीशियेंट था व है । इनके यहां भी हिसाब-किताब दो तरह से रखा जाता है, और वह किस लिये रखा जाता है, उसके कई कारण हैं जिनका जिक्र करना मैं यहां उचित नहीं समझता । वे देवताओं की पूजा करके उन्हें खुश रखते हैं, पर प्राइवेट ठेके वाले नहीं कर पाते जिससे उनकी मरन है । उनकी गाड़ियों की जांच करने के लिये जो आफिसर जाते हैं वे कोई न कोई नुक्स जरूर निकालते हैं, चाहे कोई टेक्निकल नुक्स नहीं हो, लेकिन उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं और इस तरह से उनको परेशान करते हैं । उन

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

गरीबों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है और परमिट कैंसिल किये जाते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुमायूं के गरीब मोटरवालों की जो आज खराब हालत हो रही है, और उनके ऊपर जो कई पाबन्दियां लगी हुई हैं उनको वे ठीक करने की तरफ ध्यान दें । रह गया यह कि अन्य प्रांतों में पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है और हमारे यहां कम । ठीक है ड्राइवरों को किफायत करनी चाहिये और कम खर्च करना चाहिये । बम्बई में प्राहिबिशन ज्यादा है । वहां पर ड्राइवर पेट्रोल पी जाते हैं आप के यहां तो और भी बचना चाहिये, क्योंकि वह पीते नहीं । हमारे ड्राइवर लोग उसको पेट्रोल नहीं कहते डमरू हाल कहते हैं ।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बसेज ज्यादा आरामदेह हैं इसलिये ड्राइवर छतों पर सोते हैं । वही उपमा मैं देता हूं कि लखनऊ में अच्छे-अच्छे घर हैं लेकिन क्या इसी वजह से फिर भी लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं ।

दो चीजों की ओर मैं सदन का ध्यान और दिलाना चाहता हूं । एफीशियेन्सी की और करप्शन की बात कही गयी । मुझे मालूम है कि किसी को भी पुर्जों की जरूरत हो, रोडवेज के पुर्जे वह लोग ले आते हैं और इस तरह से एक नेशनल वेस्ट होता है और वहां का पेट्रोल और डीजल सब बाहर आकर बिकता है । पिछली आडिट रिपोर्ट कहती है कि ३,००० गैलन कैपेसिटी का टैंक था लेकिन उसके अलावा उसमें (स्टाक के मुताबिक) ५३२ से ८,६९६ गैलन अधिक भी हो सकता था नतीजा यह हुआ कि पैट्रोल कम पड़ा, यानी ९,६६६ गैलन बट्टे खाते में गया । एक रकम १३,४४६ की खत्म हो गयी । इससे पहले एक स्टाफकार का गोलमाल हुआ था किसी अफसर के साहबजादे ने तोड़ दी थी लेकिन लिखा गया कि आफिशियल यूज में टूटी । यह मैं दो वर्ष पुरानी बात कह रहा हूं । ऐसा नहीं होना चाहिये इस से देश की और जनता की क्षति होती है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पद्माकर लाल जी का जो कटौती का प्रस्ताव है उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक रोडवेज की नीति का सम्बन्ध है एक ऐसी सरकार के लिये, जो सरकार समाजवादी होने का दावा करती है, क्या नीति होनी चाहिये इसकी चर्चा मैं करूं तो सदन का समय नष्ट करना होगा । सब जानते हैं कि एक ऐसी सरकार की नीति जनता के सुख और सुविधा के लिये होती है और उसी दृष्टि से इस विभाग की नीति भी निर्धारित होनी चाहिये । जहां तक उपभोक्ताओं की कठिनाइयों का सम्बन्ध है जो आदमी बस में सफर करना चाहते हैं वह पहले तो यह चाहते हैं कि उन को वहां जाने पर टिकट अवश्य मिल जाय, आज देहात के ८० प्रतिशत किसानों में यह विभाग यह विश्वास नहीं पैदा कर सका कि उनको वहां जाने पर टिकट अवश्य मिल जायगा । सफेदपोशों को उस में कुछ रियायत अवश्य मिल जाती हैं । इस कठिनाई को दूर करने के लिये जो रचनात्मक सुझाव दिये जायं उनकी ओर मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिये । डीजल सिस्टम चलने के बाद किराया अवश्य कम करना चाहिये । हमें इस विभाग को मुनाफे के दृष्टिकोण से न चलाकर जनता की सुविधा और सुख की दृष्टि से चलाना चाहिये चाहे घाटा ही क्यों न हो । यात्रियों के साथ सद्व्यवहार होना चाहिये । यात्री आते हैं और आराम से गाड़ी में घुस नहीं पाते हैं, इतना अवश्य कहूंगा कि जहां तक सद्व्यवहार का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विभाग में काफी सुधार हुआ है और उसके लिये मैं विभाग की भूरि-भूरि प्रसंशा करता हूं। छोटे यात्रियों के लिये विश्रामालय में कोई अधिक सुविधा नहीं होती है । गांव के रहने वाले व्यक्ति एक नं० की गाड़ी का टिकट लेते हैं, तो वे लोग नम्बर टिकट का पढ़ नहीं पाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि अक्सर वे लोग दूसरे नम्बर की गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनका टिकट रद्द हो जाता है । रोडवेज स्टेशन पर इस बात की आवश्यकता है कि वहां पर इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये कि गांव वालों के पास जिस गाड़ी का टिकट हो, उन को उसी गाड़ी में बैठाया जाय । उन लोगों को इससे बहुत ही कठिनाई होती है, इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

तनख्वाहों के बारे में वाराणसी के एक योग्य मित्र ने एक तर्क पेश किया । मैं श्रीमन्, आपके द्वारा उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक चालक और कंडक्टरों का सम्बन्ध है, तो जो उनसे ड्यूटी ली जाती है वह टेक्निकल नेचर की है । ड्राइवर तो बिलकुल ही टेक्निकल नेचर का काम करता है, लेकिन जो उसके साथ कंडक्टर काम करता है, उस का भी काम अधिकांश मात्रा में टेक्निकल ही होता है । मैं तो चाहता हूं कि उनको उसी आधार पर वेतन मिलना चाहिये । जिस नेचर का जो वर्क हो उसी के हिसाब से लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिये ।

श्रीमन्, इसके अलावा एक बात की चर्चा मैं इस माननीय सदन में और करना चाहता हूं, जिस के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है । मेरा यह सुझाव है कि छोटे कर्मचारी लोगों के लिये क्वार्टर्स होने चाहिये, अगर आप धन की कमी के कारण मकान नहीं बना सकते हैं तो उनको हाउसिंग एलाउन्स देना चाहिये । वे लोग दिन-रात दौड़ते रहते हैं, उन को रहने के लिये सुविधा देनी चाहिये । कैन्टीन की भी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिये । बहुत से स्टेशनों पर खाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं है और जहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है तो वह बहुत ही खराब है । माननीय मंत्री जी तो अपने घर के ही हैं । अगर वे अपने घर को देखें तो उनको मालूम होगा कि चिराग तले अन्धेरा है । देवरिया स्टेशन में कैन्टीन का कितना खराब इन्तजाम है । मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर आपका समय नष्ट नहीं करूंगा । केवल एक दो सुझाव ही दूंगा। उनके लिये आनरेरी इन्श्योरेन्स की व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि श्रीमन्, ड्राइवर एक्सीडेंट में फंस जाते हैं । अन्त में मैं संक्षेप में यह सुझाव देता हूं कि जो छोटे कर्मचारी होते हैं, उनको अपने घरों के निकट रखा जाना चाहिये । जिनकी ४० या ४५ रुपये की आमदनी है, आखिर उनके भी जीवन में हमारी तरह उत्साह है, उमंग है और वह चाहते हैं कि अगर एक दिन की भी उनको छुट्टी मिल जाय तो वह घर तो जा सकें, तो उनको घर के निकट अधिक से अधिक रखा जाय, इसकी व्यवस्था की जाय । इसके बाद श्रीमन्, इन छोटे कर्मचारियों को पुलिस से बचाइये, मैं अपने जाती तजुर्बे की बात कह रहा हूं कि उनको विवश किया जाता है कि वे समय से न जा सकें, उनको दरोगा जी के लिये बेट करना पड़ता है और जब तक दरोगा जी न पहुंच जायं, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है । हमको एक साइन्टिफिक मिनिस्टर मिला है, जिनका साइन्टिफिक मैनेजमेंट है तो इस विभाग को केवल यही नहीं देखना चाहिये कि सरकार का मुनाफा कितना हुआ है बल्कि हमको तो जनता का भी मुनाफा देखना है ।

एक बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि रेलवे सर्विस कमीशन की तरह से रोडवेज का भी अलग सर्विस कमीशन होना चाहिये, इससे कम से कम सारे काम आसानी से किये जा सकते हैं और अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो उनको मेरी सेवायें उपलब्ध हो सकती हैं । अन्त में यह निवेदन कर दूं कि सरकार की जिला स्तर पर सलाहकार समितियां बनी हुई हैं तो उनमें केवल "जी हां" लोगों को ही नहीं वरन् ऐसे लोग भी रखें जायं जो रचनात्मक सुझाव दे सकने की क्षमता से सम्पन्न हैं तथा इन छोटे लोगों के प्रतिनिधियों को भी रखने का सुझाव रखा जाय । क्योंकि जब मैंने लिस्ट देखी तो मुझे दुख हुआ कि आखिर जो जनता के कन्सर्न की चीज है तथा जनता की सेवा के लिये यह विभाग है, तो फिर जन सेवाओं के लिये किसी तरह से डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि किसी तरह का खतरा नहीं है, रुद्रपुर, जिला देवरिया की लाइन को चालू कीजिये, किसी तरह का आक्षेप आपके ऊपर नहीं आयेगा। वहां की जनता ने आपसे बार-बार आग्रह किया है तो फिर खतरा किस बात का है । देवरिया से रुद्रपुर गाड़ी चलती है, वह जनता की मांग है । अब अन्त में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर

[श्री रामायणराय]

ध्यान दिलाता हूं कि जो वहां पर बस चलनी शुरू हुई है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ आप से मांग कर रहा हूं कि तमकुही रोड पर कृपा करके एक बस स्टेशन अवश्य बनवा डालिये और अगर आप वहां पर बस स्टेशन नहीं बनाते हैं तो इससे बहुत गड़बड़ी जो वहां पर हो रही है, वह ज्यों की त्यों रहेगी ।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । जब पद्माकर लाल जी बोल रहे थे तो उन्होंने जो कुछ बात कही, उसके लिये मैं उनको इतना बता देना आवश्यक समझता हूं कि किसी राज्य के भविष्य का निर्माण तभी ठीक हो सकता है जब कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो । इस दृष्टिकोण से जब मैं सोचता हूं तो इसमें जरा भी संकोच की बात नहीं है कि इस रोडवेज विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को काफी दृढ़ न किया हो । साथ ही साथ मेरे भाई रामायणराय जी जब बोल रहे थे तो उनको इस सम्बन्ध में यह भी बता देना आवश्यक समझता हूं कि इस विभाग का, श्रीमन्, ज्वलन्त प्रमाण ईमानदारी का यह है कि देवरिया का वह केन्द्र जो कि उनकी कांस्टीट्यूएन्सी का क्षेत्र है, उसको पार करती हुई एक सड़क गयी है जिस पर आज से थोड़े दिन पहले दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो लोग घायल हुए थे और जिनको कि अस्पताल ले जाया गया था, उनकी जेबों से वहां के एक ए० टी० आई० ने ५० हजार रुपया इकट्ठा किया और उस रुपये का संग्रह करके उन लोगों के घरों में पहुंचा दिया जिनकी जेबों से कि वह रुपया निकला था । यह क्या ईमानदारी की बात नहीं है ? साथ ही साथ एक्सिडेंट के दस ही मिनट बाद दूसरी बस पहुंचती है और गोरखपुर से देवरिया तक जितने कर्मचारी थे धड़ाधड़ वहां पहुंच गये और जिस प्रकार इस विभाग के कर्मचारियों ने लोगों की सेवा की उसके सम्बन्ध में वहां की जनता भूरि-भूरि प्रशंसा करती है ।

गांव वालों की बात की गयी । जो आदमी रोज बसों पर चलते हैं उनके लिये यह कहना बहुत मुनासिब न होगा कि उनको टिकट नहीं मिलता है और काफी परेशानी होती है । कसिया से देवरिया के लिये पहले जहां ३–४ बसेज चलती थी वहां अब ३५ बसेज चलती हैं । कोई आदमी भी शिकायत नहीं कर सकता कि उसको टिकट नहीं मिला । साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कुछ मानी में यह भी गलत है कि यात्रियों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस बस पर उनको चढ़ना है । बसेज पर साइनबोर्ड लगे रहते हैं, क्लीनर, कंडक्टर और स्टाफ के लोग होते हैं, स्टेशन इनचार्ज दौड़-दौड़ कर बसों पर यात्रियों को बैठाते हैं । एक नमूना और है । उसके लिये मैं जोरदार शब्दों में मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । उन्होंने नम्रता सप्ताह अपने विभाग में मनाने का आयोजन किया है जिसमें हजारों आदमी भाग लेते हैं । विभाग की जो कमियां होती हैं उसमें उन कमियों पर प्रकाश डाला जाता है और जो कर्मचारी उसमें दोषी होते हैं वे अपने दोषों को कबूल करते हैं और विभाग की तरफ से खास तौर से लोगों को हिदायत दी जाती है कि किसी प्रकार से कभी भी धृष्टता नहीं होनी चाहिये । जो विभाग इस तरह से काम करता हो उस विभाग के लिये यह कहना गलत होगा कि वह ईमानदारी से काम नहीं करता । ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि डाक्टर सीताराम जी इसके मंत्री हैं और रुद्रपुर उनका निर्वाचन क्षेत्र है । वहां उन्होंने बस नहीं चलवायी और विरोधी भाई जो अभी बोल रहे थे उनके क्षेत्र में पहले बस चलवायी ।

यही नहीं देहात के रहने वाले किसान मजदूर जिनके लड़के और लड़कियों की शादियां होती हैं और जिनमें हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है और जिसमें पहले लोगों को बड़ी असुविधा हुआ करती थी वहां इस विभाग ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि उन लोगों को बसें रिजर्व करने में काफी सुविधा प्रदान की है । जबकि रेल के डिब्बे के मिलने में काफी असुविधा होती है रोडवेज वेज की बसों के द्वारा काफी ब्याह शादियों में लोग यात्रा करते हैं ।

इस विभाग के ईमानदारी से और सच्चे ढंग से काम करने का सबूत यह है कि तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लॉमा और बर्मा के प्रधान मंत्री बुद्ध जयन्ती के अवसर पर भारत आये थे तो उन्होंने

इस विभाग की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी क्योंकि बसों के द्वारा ही उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की थी । वे कुशीनगर आये थे और फिर गोरखपुर गये थे । दलाईलामा ने पब्लिक मीटिंग में यह एलान किया था कि हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार कि उत्तर प्रदेश में बसों की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से है । तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विभाग ने काफी अच्छे ढंग से और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा न की हो ।

जहां तक कर्मचारियों का सवाल है उनके वेतन में वृद्धि हो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । लोगों के लिये विश्राम-गृह हों, इसमें भी दो रायें नहीं हो सकतीं ।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि इस विभाग में एक सेंट्रल वर्कशाप है और सात रीजनल वर्कशाप्स हैं । लोगों को वहां ट्रेनिंग दी जाती है जहां से निकलकर लोग जनता की सेवा करते हैं । इन सब बातों को देखते हुए यह विभाग धन्यवाद का पात्र है ।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रांट माननीय परिवहन मंत्री ने भवन के सामने पेश की है, उसका मैं समर्थन करता हूं । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने इस विभाग को एक कामर्शियल बेसिस पर कायम किया और उसमें लाभ करके दिखलाया थोड़े ही समय में । इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारे कृषि-प्रधान देश में उद्योग से भी हम अपनी प्रगति कर सकते हैं । मैं इसके लिये मंत्री जी और विभाग के लोगों को मुबारकबाद और बधाई देता हूं ।

जहां तक मुनाफे का सम्बन्ध है वह तो उसूलन ठीक है लेकिन इस विभाग में आर० टी० ओ० में मोटरों के रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है, उससे लोगों को बड़ा असंतोष है और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है । इसका कारण यह है कि पुलिस अधिकारियों में से आर० टी० ओ० बनते हैं । अगर ऐसा न करके माननीय मंत्री जी सूची मांगें किसी और सरकारी विभाग से ऐसे कर्मचारियों की जिनका रिकार्ड सबसे अच्छा हो और उनको छांट के आप आर० टी० ओ० रखिये न कि यह कि पुलिस विभाग के रख लिये । माननीय मंत्री जी सब जानते हैं, मैं उन्हें क्या बताऊं लेकिन मैं यह अवश्य बतलाना चाहता हूं कि अगर जांच की जाय तो किसी आर० टी० ओ० की आमदनी आपके राज्यपाल से कम नहीं होगी । उसका कारण यह है कि जो लोग इसका धंधा करते हैं वे खुद उनको अपने स्वार्थ के कारण करप्ट करते हैं । मंत्री जी स्वयं समझदार हैं वे जानते हैं कि किस तरह से उसको रोका जा सकता है । लेकिन वह रोक तभी सकेंगे जब पुलिस विभाग के आदमियों को हटाकर दूसरे विभाग के लोगों को आर० टी० ओ० बनायें ।

दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि जो रीजनल हेडक्वार्टर पर रजिस्ट्रेशन होता है इस से जनता को बड़ी असुविधा होती है । मैं तो इस राय का हूं कि जैसे पहले जिलों में होता था वैसे होना चाहिये । रीजनल आफिस में बड़ा करप्शन होता है और जो भी वहां जाता है चाहे उसे लाइसेंस बदलाना हो, चाहे रजिस्ट्रेशन कराना हो सबको रिश्वत देनी पड़ती है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जिलों में यह काम होना चाहिये ।

तीसरी बात मुझे जो आप लाइनों पर परमिट देते हैं इसके बारे में कहनी है । पहले तो मेरा यह सुझाव है कि सरकारी रोडवेज आप अधिक से अधिक बढ़ावें । दूसरे यह कि पुराने आदमियों को ही दूसरे रूट्स का परमिट मिलना चाहिये नये आदमियों को नहीं । नये आदमियों को परमिट देने से बड़ी गड़बड़ी होती है, उनको भी परेशानी होती है और जनता को भी असुविधा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

होती है। इसलिये आप पुराने आदमियों की एक प्रायोरिटी लिस्ट बना कर उन्हीं को परमिट दें।

आपने इसके लिये एक कमेटी बनायी है। उसमें जो लोग रखे जाते हैं उनको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिये कि "अंधा बांटे रेवड़ी घूम घूम अपने को ही दे"। मैं क्या कहूं, मुझे अपने जिले का तो अनुभव है ही। मैं प्रत्यक्ष जानता हूं इस बात को कि हजारों लोग वहां इसलिये जमा होते हैं कि परमिट किसको दी जाती है। मैं अपने मुंह से क्या बतलाऊं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को परमिट दी है और मंत्री जी के यहां उसकी अपील है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उसमें से पब्लिक के आदमियों को हटाकर अगर डिपार्टमेंट के आदमी आप रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि उन पर आप ज्यादा नियंत्रण रख सकते हैं और काम ठीक तरह से होगा। पब्लिक वाले तो हर पोलिटिकल पार्टी के होते हैं जिसकी वजह से करप्शन बढ़ता है।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पद्माकरलाल जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में आदरणीय सदन के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मेरा भी इस रोडवेज विभाग से गत ७ वर्ष से इस उत्तर प्रदेश में ताल्लुक है। मैंने जो अनुभव किया है रोडवेज के आर्गेनाइजेशन के सिलसिले में, उसके प्रबन्ध के सिलसिले में, उसके कर्मचारियों की हालत के सिलसिले में उससे आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रोडवेज में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये। रिआर्गेनाइजेशन आफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के होने की बहुत जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आजकल रोडवेज की आमदनी में ७७ लाख का मुनाफा है। कुल पांच करोड़ की पूंजी लगी है और दस साल में ७७ लाख रुपये का मुनाफा हो गया है। रेलवे में अरबों की पूंजी लगी हुई है लेकिन वहां कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ। जिस प्रतिशत से रोडवेज में मुनाफा हुआ है उस प्रतिशत से रेलवे में नहीं हुआ है। मेरा खयाल यह है कि अगले दस वर्षों में रोडवेज इतना कमा लेगी जितनी कि उसकी कुल पूंजी है और उसकी पूंजी फोकट में हो जायगी। आपके विभाग में क्वांटिटेटिव चेंज है लेकिन क्वालिटेटिव चेंज नहीं है।

मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि क्वांटिटेटिव चेंज तो बहुत हो चुका है अब आप क्वालिटेटिव चेंज कीजिये जिससे आपके रोडवेज विभाग की सही तस्वीर हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने आ जाय। मैं इसके लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां रोडवेज में सात रीजन्स हैं और दो उपरीजन्स हैं। इन रीजनों में सात जनरल मैनेजर हैं। मुझे गोरखपुर के जनरल मैनेजर की तनख्वाह मालूम है। उनको १,६०० रुपया महीना तनख्वाह मिलती है। जनरल मैनेजरों के रख-रखाव पर करीब दो ढाई लाख रुपया खर्च होता है। इनके नीचे दो-दो, तीन-तीन असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स भी होते हैं। असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर हेड क्वार्टर पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं और स्टेशन वगैरह का भी काम देखते हैं, ऐप्वाइंटमेंट वगैरह का काम भी देखते हैं। मैं देखता हूं कि गोरखपुर के जनरल मैनेजर के नीचे तीन असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं जो बस्ती, आजमगढ़ वगैरह में है। इस से मैं समझता हूं कि जनरल मैनेजर की पोस्ट सुपरफ्लुअस है। अगर जनरल मैनेजरों को हटा दिया जाय, जैसा कि मेरा सुझाव है, तो काफी बचत हो सकती है। पहले इनको एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर ही हटाया जाय। या तो इनको इंगलैंड वगैरह पढ़ने के लिये भेज दिया जाय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह को लोन दे दिया जाय। इस से मैं कह सकता हूं कि काफी बचत हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस बचत को कहां लगाया जाय। रोडवेज में जितने अस्थायी मेहतर हैं, जितने अस्थायी चौकीदार हैं, जितने अस्थायी पानी पिलाने वाले हैं, इन सबको इस रुपये से स्थायी बनाया जा सकता है। यह रिआर्गेनाइजेशन आफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। यह एक क्वालिटेटिव चेंज होगी। यह आपके विभाग में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन होगा।

दूसरी बात मैं ग्रेड्स के सिलसिले में कहना चाहूंगा। जूनियर असिस्टेंट स्टेशन इंचार्ज १०० रुपया माहवार वेतन पाता है और उसकी तरक्की ढाई रुपये साल है। एस० एस० आई० की तरक्की ५ रुपये साल है और आपके कंडक्टर की तरक्की चार रुपये साल है। रेलवे विभाग में जो मेहतर होते हैं उनके बूट पालिस का खर्चा साढ़े तीन-चार रुपया सालाना का हो जाता है। उस से कहीं कम हमारे जूनियर असिस्टेंट स्टेशन इंचार्ज की सालाना तरक्की है। ए० टी० आई० आपके ७५-५-१०० रुपये पाते हैं। एस० एस० आई० का कोई ग्रेड नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के ग्रेडों का रिवीजन किया जाय। आपके यहां ए० टी० आई० हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कोई ट्रैफिक इंसपेक्टर है? जब आपके यहां कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है फिर असिस्टेंट शब्द क्यों लगाया गया है? इसलिये कि उनका ग्रेड कम है। पहले उनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडियेट थी लेकिन अब हाई स्कूल ही रह गयी है। हाई स्कूल पास-शुदा कंडक्टर है और हाईस्कूल पास-शुदा ही आपके ए० टी० आई० हैं।

हमारे प्रदेश में डीजल की बसेज बहुत कम हैं, पेट्रोल से चलनेवाली बसेज बहुत हैं। हैदराबाद में ९६ प्रतिशत हैं। मेरा सुझाव यह है कि जब उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग बसेज खरीदे तो डीजल की ही बसेज खरीदे और मरसीडीज खरीदी जायं जिससे ज्यादा आमदनी हो सके और मजदूरों को ज्यादा पैसा दिया जा सके।

श्रीमन्, सन् १९४७ में रीजनल सेलेक्शन कमेटी बनी थीं लेकिन उसके बाद उनको खत्म कर दिया गया। अब फिर बाद में वन मन्थ की नोटिस की बात को चालू करने की गरज से उनको जीवित कर दिया गया। बीच में तो इनका पता नहीं था लेकिन इधर सन् ५०-५१ में ज्वालामुखी पहाड़ की तरह से यह फिर फूट पड़ी और इनको सरकार ने जब चाहा फिर से चालू कर दिया। जहां तक मुझे मालूम है हमारे गोरखपुर रीजन में २०० आदमियों को वन मन्थ का नोटिस दिया गया। मेरी सरकार से यह मांग है कि इन रीजनल सेलेक्शन कमेटियों को फिर से रिआर्गनाइज किया जाय ताकि ये सही मानों में काम कर सकें। जिस तरह से इनका रिआर्गनाइजेशन किया गया है वह बिलकुल अवैधानिक है।

हमारा रोडवेज मुनाफा कमाता है लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों को उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम रोडवेज के कर्मचारियों को बोनस दें। मील के मुनाफे से भी मजदूर अपना हक मांगते हैं। लेकिन यह रोडवेज तो ऐसा है कि जिस से एक साल में ७७ लाख रुपया मुनाफे का कमाया है जितना शायद सरकार का कोई भी विभाग उत्तर प्रदेश में न कमाता हो। यह मुनाफा मजदूरों और कर्मचारियों की मेहनत से ही सरकार को मिलता है। समाजवाद का यही सिद्धान्त है कि उनको भी इसमें से बोनस दिया जाय।

ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग के विषय में मेरा यह कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग कमिश्नर पहले थे उन्होंने नक्शे को काटकर कमरों को छोटा कर दिया है। अफसरों के बैठने के लिये जो वहां पर कमरे हैं वह बहुत छोटे बनाये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने देखा होगा तो उनको मालूम होगा कि छोटे छोटे कमरे बनाये गये हैं। मेरा निवेदन है कि पुराना प्लान रिवाइज किया जाय और बड़े कमरे बना दिया जाय। ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग कमिश्नर तो दूसरी जगह भेज दिये गये हैं मगर उस समय के जो प्लान हैं उनको जारी रखा जाय। सेन्ट्रल प्लान जो बने उसमें बड़े कमरे रखे जायं। अब वह कमिश्नर चले गये हैं तब से तो कोई स्टेशन नहीं बन रहा है। उनको फिर से यह काम दिया जाय।

[श्री उग्रसेन]

अन्त में, मैं यही निवेदन करूंगा कि हमें ट्रेड यूनियन का हक दिया जाय। ट्रांसपोर्ट विभाग में उत्तर प्रदेश रोडवेज फेडरेशन को मान्यता दी जाय। अगर ट्रेड यूनियन को मान्यता दी जायगी तो जितने रोडवेज के कर्मचारी हैं उनका लाभ होगा।

श्री ऊझल (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं पद्माकरलाल जी के कटमोशन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबस पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनक यहां छोटे कर्मचारियों में करप्शन नहीं है। लेकिन बड़े कर्मचारियों में जिस तरह से और विभागों में भाई भतीजा वाद चलता है वही यहां पर भी पैदा हो रहा है। इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ड्राइवर्स के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो दो ग्रेड्स रखे हैं इन ग्रेड्स को खतम कर दें, क्योंकि इन ग्रेड्स में जो विषमता है वह दूर हो जावे। जब आप जनतंत्र की बात करते हैं तो विषमता की बात ठीक नहीं है। पारसाल भी मैंने इस ग्रांट पर मंत्री जी को आगाह किया था उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम मैट्रिक और नान-मैट्रिक के लिये दो ग्रेड्स रख रहे हैं। उस समय मैंने उनको आगाह किया था कि यह विषमता है और इसको खत्म होना चाहिये।

तीसरी बात मैं जनरल मैनेजर के बारे में कहना चाहता हूं कि इनकी जो पोस्ट है उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ए० जी० एम० एक ही रीजन में ३-३ हैं और उनकी जिम्मेदारी है तो इन जनरल मैनेजरों की जरूरत नहीं है। जो असिस्टेन्ट ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेंट है, उसकी भी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। उसकी पोस्ट भी खत्म कर देनी चाहिये। आपके यहां जो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ह उनको जनरल मैनेजर से तरक्की देकर आप रखते हैं। इनकी वजह से कर्मचारियों के मुकदमों में बड़ी धांधली होती है। जो जी० एम० से तरक्की पाकर उस पद पर होगा तो वह जी० एम० का बहुत पक्षपात करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जी० एम० को तरक्की देकर इस पद पर न रखा जाय। पहले आई० ए० एस० उस पद पर होता था उसी को रखा जाय।

एक बात मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस विभाग ने तरक्की की ह और लोगों को इस से बहुत सुविधा मिली है। मैं इस से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो उन्नाव से मल्लावां-हरदोई सड़क है जिसके लिये बजट में ग्रांट मंजूर की जा रही है, उस पर लोगों को बड़ी तकलीफ है। मैं समझता हूं उस रास्ते पर मंत्री जी अगर बस चलावें तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाय। मान्यवर, एक बात और यह कि पहाड़ की तरफ कोई के० एम० ओ० यू० कंपनी है। उसके जरिये से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ठेले वालों का लाइसेंस छीना जा रहा है और उन पर गलत चार्ज लगाये जा रहे हैं। इस तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और जो यह ज्यादतियां हो रही हैं इनको रोकने की चेष्टा करनी चाहिये।

बस स्टेशनों पर ड्राइवर्स के रहने की जो व्यवस्था है वह मेरा खयाल है कि सब जगह नहीं है, कुछ ही जगह यह व्यवस्था है। इसलिये उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था हर स्टेशन पर होनी चाहिये और जहां स्टेशन किराये की जमीन पर हैं, वहां सरकार को अपनी जमीन खरीद कर उनको बनाना चाहिये ताकि जनता को अधिक सहूलियत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष---मैं सदन के सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कभी-कभी आप देखते हैं कि विरोधी पक्ष के लोगों को अधिक संख्या में बोलने का मौका दे दिया जाता है। यह पारसाल की रूलिंग के अनुसार है कि बजट की ग्रांटों में विरोधी दल को ज्यादा समय मिलना चाहिये। हिसाब लगाने पर विरोधी दल का समय कम पड़ने लगता है। एक पक्ष के एक वक्ता के बाद दूसरी तरफ को मौका मिलना चाहिये यह व्यवस्था टूट जाती है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—मेरी प्रार्थना यह है कि मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा अगर दिन भर का सारा समय ही विरोधी पक्ष को दे दिया जाय। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—आपको तो रुपया मंजूर कराना है, उनको तो केवल बोलना ही बोलना है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं अपने माननीय सदस्यों का, वह चाहे इधर के हों अथवा उधर के, कि उन्होंने कोई ऐसा प्वांइट नहीं उठाया कि जिसका मुझे जवाब देना पड़े। प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, सभी सदस्यों ने मरी बात का समर्थन किया है, चाहे वह कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में हो अथवा जनता की सुविधाओं के बारे में, सभी लोगों ने उन कठिनाइयों को समझकर मेरी बात का समर्थन किया है, सभी ने मेरा समर्थन किया है ।

अन्त में मैं कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। जिस प्रकार मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट के अनुसार जितनी आमदनी होती है वह सब यू० पी० रोड फंड में जाती है, उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि रोडवेज की आमदनी भी रोडफंड में जाय ताकि अपने प्रदेश की रोड्स अच्छी हो सकें और ज्यादा से ज्यादा सड़कें बन सकें।

ए० टी० आई० के बारे में हमारे माननीय मित्र उग्रसेन जी ने कहा है! उनकी तनख्वाह का ग्रेड बहुत कम है और इसके अलावा पूरे सूबे में एक भी ट्रफिक इंस्पेक्टर नहीं है। असिस्टेन्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर रखने की क्या जरूरत है? असिस्टेन्ट शब्द हटा दीजिये और सब को इंस्पेक्टर बना दीजिये। माननीय मंत्री जी के मातहत एक और विभाग एक्साइज का भी है जिसमें इंस्पेक्टरों की तनख्वाह १२० से शुरू होती है। तो इनकी भी तनख्वाह १२० से शुरू कर दीजिये। इसके अलावा नियम यह है कि अगर वह ६ मील से ज्यादा दूर जा कर चेकिंग करेंगे तो उनको डेली एलाउन्स दिया जायगा और यह भी केवल दो रीजन्स में है। सूबे में सब जगह नहीं है और सिटी बस सर्विस के ए० टी० आईज० इस सुविधा से वंचित रह जाते ह। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन को डेली एलाउन्स दूसरे रीजन्स में भी दिया जाय और ६ मील वाली क़ैद समाप्त की जाय ताकि सिटी बस सर्विस के लोगों को भी फायदा हो सके।

इसके अलावा जितने कर्मचारी हैं रोडवेज में उन में हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों का अनुपात १ फीसदी से भी कम है और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि एक भी गजटेड आफिसर हरिजन नहीं है। जब कि यू०पी० सिविल सर्विस एक्जामिनेशन में वे आ जाते हैं तो फिर इसमें आने की योग्यता वे नहीं रखते या इसके लायक वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, यह बात समझ में नहीं आ सकती। हरिजन और पिछड़ी हुई जाति वालों को इससे कोई संतोष नहीं हो सकता कि इस विभाग के हेड माननीय डाक्टर सीताराम हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी को इस विभाग में हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों का अनुपात बढ़ाना चाहिये।

चारों तरफ रोडवेज विभाग में काम बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, रूट्स बढ़े हैं, गाड़ियां बढ़ी हैं और इसके साथ दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों पर काम का बर्डन भी बढ़ा है लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंग्थ नहीं बढ़ी है। काम के भार के हिसाब से उनकी स्ट्रेंग्थ भी बढ़नी चाहिये।

अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों का तबादला उनके घर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ऐसा एक नियम बना लेना चाहिये कि उनका तबादला उनके घर के पास ही हो।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ड्राइवर्स ऐक्सीडेंट्स में फंस जाते हैं उनकी मदद के लिये सरकार की ओर से क्यों पैरवी नहीं की जाती है। मेरी सूचना है कि बम्बई में ऐसा है।

डाक्टर सीताराम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन के माननीय सदस्यों की विचारधाराओं को सुनने का मौका मिला और माननीय ऊदल जी, वीरेन्द्रशाह जी और उग्रसेन जी ने अच्छे विचारों से अवगत कराया।

अभी माननीय पद्माकर लाल जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए बताया कि कर्मचारियों की ही बदौलत इस विभाग की आमदनी बढ़ी है। वस्तुतः बात सत्य है। कंडक्टर और ड्राइवर्स ही इस डिपार्टमेन्ट की रीढ़ है। उनकी जो इस डिपार्टमेन्ट में कड़ी है, उसको इगनोर नहीं किया जा सकता। इसलिये कंडक्टरों और ड्राइवरों को जितनी ही सुविधायें हों, उतनी ही कम हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि यहां पर कंडक्टरों और ड्राइवरों की पे अन्य सूबों के ड्राइवरों और कंडक्टरों से कम है, यह बिलकुल गलत है। क्योंकि हमारे यहां ड्राइवरों को ४५ रुपये से ८० रुपये तक पे दी जाती है लेकिन सन् ५० से पहले ड्राइवरों का वेतन क्रम ६० रुपया था लेकिन देखा यह गया कि इसके अतिरिक्त जो अलाउन्स वगैरह मिलते थे उनके बावजूद भी उन्होंने डिपार्टमेन्ट के लिये जिस प्रकार काम करना चाहिये था, वैसा नहीं किया बल्कि डिपार्टमेन्ट के साथ डिसअ्रानेस्टी की। इसलिये उनका ग्रेड सन् ५० के आदेशों के अनुसार ४५ से ८० तक कर दिया गया। देहाती क्षेत्र में उनको डेढ़ पाई फी मील अलाउन्स मिलता है, पहाड़ी क्षत्रों में २ पाई फी मील अलाउन्स मिलता है, सिटी बस सर्विस में ६० रुपया तनख्वाह मिलती है और २ पाई फी मील अलाउन्स मिलता है और जो ४५-८० के ग्रेड में होंगे उनको ५ पाई फी मील अलाउन्स मिलता है, इस तरह से जो ड्राइवर १०० मील लम्बा सफर करता ह, अगर डेढ़ पाई का ही हिसाब मान लिया जाय तो डेढ़ रुपया रोज हो जाता है और ३० दिन में ४५ रुपये होते हैं। इस तरह से ४५ पाने वाले को ११५ रुपया पड़ जाता है। लेकिन हिन्दुस्तान के और सूबों में ड्राइवरों की पे इस प्रकार से हैं। बम्बई में ५०-८० रुपया तनख्वाह मिलती है लेकिन ऊपर से उसको कोई अलाउन्स नहीं मिलता। साथ ही साथ मैसूर के ड्राइवर्स को वेतन ४०-७५ रुपया मिलता है और वहां उनको कोई एलाउन्स नहीं मिलता है। इसी तरह से उड़ीसा में ६०-८० रुपया, कोचीन में ३०-७५ रुपया और हैदराबाद में अलबत्ता ७५-१०५ रुपया मिलता है लेकिन वहां ड्राइवर्स को कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता है। इस सूबे में, जैसा कि मैंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बतलाने का प्रयास किया है कि वियर एंड टियर, पेट्रोल और मोबाइल आयल में ज्यादा खर्च होता है। इसी तरह से यहां के ड्राइवर्स को देहातों के लिये माइलेज एलाउन्स दिया जाता है और इसलिये ड्राइवर्स व कंडक्टर्स उसे स्टेट की सम्पत्ति समझते हैं और वे अपने काम को अच्छी तरह से करने का प्रयास करते हैं। यही नहीं बल्कि जो ड्राइवर अच्छी तरह से काम करते हैं उनको एफिशियेंसी एलाउन्स दिया जाता है, उनको रिवार्ड दिया जाता है तथा नान एक्सिडेंटल बोनस भी दिया जाता है। तो हमारे प्रान्त में इस तरह का प्राविजन है जैसा इस देश के किसी भी और सूबे में नहीं है।

जहां तक कंडक्टर्स की पे का प्रश्न है यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के और सूबों के मुकाबिले में यहां उनकी पे कम है। यह भी कहना बिलकुल गलत और निराधार है क्योंकि हिन्दुस्तान के सभी सूबों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए मैंने बतलाया था कि बम्बई में जहां कारपोरेशन की घोषणा की जाती है, वहां उनकी पे ४०-७० रुपया है, इसी तरह से मैसूर में २५-७५ रुपया है, उड़ीसा में ४५-६५ रुपया है, कोचीन में ३०-४५ रुपया है, हैदराबाद में ५५-८५ रुपया है और पंजाब में ५०-१०० रुपया है। गत अगस्त के महीने में बजट भाषण के समय हमने यह घोषणा की थी कि अगर कंडक्टर हाई स्कूल पास हो तो उसका वेतन हम ६०-१०० रुपया कर देंगे। उसके सम्बन्ध में राज्यादेश भी जारी कर दिया गया है। इस तरह से हमारे यहां के

कंडक्टरों की जो पे है वह हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे के बमुकाबिले आगे है। इसी तरह से सरकार ने ड्राइवर्स की पे के सम्बन्ध में भी आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास किया है और हम उनको हर तरह की सुविधा देने का प्रयत्न करेंगे। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स दोनों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट की रीढ़ हैं, इसमें कोई दो विचारधारायें नहीं हो सकती हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहने का प्रयास किया है कि सरकार उनकी सुख और सुविधा के लिये कुछ खयाल नहीं करती है, इसको मैं नहीं मानता। उनकी सुविधा के लिये अवश्य खयाल किया जाता है। बहुत सी जगहों पर रनिंग स्टाफ के लिये ठहरने के स्थान बने हुए हैं और बहुत सी जगहों पर अभी नहीं भी हैं, इस बात को मैं मानता हूं लेकिन यह कहना कि उनके लिये बिलकुल कोई इंतजाम नहीं है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। इसी तरह से सरकार कंडक्टरों और ड्राइवरों को हर तरह से सुख व सुविधा पहुंचाने के लिये जाग्रत है।

बैलेंस शीट्स के सम्बन्ध में कहा गया है। अगर समय बढ़ा दिया जाय तो मैं आधा घंटा प्रोफार्मा एकाउन्ट के ऊपर ही बोल सकता हूं लेकिन समय कम है इसलिये मैं थोड़ी देर में, एक मिनट में ही यह कहना चाहता हूं कि प्रोफार्मा एकाउन्ट जो होता है वह गवर्नमेन्ट का एकाउन्ट होता है। बैलेंस शीट तैयार करने की बात जो कही गयी है, "बाटलीब्वाय" की किताब जो कामर्स की है, उसके मुताबिक बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम से तैयार होता है। लेकिन यहां पर सिंगिल एंट्री सिस्टम से स्टेटमेंट तैयार होता है। जहां तक प्रोफार्मा एकाउन्ट का सम्बन्ध है वह गवर्नमेन्ट का एकाउन्ट है और इस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेन्ट उसको तैयार करता है और अपनी जगह पर वह बिलकुल ठीक, अच्छा और उचित है लेकिन आज इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के जो प्राफिट और लास के आंकड़े तैयार करके माननीय सदस्यों के समक्ष जो पुस्तिका प्रस्तुत की गयी है उससे स्पष्ट है कि ए० जी० ने उसकी जांच करके उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है कि ये आंकड़े ठीक हैं। इसके सम्बन्ध में यह कहना कि ये ठीक नहीं है, मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूं और मैं कहना चाहता हूं कि प्रोफार्मा एकाउन्ट गवर्नमेन्ट का एकाउन्ट है और वह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। इसी तरह से जो प्राफिट और लास का स्टेटमेंट तैयार करके दिया गया है, ए० जी० ने एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट के बारे में रिपोर्ट दी है कि वह ठीक है। ए० जी० के आफिस ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देने का प्रयास किया है। इसके अलावा प्राफिट हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि वह प्राफिट और बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने, बस कन्डक्टर्स या बस ड्राइवर्स ने ट्रांसपोर्ट विभाग में बहुत ही सतर्कता से काम लिया है।

इसके बाद श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव ने कहा कि स्टेट ट्रान्सपोर्ट बोर्ड बनाने की व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि हमारे यहां एक हाई लेविल कमेटी है जिसमें परिवहन मंत्री, वित्त सचिव, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेट्री ट्रांसपोर्ट और डिप्टी सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट शामिल हैं और समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसकी मीटिंग हुआ करती है और जिस किसी मसले को वे तय करना चाहते हैं उसके लिये मीटिंग करके वे निर्णय लेते हैं और उन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करते हैं।

जहां तक कारपोरेशन बनाने की बात है, मैंने अपने भाषण में इसके ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया था। मैंने बम्बई के आंकड़े देकर बताया था कि जहां पर कारपोरेशन है वहां से तमाम बातों में हमारा प्रदेश ट्रांसपोर्ट के तमाम विषयों में सब से आगे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मैंने बताया कि बम्बई में जो एक्सपेंडीचर है वह २१.६८ है, वह हमारे यहां केवल १३.४६ था, सन् ५६-५७ में और अब वह १२.८ हो गया है। एक्सपेंडीचर आन

[डाक्टर सीताराम]

स्टाफ वहां ५.३ था हमारे यहां उस से कम है यह हमारे यहां की एफीशियेंसी का द्योतक है। हमारा विभाग सब जगह आगे बढ़ रहा है। इसके उपरान्त मैं और तमाम बातों को माननीय सदन के समक्ष नहीं रख सकूंगा, क्योंकि समय कम है लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इतने थोड़े समय में इन सरकारी अधिकारियों द्वारा जो भी कार्य सम्पादित हुआ है, वह वांछनीय है।

श्री रामायण राय जी ने कहा कि ८० प्रतिशत लोगों को विश्वास नहीं होता कि उन को समय से टिकट मिल सकेगा। मुझे अफसोस है कि उन से हमारी मुलाकात होती रहती है, और उनके क्षेत्र में ही सब से पहले बस चलायी गयी और अब भी उनके यहां ३५ बसेज रन करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे नोटिस में इस तरह की बात नहीं लायी, अगर वह लाते तो अवश्य मैं उन की दिक्कत को दूर करने का प्रयत्न करता। अभी तमकुही में एक ऐक्सीडेंट हुआ था उस में जो काम विभाग के लोगों ने किया उसके लिये उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की थी, जिसके लिये मैं उन को बधाई देता हूं लेकिन जो बात उन्होंने ८० प्रतिशत लोगों के गलत विश्वास के बारे में कही कि उन को टिकट नहीं मिलेगा यह गलत और निराधार बात है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं और उन को विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई शिकायत मेरे नोटिस में वह लाते तो उस पर गौर किया जाता और हम तो यहां तक कहेंगे कि हमारे यहां की एफीशियेंसी पहले से दुगुनी और तिगुनी बढ़ी है लेकिन मैं श्री रामायण राय जी की इस तरह की राय को पसन्द नहीं करता।

जहां तक रुद्रपुर में बस चलाने की बात है, उनके क्षेत्र में तो बस चला दी गयी है अब जहां तक हमारे क्षेत्र की बात है, वहीं के रहने वाले हैं, इस तरह की आंकड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा जब समय आयेगा वहां भी चल जायंगी, जनता की राय का आदर करना हमारा कर्त्तव्य है और जो सुझाव दिया गया है उस पर हम विचार कर के चलते हैं।

दूसरी बात यह भी उन्होंने कही कि पुलिस के दरोगा परेशान करते हैं। इस पर मैं अधिक नहीं कहूंगा। अन्त में इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनका मैं आदर करता हूं और उनके लिये उनको धन्यवाद देता हूं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन पर विचार करने की और अमल करने की यथासम्भव कोशिश करेंगे ताकि उनको कार्यरूप में परिणत किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७,२९ और ४९ की धनराशि में एक-एक रुपये की कटौती कर दी जाय।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती के प्रस्ताव वापस लिये गये)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय—लेखा शीर्षक: १२—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत १,४९,३२,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग—लेखा शीर्षक ४७-प्रकीर्ण विभाग और ४४—उड्डयन के अन्तर्गत ५,८५,१८,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

७---लेखा शीर्षक: १२---मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या २९---लेखा शीर्षक: ४७---प्रकीर्ण विभाग और ४४--- उड्डयन तथा अनुदान संख्या ४९---लेखा शीर्षक: ७०---कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत तथा ८२---राजस्व के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत तथा लेखा शीर्षक : ७०---जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२---राजस्व के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,६४,७२,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
१४ मार्च, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

सूची

प्रत्येक पशु-सेवा केन्द्र पर एक स्टाकमैन कार्य करता है जिसके वेतन-क्रम, कार्य प्रशिक्षण आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

नाम	संख्या	वेतन-क्रम	प्रशिक्षण की अवधि	कार्य
स्टाकमैन (पशु-सेवक)	१	४५-२-६५ द० रो०-३-८० रु०	१ वर्ष	१—निर्धारित क्षेत्र में पशुओं को प्राथमिक सहायता देना। २—अपने क्षेत्र में सरकारी बिजार (Stud) सांड, भैंसा, मेढ़ा, बकरा, सूअर, बिजाश्य और कुक्कुट आदि की देखभाल रखना तथा उन्हें बीमारी में प्राथमिक सहायता देना। ३—सरकारी बिजार सांडों द्वारा गर्भित पशु और उसकी संतति का लेखा जोखा रखना। ४—क्षेत्र की जनता को उन्नत पशु-पालन पद्धतियों से अवगत कराना और इसके लिये मास में लगभग २० दिन दौरा करना। ५—अपने पशु-चिकित्सक के आदेशानुसार संक्रामक रोगों से बचाने के लिये पशुओं को समय-समय पर टीका लगाना। ६—संक्रामक रोगों के प्रकोप में पशु-चिकित्सक के आदेशानुसार रोगों की रोकथाम में सहायता करना तथा टीके लगाना।

प्रत्येक सरकारी पशु-चिकित्सालय के कर्मचारियों का ब्योरा निम्न प्रकार है:—

पशु चिकित्सक	१	१२०-६-२५० रु० अथवा २००-१५-३५० रु० (मथुरा कालेज के स्नातकों के लिये)	४ वर्ष	१—अस्पताल का सुचारू रूप से संचालन करना। २—अस्पताल में लाये गये रोगी पशुओं का निदान करना। ३—बधिया करना। ४—सरकारी फार्मों से आये हुए बिजार सांड को भगाने वाले के पास पहुंचाना। ५—अयोग्य पशुओं को बधिया करना। ६—मांस का निरीक्षण करना। ७—मरे हुए जानवर का पोस्टमार्टम करना। ८—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पर गाभिन हुई भैंसों तथा गायों व उनकी संतान का निरीक्षण करना व उनका लेखा रखना।

नाम	संख्या	वेतन-क्रम	प्रशिक्षण की अवधि	कार्य
				९—अभाव–ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं की बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था करना तथा चारे की कमी की सूचना देना ।
				१०—पशु प्रदर्शनियों तथा मेलों के आयोजन में सहायता देना ।
कम्पाउन्डर	१	४५–२–६५— द० रो०—३— ८०–४–१०० रु० यदि प्रशिक्षित हों) अथवा ४५–२–६५ रु० (यदि प्रशिक्षित न हों)	१ वर्ष	१—औषधालय की साज सज्जा को उत्तम दशा में रखना तथा देखरेख करना।
				२—स्टाक बुक सज्जा (Equipment) उपस्कर (Furniture) एवं दवाइयों आदि की रखवाली करना ।
				३—पशु–चिकित्सक के निर्देशानुसार दवाइयां आदि तैयार करना और भरती किये हुए रोगी पशु को खिलाना-पिलाना ।
				४—बधिया करना ।
				५—रोगी पशुओं की पट्टी करना और पशु-चिकित्सक के निर्देशानुसार सुई लगाना।
				६—उपकरण आदि की सफाई रखना।
चौकीदार	१	२७–१/२–३२ रु० अथवा २२–१/२–२७ रु०	कुछ नहीं	१—पशु-चिकित्सालय तथा अन्य उपकरणों की रखवाली करना ।
स्वीपर	१	२७–१/२–३२ रु० अथवा २२-१/२-२७	कुछ नहीं	१—पशु-चिकित्सालय व संबंधित इमारत तथा अहाते की सफाई करना ।
पोर्टर	१	२७–१/२–३२ रु० अथवा २२–१/२–२७ रु०	कुछ नहीं	१—औषधियों के बक्से तथा अन्य आवश्यक सामग्री ढोकर पशु-चिकित्सक की सहायता करना।
भिश्ती	१	२७–१/२–३२ रु० अथवा २२-१/२-२७	कुछ नहीं	१—पशु-चिकित्सालय में पानी की आवश्यकता को पूर्ण करना ।
पशु-चिकित्सक का चपरासी	१	२७–१/२–३२ रु० अथवा २२–१/२–२७ रु०	कुछ नहीं	१—सरकारी कार्य में पशु-चिकित्सक की सहायता करना तथा दौरे आदि में साथ जाना ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय, जिनमें रोगी शैय्याओं का प्रबंध है, की सूची—

क्रम संख्या	चिकित्सालय का नाम	जिला
१	२	३
१	सरवाहानपुर	सीतापुर
२	ओयल	खीरी
३	गोमत	अलीगढ़
४	मरदह	गाजीपुर
५	सतरिख	बाराबंकी
६	चन्दायरवल्लीपुर	बलिया
७	पचेवरा	मिर्जापुर
८	रामेश्वर	वाराणसी
९	भीमापार	गाजीपुर
१०	तोछीगढ़	अलीगढ़
११	सखवानियां	देवरिया
१२	पापरीनगर	आगरा
१३	भिख्यासेन	आगरा
१४	सुरजावली	बुलन्दशहर
१५	तेवकलिया	सीतापुर
१६	सोरदान	सुल्तानपुर
१७	सोहागीवरवा	गोरखपुर
१८	विहारीनगर	सहारनपुर
१९	वावतमऊ	हरदोई
२०	मंगोरा	मथुरा
२१	परास	कानपुर
२२	तारापुर	मैनपुरी
२३	सोनेचा	वाराणसी
२४	चन्दैसर	आजमगढ़
२५	वारासकेर	गढ़वाल

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

FROM

THE CIVIL SURGEON,
AZAMGARH,

TO

THE MEDICAL OFFICER INCHARGE,
ALL HOSPITALS AND DISPENSARIES,
IN AZAMGARH DISTRICT.

No. Cir. 4/57

Dated, Azamgarh, September 12, 1957

Subject : Prescription of medicines.

It has been observed by me that Medical Officer's are in the habit of prescribing medicines to be purchased locally by patients attending the hospital. This practice must stop forthwith. No prescription should be issued advising patients to purchase medicines from the local market.

Please acknowledge receipt.

(Sd.) V. N. TANGRI, PMS. I,
Civil Surgeon, Azamgarh.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

क्रमांक	नाम बीज भंडार	रबी बीज की मात्रा (जो वितरित हुई)		
		मन	सेर	छटांक
१	२	३		
१	लखीमपुर	३,४३४	४	१२
२	मोहम्मदी	८,२१६	३७	८
३	झंडी	२,७६४	०	०
४	सम्पूर्नं नगर	२,०५७	२१	०
५	मितौली	१,५१९	१०	०
६	फूलबेहड	७२७	११	८
७	ईसानगर	१,१६५	३	०
८	घौरहरा	१,५५६	२५	४
	योग ..	२१,४४०	३३	०

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७ पर)

डेरियों की सूची

१—सेंट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़
२—कृषि महाविद्यालय डेयरी, कानपुर
३—पशु-विज्ञान महाविद्यालय डेरी, मथुरा
४—दयाल बाग डेरी, आगरा
५—राजकीय दुग्धशाला काल्सी, देहरादून
६—कोलोनाइजेशन डेयरी, नगला, नैनीताल
७—इन्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आइजटनगर, बरेली
८—एग्री कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनी, इलाहाबाद
९—मिलिटरी डेयरी फार्म, लखनऊ
१०—मिलिटरी डेयरी फार्म, कानपुर
११— " " इलाहाबाद
१२— " " झांसी
१३— " " आगरा
१४— " " देहरादून
१५— " " मेरठ
१६— " " बरेली
१७— " " रानीखेत (अलमोड़ा)
१८—कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन, इलाहाबाद
१९— " " " लखनऊ
२०— " " " वाराणसी
२१— " " " मेरठ
२२— " " " अलमोड़ा
२३— " " " हलद्वानी
२४— " " " कानपुर
२५—गोपाल डेयरी, लखनऊ

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७ पर)

इटावा जिले के म्युनिसिपिल बोर्ड व टाउन एरियाओं में शिक्षा हेतु परिगणित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण--

वर्ष	१९५४-५५		१९५५-५६		१९५६-५७	
जातियां	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति
१	२	३	४	५	६	७
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
म्युनिसिपिल बोर्ड ..	१,२२८	१,०२२	१,३६७	१,०३८	१,५६३	१,४५४
टाउन एरिया ..	१,२५८	४०६	९८०	२२२	१,२८२	१६६

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८ पर)

क्रम-संख्या	प्रबंधकर्त्ता	संस्थाओं के नाम व पते	अनुदान आवर्त्ती	अनावर्त्ती	महंगाई	
		जिला गोरखपुर				
		दिवस पाठशालायें				
			६०	६०	६	
१	आदि हिन्दू डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन द्वारा	हरिजन प्रारम्भिक पाठशाला जाटेपुर, डाकखाना सदर । ..	१,२९६	७५	४८०	
२	,,	हरिजन पाठशाला बसारतपुर पोस्ट बसारतपुर । ..	६१२	७५	२४०	
३	,,	हरिजन पाठशाला खैराडीह पोस्ट हापुड़ बुदहट । ..	५२२	७५	१८०	केवल ३ त्रैमासिक तक
४	,,	हरिजन पाठशाला हनुमानगढी पोस्ट नई कोट । ..	६९६	७५	२४०	
५	,,	हरिजन पाठशाला लखेसरा पो० कुसमी बाजार । ..	२५२	७५	१२०	
६	,,	हरिजन पाठशाला उचेर पोस्ट गजपुर । ..	३७२	७५	१२०	
७	,,	हरिजन पाठशाला बनझाई पो० मनीराम ..	२६१	७५	९०	
८	,,	हरिजन पाठशाला सिवित्री पो० थुन्थीबाड़ी ..	३८४	७५	१२०	
९	,,	हरिजन पाठशाला चवारी पो० धनावरी तहसील सदर । ..	३४८	७५	१२०	
१०	,,	हरिजन पाठशाला कुरमल पो० कुसमी बाजार । ..	२४३	७५	९०	केवल ३ त्रैमासिक तक
११	,,	हरिजन पाठशाला ढोलबजावन पो० मल्लव ..	३३६	७५	१२०	
१२	,,	हरिजन पाठशाला सरसदेवरिया पो० हरपुर बुदहट ..	३८४	७५	१२०	
१३	,,	हरिजन पाठशाला, बारू का घर गलरौर पो० उनवाल ..	३७२	७५	१२०	

क्रम-संख्या	प्रबंधकर्त्ता	संस्थाओं के नाम व पते		अनुदान आवर्त्ती	अनावर्त्ती	महंगाई
				रु०	रु०	रु०
१४	आदि हिन्दू डिप्रेस्ड क्लासेज एसोशियेशन द्वारा	हरिजन पाठशाला राजापुर पो० गग्धा	..	४५९	७५	१८० केवल ३ त्रैमासिक तक
१५	,,	हरिजन पाठशाला मनीगौवा पो० पुरदिरपुर		४२३	७५	१८० केवल ३ त्रैमासिक तक
१६	,,	हरिजन पाठशाला शाहाबाद वृजमनगंज	..	३८४	७५	१२०
१७	,,	हरिजन पाठशाला बालेश्वर पो० जधा	..	२७९	७५	९० केवल ३ त्रैमासिक तक,
१८	उपविद्यालय निरीक्षक द्वारा	हरिजन पाठशाला पिराकल्यान पो० मिथौराबाजार	..	६१६	७५	२४०
		योग	..	८,२३९	१,३५०	२,९७०

कन्या पाठशालायें

१	उपविद्यालय निरीक्षक द्वारा	हरिजन कन्या पाठशाला बिछिया पो० पुराघाट।	..	५६४	७५	२४०
२	,,	हरिजन बाल्मीकि कन्या पाठशाला अधारीबाग पो० सदर	..	४१४	७५	१८० केवल ३ त्रैमासिक तक
३	आदि हिन्दू डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन द्वारा	हरिजन कन्या पाठशाला जाढेपुर धरमशाला पो० सदर	..	८४०	७५	३६०
४	,,	हरिजन कन्या पाठशाला हुमायूपुर पो० सदर	..	१,०८०	७५	३६०
५	,,	हरिजन कन्या पाठशाला बाघर पो० चौराचौरी	..	५०४	७५	२४०
		योग	..	३,४०२	३७५	१,३८०

रात्रि-पाठशालायें

क्रम-संख्या	प्रबन्धकर्ता	संस्थाओं के नाम व पते	अनुदान आवर्ती	अनुदान अनावर्ती	महंगाई
			रु०	रु०	रु०
१	उपविद्यालय निरीक्षक द्वारा	हरिजन रात्रि पाठशाला ग्राम तेलुहानी, पो० गग्वा ..	२४०	०	१२०
२	,,	हरिजन रात्रि पाठशाला, नौतनवा	२४०	०	१२०
३	,,	हरिजन रात्रि पाठशाला, पिपरसंडी	११४	०	६० केवल अगस्त, १९५६ तक
४	,,	हरिजन् रात्रि पाठशाला, गौरसरा	२४०	०	१२०
		योग ..	८३४	०	४२०
		छात्रावास			
१	उपविद्यालय निरीक्षक द्वारा	हरिजन छात्रावास, गोलप्पर	१,९७६	३००	२४०
		पुस्तकालय			
१	आदि हिन्दू डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसियेशन द्वारा	हरिजन पुस्तकालय, पुरवीनपुर	४२०	०	१२०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९ पर)

३५ जिलों की सूची

१—बरेली
२—बहराइच
३—पीलीभीत
४—शाहजहांपुर
५—खीरी
६—मिर्जापुर
७—नैनीताल
८—बिजनौर
९—गढ़वाल
१०—देहरादून
११—सहारनपुर
१२—गोंडा
१३—बस्ती
१४—गोरखपुर
१५—देवरिया
१६—लखनऊ
१७—बाराबंकी
१८—कानपुर
१९—फर्रुखाबाद
२०—हरदोई
२१—सीतापुर
२२—इटावा
२३—मैनपुरी
२४—झांसी
२५—जालौन
२६—बांदा
२७—हमीरपुर
२८—आगरा
२९—मथुरा
३०—अलीगढ़
३१—बुलन्दशहर
३२—मेरठ
३३—मुजफ्फरनगर
३४—रामपुर
३५—मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१२ एल० ए०—१९५८—८३५।